ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट

पाक्षिक करेंट अफेयर्स मैगजीन

फरवरी 2024
Issue : 02
वर्ष :06 | अंक : 04
मूल्य:₹70

dhyeyaias.com

मुख्य विशेषताएं

- भारत में हिम तेंदुए
- चुनावी बांड असंवैधानिक
- हिंदू कुश हिमालय
- सतत विकास लक्ष्य
- यूनेस्को विरासत सूची
- भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023
- समान नागरिक संहिता
- नकल विरोधी अधिनियम, 2024
- ब्रिक्स का विस्तार
- भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग
- मेलानिस्टिक टाइगर सफारी
- हरित प्रणोदन प्रणाली
- नैनो डीएपी
- डिजिटल डिटॉक्स पहल
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु
- पीएम स्वनिधि

ब्रेन बूस्टर

- एमएसपी, किसान और स्वामीनाथन
- हाई-अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल
- आवासीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा योजना
- डीप टेक

प्रीलिम्स फैक्ट्स

- बीएपीएस मंदिर
- डस्टेड अपोलो
- सुबिका पेंटिंग
- ग्रैमी पुरस्कार
- स्वाति पोर्टल

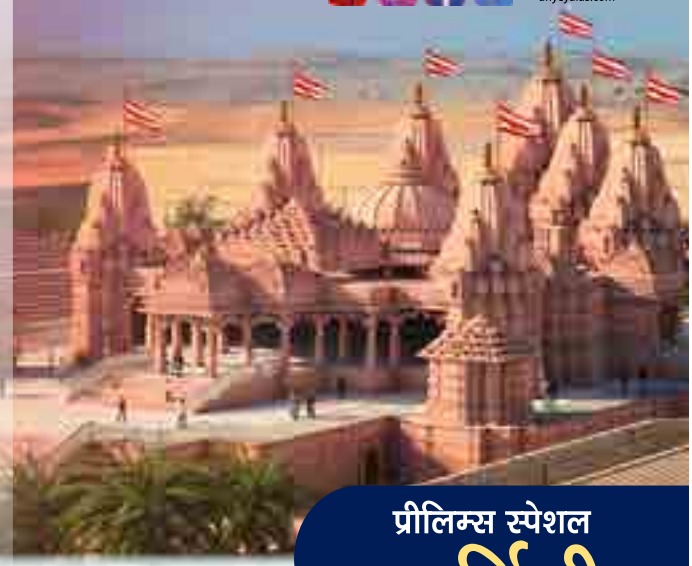

प्रीलिम्स स्पेशल

आर्थिकी

हिंदू कुश हिमालय: 'बायोस्फियर ऑन ब्रिंक'

वर्जित स्थल | समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न | प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइनर्स

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7

Complete fortnightly magazine for **UPSC** and **PCS** exams

Fortnightly Current Affairs Magazine

Available Fortnightly in ***Hindi*** *&* ***English***

Features :

- Upto date current affairs.
- 7 Editorials by experts.
- 42 Power packed articles focus on Pre cum mains .
- 7 Concept based Brain Boosters.
- Compact & relevant information.
- Special focus on info-graphics, data and maps.
- Pre focussed static and current MCQs.
- Places in news with map.
- Short articles and one liners for prelims.
- Special content for Prelims & Mains.
- Special section for state PCS current affairs.

Yearly Subscription			
Price	Issue	Total	After Discount
70	24	1680	1320

Half Yearly Subscription			
Price	Issue	Total	After Discount
70	12	840	720

*Postal charges extra

For More info : **9369227134** | *perfect7magazine@gmail.com*

पहला पन्ना

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येय IAS

परफेक्ट

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध निदेशक : क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
: ऋषिका तिवारी
संपादकीय सहयोग : डॉ. अर्पित
: प्रमोद
: पूर्णाशी
: रत्नेश
समीक्षक एवं सलाहकार : नितिन अस्थाना
: शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं डेवलेपमेंट : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग : प्रियांक, अंकित
टंकण : सचिन
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

-: साभार :-
PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजीम को खत्म करना जरूरी 5-6
2. सतत विकास लक्ष्यों को बनाना होगा वैश्विक आंदोलन 7-8
3. अंतरिम बजट 2024-25 में सामाजिक न्याय और विकास में संतुलन साधने की कोशिश 9-10
4. लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूती देता भारत 11-12
5. लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करने का औचित्य 13-14
6. इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के मायने 15-16
7. हिंदू कुश हिमालय: महत्त्व और खतरे 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-28
- पर्यावरण 29-33
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
- आर्थिकी 39-43
- विविध 44-48
- ब्रेन-बूस्टर 49-55

प्री स्पेशल

- पावर पैक्ड न्यूज 56-59
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 60
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 61
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 62-64
- आर्थिकी 65-78

पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजीम को खत्म करना जरूरी

रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ठीक ही कहा था कि गुड फेंसेज मेक गुड नेबर अर्थात बढ़िया बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। यह बात भारत और म्यांमार सीमा के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है जिसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम यानी मुक्त आवाजाही प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। दरअसल ऐसा निर्णय लेने के बारे में पिछले कुछ वर्षों से सोचा जा रहा था लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम हड़बड़ी में नहीं उठाना चाहती थी जिससे भारत-म्यांमार संबंध (जो पहले से ही संवेदनशील रहे हैं) पर कोई नकारात्मक असर पड़े। जब केंद्र सरकार ने हर तरीके से यह जान लिया कि म्यांमार से अवैध तरीके से पूर्वोत्तर भारत में आने वाले शरणार्थी तथा अवैध प्रवासी पूर्वोत्तर की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं तब सरकार ने यह कठोर फैसला लिया है।

- दरअसल, भारत म्यांमार की 1643 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से अधिकांश की बाड़बंदी नहीं हुई है और मणिपुर जो म्यांमार से करीब 390 किमी लंबी सीमा साझा करता है, उसकी तो केवल 10 किमी की सीमा पर फेंसिंग हुई है। इसके चलते म्यांमार (जो अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है) से भारत में अवैध ड्रग्स की तस्करी एक बड़ी समस्या बन रही है, वहीं रोहिंग्या, कुकी, चिन जैसे एथनिक समुदाय अवैध तरीके से नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर रहे हैं जिससे पूर्वोत्तर भारत की डेमोग्राफी में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इसलिए यह जरूरी था कि जिस मकसद के लिए भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम की व्यवस्था की गई थी यदि वह उस उद्देश्य को पूरा न करके भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनता है, तो उसे खत्म किया जाये।
- भारत सरकार ने दोनों देशों के आम स्थानीय जनजातियों की मुक्त आवाजाही की व्यवस्था की थी जिससे पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट बढ़े तथा सांस्कृतिक विनिमय को मजबूती मिले ताकि आपसी विश्वास दोनों देशों में बढ़ सके। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रेजीम की व्यवस्था इसलिए नहीं दी थी कि म्यांमार के अराजक तत्व पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन का षड्यंत्र करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोही गतिविधियां करने के लिए भड़का सकें तथा पूर्वोत्तर को हथियार, ड्रग्स, गोल्ड आदि चीजों की अवैध तस्करी करने का जरिया समझने लगें, बल्कि भारत सरकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर हाट खोलकर स्थानीय लोगों की आजीविका के संरक्षण का मानवीय कार्य किया है। कुल मिलाकर लेख का आशय यह है कि वैश्वीकरण के दौर में मुक्त आवाजाही पर बेवजह रोक लगाने की सोच भारत जैसा उदारवादी देश तो बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन अपनी राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए उसे कई कठोर फैसले करने होते हैं।

म्यांमार सीमा से जुड़ी भारत के लिए चुनौतियां:

- अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का 80 प्रतिशत हेरोइन उत्पादन करता है, जबकि वैश्विक आपूर्ति के 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। म्यांमार कोकीन की तस्करी के लिए भी जिम्मेदार है। चीन और म्यांमार के ड्रगलॉर्ड्स को एक दूसरे का सहयोग समय समय पर मिलता रहा है, लेकिन सर्वाधिक चिंता की बात तो यह है कि भारत म्यांमार की सीमा पर कई हेरोइन लैब्स सक्रिय हैं। मिजोरम में म्यांमार के रास्ते से एंफेटामाइन, याबा टैबलेट्स, क्रेजी ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त भी काफी बढ़ चुकी है जो उत्तर पूर्वी भारत के युवा मानव संसाधन को क्षति पहुंचा रही है।

क्या है फ्री मूवमेंट रेजीम?

- भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम को 2018 में लाया गया था। मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर एफएमआर की व्यवस्था रही है। इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में लागू किया गया था ताकि लोकल बॉर्डर ट्रेड को सुनिश्चित किया जा सके जिससे बॉर्डर रेजिडेंट्स को शिक्षा तथा हेल्थकेयर तक पहुंच में सहायता हो सके। इस प्रणाली के लाभ के बारे में भी भारत सरकार ने सोचा था कि इससे दोनों देशों के कूटनीतिक तथा सामरिक संबंधों में भी मजबूती आयेगी।
- उल्लेखनीय है कि फ्री मूवमेंट रेजीम, दोनों देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को एक दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक बिना किसी वीजा यात्रा करने की अनुमति देता है। यह दोनों पक्षों के समुदायों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सीमा पास (एक वर्ष की वैधता) दिखाने और वैध परमिट के साथ 72 घंटे तक रहने की अनुमति देता है। एथनिक आतंकवादी और कई अपराधी जब से इस फ्री मूवमेंट रेजीम का दुरुपयोग करने लगे, तब से मोदी सरकार पर यह विवशता आ गई कि इसके बारे में कुछ ठोस निर्णय लिया जाये। फ्री मूवमेंट रेजीम का गलत इस्तेमाल म्यांमार की तरफ से हथियारों, नशीले पदार्थों, तस्करी के सामानों और नकली भारतीय रुपये के नोटों की तस्करी के रूप में करने के कई प्रमाण असम राइफल्स पहले ही दे चुका है। जब से म्यांमार में कुकी-चिन समुदाय पर सरकार की कार्यवाही हो रही है तब से फ्री मूवमेंट रेजीम का उपयोग अवैध प्रवास के लिए किया जाने लगा है।

अवैध शरणार्थियों का गंभीर होता मुद्दा:

- गौरतलब है कि फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के

बाद से अनुमान है कि 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली है और लगभग 4,000 शरणार्थियों ने मणिपुर में। ऐसे प्रवासियों की पहचान के लिए मणिपुर सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने उनकी संख्या 2,187 आंकी गई है। 2023 में मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अवैध रूप से म्यांमार के प्रवासियों को पहाड़ियों के नए गांवों में बसा रहे हैं जिससे वनों की कटाई हो रही है और इसी आधार पर मणिपुर सरकार ने फ्री मूवमेंट रेजीम की समीक्षा करने की अपील केंद्र सरकार से की थी।

- भारत-म्यांमार बॉर्डर पर म्यांमार के विद्रोहियों द्वारा वहां के मिलिट्री जुंटा की पुलिस ठिकानों पर लगातार हमले के बाद से 74 से अधिक म्यांमारी सैनिक पूर्वोत्तर भारत में आ गए थे। इससे पूर्व म्यांमार के 29 सैनिक पिछले साल 16 नवंबर को मिजोरम में प्रवेश कर गए और फिर इन सैनिकों को भारत के प्रतिरक्षा प्राधिकारियों ने मणिपुर के मोरेह से एयरलिफ्ट किया था। इन सब संदर्भों को ध्यान में रखकर फ्री मूवमेंट को रेगुलेट करना आवश्यक हो गया था। भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रही है। रेल, रोड, जलमार्ग, वायुमार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाकर पूर्वोत्तर के समावेशी विकास का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, बॉर्डर आउटपोस्ट्स, बॉर्डर फेंसिंग जैसी बातों पर ध्यान देकर सुरक्षा तंत्र से भी कोई समझौता न करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है।

भारत सरकार का रोहिंग्या मुद्दे पर दृष्टिकोण:

- भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, परन्तु अनाधिकारिक आंकड़ा इससे भी ज्यादा है क्योंकि ये बांग्लादेश से भारत में स्थल मार्ग से पहुंचे हैं। भारत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है और इन्हें इनके मूल देश वापस भेजने के लिए प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते पर कार्य कर रहा है। बहुत लोगों को भारत के इस निर्णय पर आश्चर्य हुआ है कि मानवाधिकारों तथा आत्म निधरिण अधिकारों की बात करने वाला भारत सभी रोहिंग्या लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कैसे कह सकता है? भारत को अपने पड़ोसी प्रथम की नीति और गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ने की संभावना है। यदि भारत ने रोहिंग्या का साथ दिया, तो किसी न किसी रूप में उस पर तमिलों, मधेशियों, चकमा लोगों को भी सुरक्षा देने का दबाव पड़ेगा जिससे भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण एशिया में भी रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने का कोई क्षेत्रीय विधान नहीं हैं। इन संदर्भों को ध्यान में रखकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1951 पर न हस्ताक्षर किया है और न ही संयुक्त राष्ट्र के एंटी टॉर्चर कन्वेंशन, 1987 का अनुसमर्थन किया है। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग है। उसने असम में भारी तादाद में बांग्लादेश से आए चमका शरणार्थियों और उनसे पैदा होने वाली चुनौतियों को काफी झेला है। रोहिंग्या के संदर्भ में सुरक्षा संबंध का एक अलग ही गंभीर आयाम है। इस संकट में तीन राष्ट्रों के हित प्रभावित हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव न उभरने देने के लिए यह जरूरी है कि भारत रोहिंग्या के प्रत्यावर्तन पर ठोस कार्यवाही करे।

सतत विकास लक्ष्यों को बनाना होगा वैश्विक आंदोलन

7 से 9 फरवरी के बीच नई दिल्ली में दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के द्वारा 'वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, 2024' का आयोजन किया गया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के सतत विकास लक्ष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जलवायु न्याय को नॉर्थ स्टार के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बैठक में कहा गया है कि पूरा विश्व परस्पर एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जिससे अत्यधिक जरूरी हो गया है कि सामूहिक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को जल्द प्राप्त करने की कार्यवाही हो। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में भाग लेने पहुंचे गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने भी आग्रह किया कि विश्व समुदाय को गंभीर समस्याओं से बचाने के लिए सतत विकास के लक्ष्य की कथनी और करनी में भेद मिटाना होगा। इस बैठक में कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का एक संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है अन्यथा पृथ्वी की धारणीय क्षमता बिगड़ती चली जायेगी। उपभोग मानकों में सुधार किए बगैर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटना संभव नहीं है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, 2024 में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात ये की गई कि वित्तीय या राजकोषीय ताकत ही जल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जैसे संसाधनों के प्रयोग और दोहन का निर्धारक नहीं होना चाहिए। यहां पर महात्मा गांधी जी के कथन की प्रासंगिकता देखी जा सकती है जिसका उल्लेख भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, 2024 में किया। गांधी जी का कहना था कि यह धरती सभी व्यक्तियों की जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन उनके लालच को नहीं।

सतत विकास लक्ष्यों को गंभीरता से लेना जरूरी:

- 25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट के 193 देशों ने जिस सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा या एजेंडा 2030 को अपनाया था, उसे 8 वर्ष पूरे हो गए। इसके चलते विश्व भर की राष्ट्रीय सरकारों के सामने यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उन्होंने सतत विकास के सिद्धांत पर कितना काम किया, कौन सी नीतियां बनाई और क्या विधायी उपाय किए? पिछले वर्ष सितंबर माह में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में भी यह महत्त्वपूर्ण विषय रहा कि कोरोना महामारी ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में किस प्रकार बाधाएं खड़ी की हैं और इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

निर्धनता और भुखमरी से जुड़ी चुनौती:

- सतत विकास लक्ष्य 1 और 2 क्रमश: निर्धनता और भुखमरी उन्मूलन की बात करता है। सामाजिक और मानव पूंजी के निर्माण के लिए यह आवश्यक शर्त है लेकिन कोविड 19 ने इस लक्ष्य प्राप्ति के वैश्विक अभियानों पर गंभीर चोट किया है। यूएनडीपी के इक्वेटर पहल जैसे अभियान जो दुनिया भर के देशों की स्थानीय जनसंख्या के आजीविका संरक्षण लक्ष्य से प्रेरित हैं, वे आज नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ समय पूर्व ही श्रमिकों के कामकाज तथा उनकी स्थिति पर इस आपदा के प्रभाव से संबंधित अपनी रिपोर्ट साझा की थी जिसका कहना था कि कोरोना वायरस संकट दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट के रूप में देखा गया। कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। ऐसे में रोजगार सृजन और आय सुरक्षा जरूरी हो जाता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी चुनौती:

- अच्छा स्वास्थ्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास लक्ष्य 3 और 4 के रूप में अंगीकृत किए गए हैं। इन दोनों लक्ष्यों के सामने गंभीर चुनौतियां कोरोना काल के पहले से बनी हुई हैं जो राष्ट्रीय सरकारों से इस दिशा में बेहतर कार्य करने की अपेक्षा रखती हैं। जेनेरिक दवाओं, वैक्सीन और बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के अभाव की खबर लगातार मिलते रहे हैं। कुछ राष्ट्र स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान कार्य पर खर्च करने का तर्क और महत्त्व समझ चुके हैं, परन्तु अभी भी कई विकासशील देशों में यह काफी कम है जिसके चलते वहां शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, वृद्धों और दिव्यांगों की मृत्यु दर उच्च बनी हुई है।

महिला सशक्तीकरण और सतत विकास लक्ष्य:

- लैंगिक समानता (5वें) और शुद्ध जल तथा स्वच्छता (6वें) सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया के 193 देशों को प्राप्त करना है। यद्यपि महिलाओं और किशोरियों के सशक्तीकरण का लक्ष्य ग्लोबल फोरम द्वारा हाल के वर्षों में जोर शोर से उठाया गया है लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली प्रवासी मजदूर महिलाएं, पुरुषों के समान वेतन होने के दावों के बावजूद आर्थिक भेदभाव का दंश झेलने को अभी भी मजबूर हैं। कई इस्लामिक देशों में अभी भी महिला शिक्षा में अड़चनें पैदा करने के लिए कट्टरवादी तथा परंपरावादी पितृसत्तात्मक मूल्यों को मजबूती देने के प्रयास किए गए हैं। इसमें अफगान तालिबान समेत नाईजीरिया का बोको हराम संगठन प्रमुख है। सिविल युद्ध, नृजातीय संघर्षों तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महिला शरणार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। यौन शोषण के साथ ही यौन दासता जैसे पीड़ादायक दंश शरणार्थी और प्रवासी महिलाओं के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। वैश्विक संगठनों

में महिला सशक्तीकरण के लिए जिन सहभागिता मूलक अभियानों को चलाया गया है, उसमें भी उच्च और कुलीन वर्ग की महिलाओं को बेहतर स्थान मिल जाने भर से सतत विकास लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाएगा। जी-20 या ब्रिक्स या किसी भी अन्य संगठन में शीर्ष पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से अधिक काम राष्ट्रीय सरकारों को करना अभी बाकी है। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली को कैसे रोजगारपरक बनाया जाए तथा शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड के साथ अन्य वर्ग विभाजन की दशाओं को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए राष्ट्रों को गंभीरता से सोचना होगा।

ऊर्जा संकट को दूर करने की आवश्यकता:

- वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा तथा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी सतत विकास लक्ष्य के रूप में निर्धारित हैं। दुनिया भर के देशों को आज अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था बनने, यूरोपीय देशों की तरह जीवाश्म ईंधन और थर्मल पावर प्लांट्स को खत्म करने की दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित वैश्विक प्रायोगिक मूल्य बनाने के लिए सकारात्मक गठजोड़ करना होगा। इस दिशा में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर एलायंस और वैश्विक स्तर पर कुछ वर्ष पूर्व गठित किए गए हाइड्रोजन काउंसिल की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने का उपाय सभी देशों को करना होगा।
- दुनिया के सभी देशों के मन में सर्वाधिक तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने का भाव होता है, भारत के मन में भी ऐसा है। कुछ समय पूर्व देश को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की मंशा केंद्र सरकार ने प्रकट की थी। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि श्रमिकों, मजदूरों को उचित कार्य दशाओं, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बीमा दिए बगैर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर देकर आर्थिक संवृद्धि की धारणीयता को सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं जिन्हें मजबूती देने के लिए आमूलचूल सुधार करने की जरूरत अनवरत बनी रहती है।
- उद्योग, नवाचार और अवसंरचना को वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह दिशा देने की जरूरत है जिससे आगामी पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। यह सतत विकास लक्ष्य तब पूरा होगा जब आर्थिक और अन्य गतिविधियों में विकसित तथा विकासशील देशों के द्वारा संरक्षण वादी प्रवृत्ति को छोड़ा जाएगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों को समुचित संरक्षण दिया जाएगा, ग्लोबल रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए साझेदारियां की जाएंगी। इसके साथ ही असमानता और भेदभाव को खत्म करना भी जरूरी हो जाता है फिर चाहे वह ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा हो या क्षेत्रीय विषमताओं का।
- जिस गति से आज विश्व में शहरीकरण बढ़ा है, उससे स्पष्ट है कि आगामी समय में दुनिया की सर्वाधिक आबादी शहरों में होगी। सुविधाओं के बड़े केंद्र के रूप में माने जाने वाले इन शहरों में संसाधनों के ऊपर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अर्बन फ्लड, क्षरित होती आर्द्रभूमियों, विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों को बचाने के लिए शहरों की सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान रखना दुनिया के सभी देशों के लिए जरूरी हो गया है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जलवायु परिवर्तन की मार से निपटने की मजबूत रणनीति जरूरी है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षरण के साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण बनाम विकास के द्वंद को दूर करना होगा।
- इस दिशा में महासागरीय विवादों को दूर करने, ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए सहमति बनाने, अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती, सागरीय कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण, सागरों पर ग्लोबल वार्मिंग की मार से महासागरों को बचाना जरूरी है। लुप्त होती समुद्री जैवविविधता के लिए राष्ट्रों को बिना शर्त एक साथ आने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऐसा किया जाना जरूरी है और इसके लिए सभी राष्ट्रीय कानूनों में महासागरीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रावधान होना चाहिए।
- आज विश्व में जिस तरह से बहुपक्षीयतावाद का क्षरण हो रहा है, उसको देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में आस्था और विश्वास को मजबूती देने की जरूरत है लेकिन इसके साथ ही वैश्विक संगठनों को अपनी भूमिका को भी निष्पक्ष, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की कोशिश करनी होगी जिससे राष्ट्रों के मन में उनके लिए विश्वसनीयता का भाव बना रहे। इन्हीं संस्थाओं की कार्यकुशलता पर वैश्विक शांति और न्याय की उपलब्धता निर्भर करती है जिसके लिए राष्ट्रों के बीच वैश्विक साझेदारियां जरूरी हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक आपदा प्रबंधन तथा वैश्विक पीसकीपिंग गठजोड़ जैसे कई अन्य क्षेत्र हैं जहां वैश्विक समावेशी विकास के लिए साझेदारियां करनी जरूरी हैं।

अंतरिम बजट 2024-25 में सामाजिक न्याय और विकास में संतुलन साधने की कोशिश

बजट एक लोककल्याणकारी प्रकृति वाले देश में जनता की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का जरिया होता है। हर साल जब भी बजट पेश होता है उस समय पूरे देश की निगाहें इस बात पर होती हैं कि आने वाले वर्षों में किस आर्थिक दृष्टि एवं दृष्टिकोण के साथ देश के विकास को सामाजिक न्याय के साथ संलग्न किया जायेगा? देश की अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्रोतों का जरिया क्या होगा और आर्थिक माहौल किस तरह का बनाया जायेगा जिससे देश के हर क्षेत्र में विकास के मानक स्थापित हो सकें।

- इसी कड़ी में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र तथा 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में बहुत से पहलुओं पर बात की गई जिसमें सबसे अधिक सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। दरअसल देश के संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना सरकारों का दायित्व बनाया गया है। इस बजट में केंद्र सरकार ने चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर फोकस करते हुए 'गरीब कल्याण, देश का कल्याण' के आदर्श को सामने रखा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है जिससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली है और 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर दिया गया है, वहीं पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद की बात इस बजट में की गई है। इस अंतरिम बजट में आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है अर्थात सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है।

कृषक कल्याण पर विशेष ध्यान:

- अन्नदाता यानी किसानों के कल्याण पर इस बजट में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है जिससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवई समिति का गठन भी इस सरकार द्वारा किया गया था।
- यह अंतरिम बजट देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ नैनो-डीएपी के प्रयोग और डेयरी विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। सरकार 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक संबल व 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान कर रही है। स्टोरेज और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के महत्त्वपूर्ण निर्णयों से अन्नादाताओं की समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है।

नारी शक्ति की सुदृढ़ता पर ध्यान देता बजट:

- 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में नारी शक्ति पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने आंकड़े देते हुए बताया है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण और उनका आर्थिक स्वावलंबन भी मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा है। उच्च शिक्षा के अन्य स्तरों पर लैंगिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन हुआ है जो दुनिया में सबसे अधिक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) की अवधारणा 'यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन' (NSF) द्वारा वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई थी। संगठन ने 'STEM' का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञान एवं कौशल को एकीकृत करने वाले पाठ्यक्रम में कॅरियर को संदर्भित किया था। यह एक अंत:विषयक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से 4 विशिष्ट विषयों 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित' में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित एक पाठ्यक्रम है। गौरतलब है कि भारत उन देशों में से एक है जहाँ सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद हैं पिछले कुछ वर्षों में 'STEM' की वृद्धि में काफी तेजी आई है। बजट में कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा।

बजट में आवास सुविधा पर जोर:

- अंतरिम बजट में बताया गया है कि पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा,

वहीं अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य रखा गया। पीएम आवास योजना की मौजूदा समय सीमा दिसंबर 2024 तक है जिसे पांच साल तक बढ़ाया गया है। पिछले बजट में पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66% बढ़ाया गया था। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

सौर ऊर्जा पर जोर:

- अंतरिम बजट 2024-25 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रियता लाने की मंशा व्यक्त की गई है। छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और नि:शुल्क बिजली की बात इस बजट में की गई है। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बजट में कहना था कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को की थी। इसके तहत गरीब या मध्य वर्ग के लोगों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे लोगों को बिजली के भारी बिलों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही वे अधिशेष बिजली को बेच भी सकते हैं। इस योजना के तहत साल 2026 तक 40 हजार मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक इस योजना से महज 11,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाया।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार:

- अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किए जाने की बात की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख तक के नि:शुल्क उपचार का लाभ दिया जाता है। इसके लिए देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत भर्ती होने से एक सप्ताह पहले से ही जांच और डिस्चार्ज होने के बाद 10 दिन तक का खर्च दिया जाता है। बजट आने से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के बीमा कवर की रकम को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बजट के प्रावधान:

- अंतरिम बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं जिसमें रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पूरे देश में 2017-18 से एक व्यापक योजना-प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है जिसका उद्देश्य खेतों से खुदरा आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, कृषि उपज की बर्बादी को कम करता है, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाता है और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बेहतर बनाता है।
- बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है। इस बजट में आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार पर बल दिया गया है।

बुनियादी ढांचा और रेलवे संरचना:

- इस अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी, वहीं लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा (ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट) कार्यक्रमों की पहचान की गई है।

हरित ऊर्जा पर फोकस:

- अंतरिम बजट हरित ऊर्जा के विकास हेतु प्रतिबद्धता दर्शाता है। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र की उपलब्धियों को बताता बजट:

- इस अंतरिम बजट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गयी है। उड़ान योजना के अंतर्गत और अधिक शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नये वायुयानों की खरीद का ऑर्डर देकर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं।
- नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। खुदरा व्यापार के लिए प्रीजम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई है। कॉरपोरेट टैक्स का रेट मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है, जबकि कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15 प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री का कहना था कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2024-25 में कुल 30.80 लाख करोड़ का खर्च और कुल 47.66 लाख करोड़ व्यय रहने का अनुमान है।

लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूती देता भारत

भारत-लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 2027 तक 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का कहना है कि भारत और लैटिन अमेरिका को यह लक्ष्य तय करना चाहिए। 2022-2023 में दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार 50 बिलियन डॉलर का था जबकि भारत का ब्राजील को किया गया निर्यात 10 बिलियन डॉलर था जो कि जापान को भारत द्वारा किए गए निर्यात से दोगुना था। भारत को यदि विदेश व्यापार नीति के तहत अपने व्यापार को अधिक विविधतामूलक बनाना है तो उसे नए क्षेत्र के बाजारों को ढूढ़ना होगा और उन बाजारों की मांग के हिसाब से उत्पादों का निर्यात करने की नीति बनानी होगी।

हाल के समय में लैटिन अमेरिकी देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेनों को लेने में रुचि दिखाई है जिसमें चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। केंद्र सरकार भी इसी अनुरूप लक्ष्य तय करते दिखी है। इंडियन रेलवे 2025-26 तक यूरोप और दक्षिण अमेरिकी देशों में वंदे भारत ट्रेनों का प्रमुख निर्यातक बनने की दिशा में काम भी कर रही है। इसके साथ ही भारत लैटिन अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी देशों (अर्जेंटीना और चिली) के साथ लिथियम आपूर्ति के लिए समझौतों को लेकर भी गंभीर है। ये दोनों लैटिन अमेरिकी देश लिथियम के लगभग 30 से 35 प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। चिली में वैश्विक लिथियम भंडारों का 11 प्रतिशत है। इसे संदर्भ में रखते हुए भारत सरकार व्हाइट गोल्ड कहे जाने वाले लिथियम की प्राप्ति के लिए लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है।

भारत का लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध:

- 1960 के दशक से भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अंतर्संपर्क शुरू किए थे। शीत युद्ध की राजनीति भारत के विश्व के कई क्षेत्रों से देर से जुड़ने की वजह बनी थी लेकिन भारत 1950 के दशक से ही एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के अधिकारों तथा आत्म निर्धारण के अधिकारों का समर्थन करता आया है। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1961 में मैक्सिको की यात्रा की थी। मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश था जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देते हुए 1950 में ही कूटनीतिक संबंधों की स्थापना किया था। मैक्सिको की गेहूं की प्रजाति सोनोरा ने भारत की हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी की 1968 में आठ लैटिन अमेरिकी देशों (जिनमें मुख्य रूप में ब्राजील, चिली, उरूग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया और वेनेजुएला शामिल थे) की लंबी यात्रा उस क्षेत्र के साथ भारतीय राजनय का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाता है। अक्टूबर, 1968 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वेनेजुएला की यात्रा की थी। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने का फैसला किया। इस क्षेत्र में बाद में हुई कुछ प्रधानमंत्री स्तरीय यात्राएं प्रमुखत: बहुपक्षीय कार्यक्रमों के लिए हुई हैं। हाल के दशक में भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा लैटिन अमेरिका की कुछ यात्राएं की गई हैं। चिली, वेनेजुएला और क्यूबा के तीन विदेश मंत्रियों (जो 'कम्यूनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरीबियन स्टेट्स-CELAC के प्रतिनिधि हैं) की अगस्त 2012 में भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी। संयुक्त घोषणा से इस पैन-रीजनल संगठन (जो सभी तैंतीस देशों को एक ही छत्र के अंतर्गत लाता है) के साथ भारत के संबंधों की नई शुरूआत हुई। इसी क्रम में भारत को डायनामिक पेसिफिक अलायंस (जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली शामिल हैं) के ऑब्जर्वर सदस्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ।

लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का महत्त्व:

- लैटिन अमेरिका क्षेत्र की सामूहिक अथवा संयुक्त जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है और विश्व की 600 मिलियन आबादी इस क्षेत्र में रहती है। संयुक्त राष्ट्र के लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई आर्थिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में लैटिन अमेरिका ने 224.57 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया था जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक था। 2022 में लैटिन अमेरिका में होने वाली एफडीआई में 55.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें ब्राजील, मेक्सिको और चिली की प्रमुख भूमिका रही। ब्राजील ने अकेले 41 प्रतिशत एफडीआई आकर्षित किया जबकि मेक्सिको और चिली ने क्रमश: 17 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत एफडीआई आकर्षित किया। लैटिन अमेरिका आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र है जिसमें राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संरचनाओं के प्रसार, सक्रिय उद्यमी वर्ग और युवाओं की संख्या के चलते यह आर्थिक रूप से एक लाभकारी क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका की आधी से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है जो कार्यशील जनसंख्या की स्थिति को दर्शाता है।
- एलएसी क्षेत्र के कई देश कृषि उत्पादन का बड़ा केन्द्र है जिनके पास निर्यात के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध है, यहीं वजह है कि इस क्षेत्र को ग्लोबल ब्रेड बास्केट कहा जाता है। भारतीय कम्पनियां एलएसी क्षेत्र के देशों के साथ दलहन और खाद्यान्नों की खेती के लिए संयुक्त उपक्रम लगा रही हैं। भारतीय कम्पनियां यहां कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए भंडारण क्षेत्र में भी निवेश कर सकती हैं। डेयरी फार्मिंग, बीजों और दलहनों की खेती के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियां बेहतर तौर तरीकों को साझा करके अनुसंधान कार्य कर सकती हैं।

लैटिन अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार:

- एलएसी (लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश) क्षेत्र में 43 देश

शामिल हैं जिनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरु, चिली, कोलम्बिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, पनामा और क्यूबा भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदार है। 2014-15 के दौरान भारत और एलएसी देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 38.48 अरब डॉलर, 2015-16 में 25.22 अरब डॉलर, 2016-17 में 24. 52 अरब डॉलर और 2017-18 में 29.33 अरब डॉलर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर हुए उतार-चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा।

- 2022-2023 में दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार 50 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि भारत का ब्राजील को किया गया निर्यात 10 बिलियन डॉलर रहा। भारत दक्षिण अमेरिकी देशों के संगठन मर्कोसुर के साथ वरीयता मूलक व्यापार समझौता और मुक्त व्यापार समझौते की संभावना पर भी पिछले कुछ समय से विचार हो रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत का लैटिन अमेरिकी देश चिली के साथ वरीयतामूलक व्यापार समझौता हो चुका है जिसे मजबूती देने की जरूरत है।
- भारत, लैटिन अमेरिका के साथ रिश्तों को सशक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जहां भारत ग्वाटेमाला को मध्य अमेरिका में प्रवेश द्वार के लिए सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है। भारत ने ग्वाटेमाला को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। ग्वाटेमाला ने वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की सदस्यता का समर्थन किया था, जबकि भारत वर्ष 2031-32 के लिए ग्वाटेमाला की सदस्यता का समर्थन करेगा। वर्ष 2018 में भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू की यात्रा की गई जिसे लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाने की कड़ी के रूप में देखा गया। भारत सरकार द्वारा इस यात्रा को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के साथ 'सम्पर्कों में उच्च स्तर की कमी' को पूरा करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था।
- ब्राजील (लैटिन अमेरिका और कैरिबियन) क्षेत्र में भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है तथा दोनों देशों के बीच 2022 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 15.2 बिलियन डॉलर हो गया। चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चिली के आयात में तांबे का 85 प्रतिशत से अधिक योगदान हैं। हमें व्यापार को और मजबूत बनाने के लिए अपने व्यापार में विविधता लानी चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए चिली ने पहले ही घोषणा की है कि वह वैध अमेरिकी वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा। सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता और ताकत के कारण भारतीय आईटी कंपनियां लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र में भी संयुक्त उपक्रम लगा रही हैं।

फार्मा क्षेत्र में संबंध बढ़ाने पर जोर:

- फार्मा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के कारण भारत से लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों को होने वाले निर्यात में दवाओं का बड़ा स्थान है। इन देशों के आयात में भारत से निर्यात होने वाली दवाइयों का हिस्सा तीन प्रतिशत से ज्यादा है। भारत की कुछ फार्मा कंपनियों ने लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों में अपनी उत्पादन इकाइयां भी स्थापित कर रखी हैं। स्थानीय क्षेत्रों में दवाओं की आपूर्ति के अलावा यह कंपनियां क्षेत्र से बाहर अमेरिका और अन्य देशों को भी दवाओं का निर्यात करती हैं। इससे एलएसी देशों में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन क्षेत्रों से अन्य देशों को जेनेरिक दवाओं निर्यात बढ़ रहा है।

लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करने का औचित्य

लिव इन रिलेशनशिप भारत की सामाजिक व्यवस्था में एक गंभीर मुद्दे के रूप में देखा गया है क्योंकि यह परिवार, विवाह, किनशिप जैसी संस्थाओं पर प्रभाव डालने वाला है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह मुद्दा सहमति बनाम स्थापित सामाजिक नैतिक मानदंड से जुड़ा है। भारत जैसे देश में हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कानून बनाए गए हैं और उसकी सुरक्षा की गई है लेकिन अधिकार बनाम सामाजिक व्यवस्था में संतुलन भी जरूरी है। इसी आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड और लिव इन रिलेशनशिप के गुण दोषों की पहचान की जाती रही है।

प्रेमी युगल का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में साथ रहना लिव-इन रिलेशनशिप कहलाता है। लिव-इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी परिभाषा अलग से कहीं नहीं लिखी गई है। भारत की संसद में भी इससे जुड़ा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। आसान भाषा में इसे दो वयस्कों का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। कई कपल इसलिए लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि यह तय कर सकें कि दोनों शादी करने जितना कंपैटिबल हैं या नहीं। कुछ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।

लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड के नए कानून की मुख्य बातें:

हाल ही में उत्तराखंड सरकार के समक्ष यूसीसी समिति द्वारा रखी गई रिपोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। राज्य सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया और उसे विधानसभा से भी अनुमति मिल गई है। इस समिति की लिव इन पर मुख्य सिफारिशें यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के भाग के रूप में हैं जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं:

- इस समिति ने साफ तौर पर कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी दी जा सकती है लेकिन इसके लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और उसको लिव इन रिलेशनशिप का एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 21 वर्ष से अधिक की आयु के लिए यह बाध्यता नहीं रहेगी।
- उत्तराखंड का यूसीसी विधेयक कहता है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले को जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसी रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए एक महीने से ज्यादा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा, तो उन्हें तीन महीने की जेल की सजा या 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जानकारी को संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है, तो दोषी पाए जाने पर तीन महीने की जेल या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
- विधेयक के मुताबिक, ऐसी लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या उसे वैध नहीं माना जाएगा, अगर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है। इसके अलावा, अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है तो उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है और वह लिव-इन में किसी के साथ रह रहा है तो वह भी अवैध माना जायेगा। लिव-इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा, जब दोनों पार्टनर की इसमें सहमति हो। अगर धोखे, जबरदस्ती या डरा-धमकाकर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी अवैध माना जाएगा।
- जब लिव इन रिलेशनशिप का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तब सर्वोच्च न्यायालय ने बाल अधिकार और बालकों के जायज हक के पक्ष में बात की थी। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है कि उसके माता पिता ने धार्मिक रीति रिवाजों और कानूनी ढंग से विवाह नहीं किया। ऐसे बच्चे वैध माने जाएं और समाज में उन्हें गलत दृष्टि से न देखा जाये। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से संगति रखते हुए उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक में कहा गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। विधेयक के मुताबिक, दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक लिव-इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है तो उन्हें इसकी डिक्लेरेशन देनी होगी।
- उत्तराखंड की सरकार ने सोच समझकर यह प्रावधान रखा है। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे में कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे एडल्ट्री की संभावना को रोकना और लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों की वैधता के प्रश्न को भी हैंडल करना। भरण पोषण राशि देने से जुड़े सवाल भी इसमें निहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लिव इन रिलेशनशिप होता है तो अंतर धार्मिक संपर्कों से लव जिहाद की संभावना को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। अलग-अलग धर्मों के युगल बिना सोचे विचारे जब लिव इन में रहते हैं तो बाद में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे- धर्म, विचार, मान्यता, पूजा पाठ पद्धतियां, खानपान से जुड़े मामलों में अंतर इत्यादि। ऐसे में कम समय में ही जो एडजस्टमेंट और एकोमोडेट करने की भावना होती है वह टूट जाती है। लिव इन से ब्रेक अप के बाद ब्लैकमेलिंग जैसी कई नकारात्मक प्रवृत्तियों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
- वैसे तो संविधान का अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कहीं भी रहने और बसने का अधिकार देता है, लेकिन

इसे नैतिक आचरणों, शालीनता तथा सदाचार के तहत होना जरूरी है। लिव इन रिलेशन की प्रथा को सुस्थापित वैवाहिक परंपराओं को खतरे में डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाया है ताकि ऐसे जोड़ों को कहीं रहने के लिए किराये पर मकान लेने में कोई कानूनी अड़चन न आए, साथ ही इससे लिव इन रिलेशनशिप को गंभीरता से लेने वालों की पहचान भी रजिस्ट्रेशन के जरिए हो सकेगी।

भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी आधार:

- सन् 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसॉलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप को वैध माना था और कहा था कि कोई भी एडल्ट कपल एक साथ रहने या शादी करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में लिव-इन-रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। लिव-इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में ही है। अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ऐसे रिलेशन को लिव इन नहीं माना जाएगा जिसमें कपल कभी साथ रहें और कभी अलग या कुछ दिन साथ रहने के बाद अलग हो जाएं।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के अधिकार:

देश की संसद ने लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई कानून नहीं बनाया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के जरिए लिव-इन वाले रिश्तों को कानूनी समर्थन देता रहा है।

- **बच्चे को सुरक्षा का अधिकार:** लिव-इन-रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भारतीय न्यायपालिका की तरफ से सुरक्षा का अधिकार है।
- **महिला पार्टनर को भरण पोषण का अधिकार:** CrPC की धारा-125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार है। इसी धारा में लिव-इन वाली महिलाओं को भी भरण-पोषण का अधिकार है।
- **बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार:** बालसुब्रमण्यम बनाम सुरत्तयन (1993) मामले में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पहली बार वैधता मिली थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई महिला या पुरुष काफी सालों तक साथ रहते हैं, तो एविडेंस एक्ट की धारा-114 के तहत इसे शादी माना जाएगा। इसलिए लिव-इन में पैदा हुए बच्चे को भी वैधता मिलेगी और पैतृक संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा।

उत्तराखंड और गोवा के यूसीसी में तुलना:

- उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक को गोवा में 157 साल पहले बने कानून से बेहतर माना गया है। गोवा में यूसीसी के तहत जहां प्रत्येक पति-पत्नी को स्वामित्व अथवा अर्जित जमीन पर बराबरी का हक दिया गया है, वहीं उत्तराखंड में संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है।
- ऐसा दावा किया गया है कि गोवा में कैथोलिक ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग-अलग नियम हैं, जबकि उत्तराखंड के यूसीसी में सभी के लिए समान अधिकार प्रस्तावित किए गए हैं। गोवा में अन्य समुदायों के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर किया जाएगा, वहीं उत्तराखंड में सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी है। गोवा के यूसीसी में चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है, वहीं उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी संभव नहीं है। गोवा का कानून कहता है कि हिंदू पुरुष, पहली पत्नी से बच्चा पैदा न होने पर दूसरा विवाह कर सकते हैं।
- गोवा का कानून ये भी कहता है कि जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां रजिस्टर्ड हैं, वह बहु विवाह नहीं कर सकते हैं अर्थात मौखिक तलाक का प्रावधान नहीं है। गोवा के कानून में प्रावधान है कि तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को पाने का अधिकार है, वहीं उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक में प्रावधान है कि संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार होगा।
- इस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के तर्कपूर्ण निर्णयों से संगति रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को सिरे से खारिज करने की कोई कठोरता नहीं दिखाई है, बल्कि इसे एक अनुचित प्रथा बनने से रोकने के लिए प्रावधान किए हैं। लिव इन रिलेशन के मामलों में पारदर्शिता और जोड़ों की जवाबदेही को उत्तराखंड की सरकार ने जरूरी माना है।

इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के मायने

राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा और उससे जुड़ी पारदर्शिता भारत की चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी बहसों में से एक रही है। जब से राजनीतिक दलों को डोनेशन देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई तब से इस बात पर चर्चा बढ़ गई कि इलेक्टोरल बांड के माध्यम से जो भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को डोनेशन देंगे, उससे जुड़ी राशि तथा संबंधित नाम को उजागर करना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्तियों के या मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र भी शामिल थे) ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए कहा है कि राजनीतिक चंदों के मामलों में ब्लैक मनी से निपटने के सूचना के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

चुनावी बॉन्ड का डेटा साझा करने का निर्देश:

- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को तुरंत रोकने का आदेश देते हुए कहा है कि 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें, साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे ताकि राजनीतिक चंदों के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।'
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना पारदर्शिता को छुपाना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है जिसके आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।

इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम:

- भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 2018 अधिसूचित किया था। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत में निगमित या स्थापित हो। एक व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(क) के तहत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें लोक सभा के पिछले आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में डाले गए वोट में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो, उन्हें ही इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने का पात्र बनाया गया था।
- केंद्र सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था कि चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।

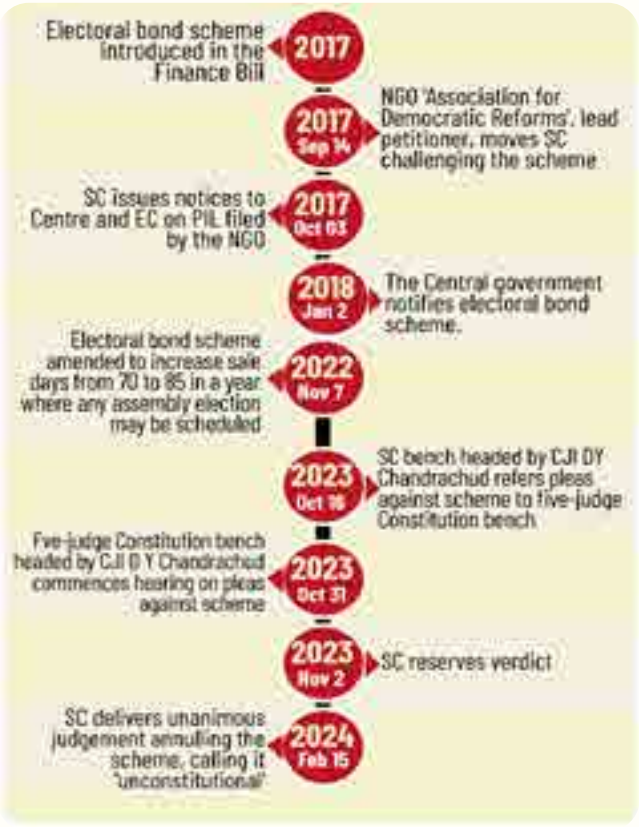

इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने का प्रभाव:

- राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि इस स्कीम में ये नहीं पता

लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए? इस तरह सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सूचना के अधिकार को मजबूती देगा। ऐसा माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले अज्ञात तथा असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग पर रोक लगेगी।

- इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिकाएँ दायर की गई थीं, उनमें कहा गया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि किहोतो होलोहन बनाम जचिल्हु केस में लोकतंत्र, विधि के शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया था। इन सभी की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है।
- चुनाव में खर्चों और पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में कॉर्पोरेट डोनेशन का 90 फीसदी अकेले बीजेपी को मिला। 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों ने 850.438 करोड़ रुपए चंदा के रूप में मिलने की घोषणा की थी जिसमें केवल बीजेपी को 719.85 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि कांग्रेस को 79. 92 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का औचित्य यह माना जा रहा है कि इससे किसी एक दल को राजनीतिक चंदों का लाभ न मिले। चूंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो यह जरूरी है कि सभी दलों को समान अवसर उपलब्ध हों।

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी चिंताएं:

- चुनावी बॉन्ड स्कीम को अलग अलग लोगों ने अगल अलग हानि लाभों के साथ पेश किया है। इससे जुड़ी पहली चिंता ये मानी गई कि इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि प्रत्येक बॉण्ड को किसने खरीदा और उसे किसे दान दिया गया? एडीआर का कहना है कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड 'असंवैधानिक और अवैध' हो जाते हैं क्योंकि देश के करदाताओं को दान के स्रोत की जानकारी ही नहीं होती है।
- इस योजना के तहत यह भी नियम है कि जो भी पैसा राजनीतिक पार्टियों को दिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति या संस्था उस रकम को भेज रही है, उसकी जानकारी केवल भारत स्टेट बैंक को रहेगी। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति या पार्टी इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकेगी। व्यवस्था यह थी कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को पैसे दान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चुनिंदा भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां आप बैंक को पैसा देंगे और जिस पार्टी को पैसा देना होगा, उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद एसबीआई आपको पैसे लेकर उसकी जगह उतने ही रकम का एक बॉन्ड जारी कर देगी।
- अब आप वह बॉन्ड लेकर उस पार्टी के पास जाएंगे जिसको राजनीतिक चंदा देना चाहते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल को उस रकम को 15 दिन के अंदर भुनाना होगा। अगर यह टाइम लिमिट पार हो जाती है तो वह पैसा पार्टी के खाते में नहीं जाएगा बल्कि पूरा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष के खाते में चला जाता है।
- इसके अलावा, आलोचक कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉण्ड पूरी तरह से अनाम भी नहीं होते क्योंकि सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया? ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से ये जानकारी जुटा सकती है जिसका 'इस्तेमाल' आयकर जांच आदि द्वारा दान देने वालों को धमकाने में किया जा सकता है। एडीआर के सह-संस्थापक का मानना है कि 'इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, सत्ताधारी पार्टी को अनुचित फायदा पहुंचाने वाले होते हैं।'
- बहुत से विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता पर प्रारम्भ से ही सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-CPIM) और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना को यह तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था कि इसके जरिये राजनीतिक पार्टियां अनगिनत पैसा कमा सकती हैं। इसके अलावा यह योजना सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है जो कि भारतीय संविधान के मुताबिक, मूल अधिकार का हनन है।
- चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को कितना पैसा और कौन लोग देते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। 2018 में जब यह चुनावी बॉन्ड योजना प्रस्तावित की गई थी तो इस योजना में कहा गया था कि आप बैंक से बॉन्ड खरीद सकते हैं और पैसा किसी भी पार्टी को दे सकते हैं जिसे आप देना चाहते हैं लेकिन आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है, वहीं केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा कि धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। सरकार ने आगे तर्क दिया कि दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखना जरूरी है ताकि उन्हें राजनीतिक दलों से किसी प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार का कहना था कि चुनावी बॉन्ड से ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी क्योंकि जो भी रकम राजनीतिक पार्टियों को मिलेगी, वह बैंक खाते से होकर आएगी जिससे काले धन में कमी होगी।

निष्कर्ष:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे सभी राजनीतिक दलों को समान प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। दिनेश गोस्वामी कमेटी से लेकर आरबीआई और विधि आयोग की रिपोर्ट तक में चुनाव सुधार तथा राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता पर सुधार हेतु अनुशंसा की गयी है जिस पर विचार करने की जरूरत है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है जिसको जीवित रखने के लिए समानता और स्वतंत्रता को बनाये रखने की आवश्यकता है।

हिंदू कुश हिमालय: महत्त्व और खतरे

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के विशेषज्ञों ने हाई माउंटेन एशिया में प्रकृति के पतन को रोकने के लिए 'साहसिक कार्यवाही' और 'तत्काल वित्त' के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगायी है। संगठन ने एक बयान में पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) को 'कगार पर जीवमंडल-Biosphere on the brink' के रूप में माना क्योंकि 130 वैश्विक विशेषज्ञ अंतर सरकारी विज्ञान-नीति की तीसरे लीड लेखकों की बैठक 'जैव विविध ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर मंच (आईपीबीईएस)' के लिए नेपाल पहुंचे थे। शोधकर्ताओं ने एचकेएच क्षेत्र में प्रकृति और आवास में नुकसान की गति तथा पैमाने को 'विनाशकारी' बताया। एक बयान में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलुओं पर पहले ही बहुत देर हो चुकी है, साथ ही एचकेएच उत्तरी गोलार्ध में वार्मिंग की औसत दर से लगभग दो गुना अधिक गर्म हो रहा है।

हिंदू कुश हिमालय का महत्त्व:

- हिंदू कुश हिमालय, जीवन, संस्कृति और जैव विविधता का भंडार है जो हमारे चारों ओर की दुनिया का एक सूक्ष्म जगत है तथा लगभग दो अरब लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल के उद्गम स्थल के रूप में कार्य करता है। यह एक भौगोलिक मोड़ है जहां पृथ्वी कई क्षेत्रों, देशों, परिदृश्यों और भाषाओं को शामिल करते हुए एक साथ दिखाई देती है। आठ देशों में फैला हिंदू कुश हिमालय, दुनिया के 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसमें वैश्विक स्तर पर 200 पारिस्थितिक क्षेत्रों में से बारह, 575 संरक्षित क्षेत्र और 335 महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र शामिल हैं। एचकेएच (जो 3,500 किलोमीटर और आठ देशों में विस्तृत है) ध्रुवों के बाहर पृथ्वी पर अधिकांश बर्फ का घर है जिससे पूरे एशियाई महाद्वीप के हर दिशा में लगभग 12 नदियाँ बहती हैं।

- **एशिया का जल मीनार:** एचकेएच क्षेत्र दुनिया की एक तिहाई आबादी के लिए स्वच्छ पानी जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। पहाड़ी और दुर्गम वातावरण ने इस क्षेत्र को 'पृथ्वी का तीसरा ध्रुव' का उपनाम दिया है। इस क्षेत्र को एशिया के 'जल मीनार' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बर्फ और बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में पानी जमा है जो इस क्षेत्र की बड़ी नदियों को स्रोत प्रदान करता है।
- **कार्बन भंडारण:** ये क्षेत्र पहाड़ी मिट्टी, पानी, कार्बन और पोषक तत्वों के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उच्चभूमि आर्द्रभूमियों के साथ पर्वतीय वन जीवमंडल कार्बन भंडारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एचकेएच क्षेत्र में विशाल वन, रेंज और झाड़ियाँ हैं, इसलिए यह कार्बन भंडारण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **जैविक विविधता:** एचकेएच पर्वत भोजन, फाइबर और औषधीय पौधों सहित जैविक तथा कृषि विविधता का खजाना है। यह क्षेत्र औषधीय और सुगंधित पौधों, विभिन्न प्रकार के मशरूम व कश्मीरी जैसे फाइबर तथा पहाड़ी फसलें, अनाज और विभिन्न प्रकार के बाजरा से समृद्ध हैं जिनकी वैश्विक बाजारों में काफी मांग है। ये पहाड़ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, फल, सब्जियाँ, चारा पौधे और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के भी स्रोत हैं जो डाउनस्ट्रीम अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- **सांस्कृतिक विविधता:** पर्वतीय क्षेत्र बड़ी संख्या में संस्कृतियों का संगम है। इनमें से कई संस्कृतियों में समृद्ध पारंपरिक कृषि ज्ञान सम्मिलित होता है जो टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देता है। हालाँकि, इन जीवनशैली को जलवायु परिवर्तनों से गंभीर खतरा है। इनमें से कई संस्कृतियों के लिए पहाड़ एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक भूमिका निभाते हैं जो जीवित शक्तियाँ, शक्ति के स्रोत और पवित्रता के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ और पहाड़ी संस्कृतियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं जो बदले में स्थानीय आजीविका को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटक आराम, मनोरंजन, गर्मी और शहरी प्रदूषण से राहत के लिए अद्वितीय एचकेएच परिदृश्यों का आनंद लेते हैं।

चुनौतियाँ और खतरे:

- दुनिया के शीर्ष पर स्थित हिंदू कुश क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के

प्रभाव विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं जो इस महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण इसके नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं जिससे संसाधनों, समुदायों और सदियों पुरानी संस्कृतियों को नुकसान हो रहा है। हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में लगभग 241 मिलियन लोग रहते हैं जिनमें से 31 प्रतिशत लोग खाद्य असुरक्षित हैं। इस क्षेत्र के कई समुदायों को गंभीर उपेक्षा और गरीबी का सामना करना पड़ता है।

- यह क्षेत्र तेजी से जैव विविधता के नुकसान और निवास स्थान के क्षरण का सामना कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जलविद्युत विकास, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय जलमार्ग जैसे मेगा-निवेश क्षेत्र के जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण के प्रयासों हेतु नई चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।
- आईपीबीईएस इस बात पर प्रकाश डालता है कि एशिया प्रशांत में संरक्षित क्षेत्र कवरेज में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश संरक्षित क्षेत्र आर्थिक विकास से प्रभावित महत्त्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट को प्रभावी ढंग से समायोजित नहीं करते हैं।
- स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई प्रयासों के बावजूद, हिंदू कुश हिमालय तेजी से संकट की ओर बढ़ रहा है। पिछली शताब्दी में मूल जैव विविधता का सत्तर प्रतिशत नष्ट हो गया है। इस क्षेत्र की प्रकृति में गिरावट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब वे न केवल जानवरों और पौधों के जीवन के लिए, बल्कि मानव समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- एचकेएच में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन ने पिछले कुछ दशकों से संरक्षण में योगदान दिया है। भारत सहित कई क्षेत्रीय सदस्य देशों (जो सीबीडी के पक्षकार हैं) ने हाल ही में पीए की संख्या और कवरेज बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना किया है।
- संख्याओं के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियरों की औसत सिकुड़ने की दर 14.9 ± 15.1 मीटर/वर्ष (एम/ए) है जो सिंधु में 12.7 ± 13.2 मीटर/ए, गंगा में 15.5 ± 14.4 मीटर/ए और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में 20.2 ± 19.7 मीटर/ए से भिन्न दिखाई पड़ता है।
- विभिन्न भारतीय संस्थान, संगठन और विश्वविद्यालय अपनी प्रतिक्रिया की प्रकृति को व्यापक रूप से समझने के लिए इस क्षेत्र से संवेदी डेटा का उपयोग करके हिमालय के ग्लेशियरों की निगरानी कर रहे हैं।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) अपने स्वायत्त संस्थान 'राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर)' के माध्यम से 2013 से पश्चिमी हिमालय में चंद्रा बेसिन (2437 किमी 2 क्षेत्र) के छह ग्लेशियरों की निगरानी कर रहा है।
- एक अत्याधुनिक क्षेत्र अनुसंधान स्टेशन 'हिमांश' चंद्रा बेसिन में स्थापित किया गया है और ग्लेशियरों पर प्रयोग व अभियान चलाने के लिए 2016 से कार्य कर रहा है। चंद्रा बेसिन के लिए एनसीपीओआर द्वारा तैयार की गई ग्लेशियर सूची से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान इसने अपने हिमनद क्षेत्र का लगभग 6% खो दिया है, जबकि 2013-2021 के दौरान बर्फ का द्रव्यमान 2.4 मीटर पानी के बराबर (एम.डब्ल्यू.ई.) से 9 एम.डब्ल्यू.ई. तक खो दिया है। भागा बेसिन के ग्लेशियरों में 2008-2021 के दौरान 6 मीटर की रेंज से 9 मीटर की रेंज तक विशाल बर्फ का द्रव्यमान कम हुआ है। पिछले दशक के दौरान चंद्रा बेसिन के ग्लेशियरों के पीछे हटने की वार्षिक दर 13 से 33 मीटर प्रति वर्ष के बीच रही।
- डीएसटी का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) विभिन्न पहलुओं पर क्रायोस्फेरिक अनुसंधान कर रहा है जिसमें उपग्रह डेटा और जमीन-आधारित अवलोकन दोनों का उपयोग करके ग्लेशियर की गतिशीलता और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे आदि पर खोज कर रहा है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच) 2000 से गौमुख के भोजवासा डाउनस्ट्रीम में हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रो-मौसम संबंधी डेटा की निगरानी कर रहा है। इन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए प्रवाह की मात्रा में ज्यादा भिन्नता नहीं दिखती है। एनआईएच 2010 से लद्दाख हिमालय में फुचे और खाडुंग नामक दो ग्लेशियरों की भी निगरानी कर रहा है।

आगे की राह:

- एचकेएच के क्षेत्रीय सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) की स्थापना तथा तैयारी करना। इसके परिणामस्वरूप पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगा।
- **परामर्शी संवादों पर आधारित सीमा पार सहयोग:** संप्रभु राष्ट्रों के पास अपने दृष्टिकोण की आपसी समझ होती है जिसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करने, प्राकृतिक संसाधनों पर आम चुनौतियों से निपटने तथा दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने की क्षमता होती है।
- **एक गैर-राजनीतिक प्रवेश बिंदु के साथ सहयोग को बढ़ावा देना:** यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन और वैश्विक चिंता के विषयों पर तकनीकी सहयोग तथा अनुसंधान को संदर्भित करता है।
- सीखने और नीति को प्रभावित करने के लिए एक स्थानीय-राष्ट्रीय-वैश्विक सीमा-पार इंटरफेस बनाना। जैव विविधता और पर्यावरण प्रशासन को सकारात्मक स्थानीय परिणाम लाने की आवश्यकता पर जोर देना जिसे उपराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय नीति तंत्र के माध्यम से समर्थित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

इन सभी पहलुओं पर कार्य करके वैज्ञानिक साक्ष्य का संचार होगा जिससे उपलब्धियों, सबक तथा जोखिमों की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह नीतियों के लिए वैज्ञानिक निष्कर्षों को आगे बढ़ाने हेतु सक्रिय संचार और संस्थागत मार्गों की जरूरत पर ध्यान देता है ताकि सभी देशों को एक साथ लाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय मुद्दे

1 भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को निरस्त करके देश में स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक नया मसौदा तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नया मसौदा 'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023' का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क नियमों को आधुनिक बनाना है।

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क क्या है?

- स्टाम्प ड्यूटी एक सरकारी कर होता है जो विभिन्न दस्तावेजों, उदाहरणार्थ किसी समझौते या लेनदेन वाले कागजात के पंजीकरण पर लगाया जाता है।
- यह राशि दस्तावेज की प्रकृति या समझौते के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है।
- यह स्टांप शुल्क विनिमय बिल, चेक, वचन पत्र, लदान बिल, क्रेडिट पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदों आदि पर लगाया जा सकता है।
- **प्राधिकरण और संग्रहण:** यद्यपि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत राज्यों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों के भीतर इसका संग्रहण किया जाता है।

नये विधेयक को लाने के कारण:

- प्रचलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के कई प्रावधान वर्तमान संदर्भ में निरर्थक या निष्क्रिय हो गये हैं।
- इसके अलावा डिजिटल ई-स्टांपिंग के प्रावधानों का अभाव और सभी भारतीय राज्यों में स्टांप शुल्क के लिए समान कानून का अभाव भी नये विधेयक की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

नवीनतम विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान:

- इसमें डिजिटल ई-स्टांपिंग के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- नये विधेयक के प्रस्तावों में अन्य उपकरणों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का भी समावेशन किया गया है।
- इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसमें अधिकतम जुर्माना राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक की गई है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899: एक अवलोकन

- यह विनिमय अथवा लेनदेन उपकरणों पर टिकटों के माध्यम से लगाए गए कर को नियंत्रित करने वाला एक राजकोषीय कानून है।
- इन उपकरणों में अधिकारों या देनदारियों का दावा करने, उसे स्थानांतरित करने, सीमित करने, विस्तार करने, समाप्त करने या रिकॉर्ड करने वाले अन्य सभी दस्तावेज शामिल हैं।
- स्टाम्प ड्यूटी को शुल्क संग्रह प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुछ उपकरण या दस्तावेज इस अधिनियम की अनुसूची । में निर्दिष्ट राशि से प्रभार्य (Chargeable) होते हैं।

आगे की राह:

वर्तमान परिस्थिति की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा 100 वर्ष से भी अधिक पुराने कानून को बदलकर, नए विधेयक का मसौदा तैयार करना स्वागतयोग्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके इस कानून को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

2 ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मनरेगा नौकरी चाहने वालों में से केवल 39% को बेरोजगारी लाभ मिला है।

मनरेगा के तहत बेरोजगारी लाभ का अवलोकन:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलने पर मजदूर बेरोजगारी भत्ता लाभ के हकदार होते हैं।
- इस प्रकार के लाभ में अन्य लाभों के अलावा दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी शामिल है जो वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का एक चौथाई और उसके बाद मजदूरी दर का आधा होता है।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समितियां:

- ☑ बलवंत राय मेहता समिति – 1957
- ☑ संथानम समिति – 1963
- ☑ सादिक अली समिति – 1964
- ☑ अशोक मेहता समिति – 1977
- ☑ जी.वी.के. राव समिति – 1985
- ☑ एल.एम. सिंघवी समिति – 1986
- ☑ पी के थुगन समिति – 1988

लाभ वितरण में विसंगति:

- पिछले पांच वर्षों में 7,124 श्रमिक बेरोजगारी लाभ के लिए पात्र होने के बावजूद, केवल 258 को ही यह प्राप्त हुआ जो कि मात्र 3% वितरण दर दर्शाता है।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को उजागर किया।

राज्य-विशिष्ट आँकड़े:

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक में बेरोजगारी लाभ के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक (2,467) थी, लेकिन किसी को भी लाभ नहीं मिला।
- राजस्थान 1,831 पात्र श्रमिकों के साथ दसरे स्थान पर है जिनमें से केवल 9 को लाभ मिला।
- इसके अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी पात्र श्रमिकों तथा वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ताओं के बीच विसंगतियां देखी गईं।

राज्य सरकारों की भूमिका:

- राज्य सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करना चाहिए।
- इस समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग बेरोजगारी लाभ के संबंध में वैधानिक दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय सुनिश्चित करे।

आगे की राह:

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करने और विलंबित वेतन के मुआवजे के मुद्दे को हल करने का वादा किया। इस समिति को देर से भुगतान के लिए मुआवजे की एक महत्त्वपूर्ण बकाया राशि के बारे में सूचित किया गया था जिसमें भुगतान के लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

3 लाभ (LABHA) योजना

चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार ने 29 जनवरी को लघु बाण जातक द्रव्य क्राय (LABHA) योजना शुरू करने की घोषणा की। यह लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए 100% राज्य-वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना है।

लाभ योजना के बारे में:

- इस योजना के तहत प्राथमिक संग्रहकर्ता (एक आदिवासी व्यक्ति) ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड (TDCCOL) द्वारा खरीद केंद्रों पर एकत्र किए गए एमएफपी को एमएसपी पर बेचने में सक्षम होगा।
- राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 30,000 आदिवासी लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
- यह योजना बिचौलियों को आपदा में उपज बेचने की संभावना को खत्म कर देगी और प्रयासों को मिशन शक्ति की महिला एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) के साथ एकीकृत करेगी।
- इन खरीद केंद्रों का प्रबंधन एसएचजी और टीडीसीसीओएल द्वारा सहायता प्राप्त किसी अन्य अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- खरीद स्वचालन प्रणाली एमएफपी के कुल संग्रह, प्राथमिक संग्रहकर्ताओं के विवरण और खरीद बिंदु को कैप्चर करेगी।
- टीडीसीसीओएल आगे की बिक्री के लिए ई-टेंडरिंग भी करेगा जो मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों का पता लगाएगा।
- राज्य सरकार ने 25 करोड़ के अनुमानित निवेश पर रायगड़ा में एक इमली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र मूल्य-संवर्धन के लिए लाभ योजना के माध्यम से खरीदी गई इमली का उपयोग करेगा।

ओडिशा में ऐसी योजना की आवश्यकता क्यों?

- ओडिशा 62 अलग-अलग जनजातियों का घर है जिनमें 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं जो देश में सबसे विविध जनजातीय परिदृश्यों में से एक को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यह जनजातीय आबादी का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियाँ राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 68.09% हैं।
- ओडिशा के 314 ब्लॉकों में से 121 को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है अर्थात राज्य का लगभग 44.70% भौगोलिक विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

आगे की राह:

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ एमएफपी के लिए एमएसपी तय करता है जिसका लाभ कई वर्षों से ओडिशा में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा था। इससे राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी प्रभावित हुई है जिनकी संख्या ओडिशा की कुल आबादी का लगभग एक करोड़ या 23% है। नई योजना आदिवासी इलाकों तथा वन सीमांत क्षेत्रों में और अधिक पैठ बनाने में मदद कर सकती है।

4 उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा से मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने इतिहास रचते हुए समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में विवाह, तलाक, विरासत और सहमति से दो वयस्कों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप पर कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

समान नागरिक संहिता विधेयक के बारे में:

जनजातीय जनसंख्या:

- विधेयक का प्रावधान जनजातीय समुदाय को छोड़कर (जो राज्य की जनसंख्या का 2.9% है), उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है।
- इस संहिता की धारा 2 में कहा गया है कि कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 और भारत के संविधान के भाग XXI के तहत अनुच्छेद 366 के खंड (25) के साथ पढ़े गए किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगी जिनके प्रथागत अधिकार संरक्षित हैं।

लिव-इन रिलेशनशिप:

- विधेयक सभी विषमलैंगिक जोड़ों (चाहे वे उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं) पर संबंधित रजिस्ट्रार को 'बयान' दर्ज करके अपने लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का दायित्व डालता है।
- यदि ऐसा रिश्ता समाप्त भी हो जाए तो भी रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। यदि दोनों में से किसी एक साथी की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो यह घोषणा उनके माता-पिता या अभिभावकों को भी भेजी जाएगी।
- इसके अलावा, एक महिला उस स्थिति में भरण-पोषण का दावा करने के लिए पात्र है, जब उसे उसके लिव-इन पार्टनर ने 'छोड़ दिया' हो।

विवाह:

- अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि एक वैध विवाह वह है जहां किसी भी पक्ष के पास 'विवाह के समय जीवित पति या पत्नी' नहीं है, इस प्रकार द्विविवाह या बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध है। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है।
- कानून बनने के बाद होने वाली शादियों का 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह राज्य के भीतर या उसके क्षेत्र के बाहर होने वाले विवाहों पर लागू होता है, बशर्ते कि विवाह में कम से कम एक पक्ष उत्तराखंड का निवासी हो।

तलाक:

- कोई भी विवाह अदालत के आदेश के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है अन्यथा 3 साल तक की कैद हो सकती है। तलाक के लिए आधार में धर्म परिवर्तन भी शामिल है लेकिन 'विवाह का अपूरणीय विघटन' नहीं।
- धारा 28 तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी की तारीख से एक वर्ष बीत न गया हो।

पैतृक संपत्ति पर दावा:

- विधेयक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पैतृक संपत्ति को नियंत्रित करने वाली सहदायिक प्रणाली को समाप्त करता है। इस प्रकार, उत्तराधिकार की एक ही योजना अब हिंदुओं के लिए पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति दोनों पर लागू होगी।
- बिना वसीयत के उत्तराधिकार की स्थिति में, विधेयक पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए समान संपत्ति अधिकारों की गारंटी देता है। यह मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों से हटकर है जो ऐसे अधिकारों को सीमित करते हैं।

आगे की राह:

किसी भी कानून को सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए, न की इसे लोगों पर थोपा जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) भी इस बात पर जोर देता है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है जिस पर विचार करने की जरूरत है।

5 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित हुई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर रहा। हालाँकि, भारत का समग्र स्कोर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में:

- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) एक सूचकांक है जो सभी देशों को 'विशेषज्ञ आकलन और जनमत सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों के आधार पर' रैंक करता है।
- सीपीआई आम तौर पर भ्रष्टाचार को 'निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग' के रूप में परिभाषित करती है।
- यह सूचकांक 1995 से गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- विशेषज्ञों के अनुसार, सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है। यह 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट देश, जबकि 100 भ्रष्टाचार मुक्त देश का संकेत करता है।
- उच्च स्कोर वाले देशों में न्यूजीलैंड (3) और सिंगापुर (5) के साथ सूचकांक के शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखे हैं जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया (14), हांगकांग (14), जापान (16), भूटान (26), ताइवान (28) और दक्षिण कोरिया (32) का स्थान आता है।
- सूचकांक में बदतर प्रदर्शन करने वाले देशों में सत्तावादी देश शामिल हैं जिनमें उत्तर कोरिया (172) और म्यांमार (162) प्रमुख हैं। अफगानिस्तान (162) इतिहास के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है।

दक्षिण एशिया और भारत:

- वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है क्योंकि इसका समग्र स्कोर (39) काफी हद तक अपरिवर्तित रहा।
- 2024 में चुनावों से पहले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नागरिक स्पेस में कमी देखी जा सकती है जिसमें से एक (दूरसंचार) विधेयक का पारित होना भी है जो मौलिक अधिकारों के लिए 'गंभीर खतरा' हो सकता है।
- दक्षिण एशिया में पाकिस्तान (133) तथा श्रीलंका (115) दोनों अपने-अपने ऋण बोझ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं।
- बांग्लादेश (149) सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) की स्थिति से उभरा रहा है, आर्थिक विकास से गरीबी में निरंतर कमी और रहने की स्थिति में सुधार हो रहा है, हालांकि प्रेस के खिलाफ चल रही कार्यवाही के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रवाह बाधित है।

- चीन (76) के संबंध में, देश ने पिछले दशक में भ्रष्टाचार के लिए 3.7 मिलियन से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही से चर्चा में रहा।
- हालाँकि, सत्ता पर संस्थागत जाँच के बजाय सजा पर देश की भारी निर्भरता ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करती है।

आगे की राह:

एशिया प्रशांत क्षेत्र 2024 में एक महत्त्वपूर्ण चुनावी वर्ष का सामना कर रहा है जिसमें बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) से पता चलता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों की उत्सुकता के बावजूद इस वर्ष भ्रष्टाचार को संबोधित करने और उस पर अंकुश लगाने में न्यूनतम प्रगति होने की संभावना है।

6 मेघालय के नये राज्यगान पर विवाद

चर्चा में क्यों?

मेघालय सरकार ने 21 जनवरी को 52वें राज्य दिवस के अवसर पर राज्य का नया राज्यगान जारी किया। इसमें खासी, गारो और अंग्रेजी शामिल हैं, परन्तु जैंतिया या पनार भाषा की अनुपस्थिति के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- दो मिनट लंबे इस राज्यगान में तीन भाषाओं 'खासी, गारो और अंग्रेजी' के खंड शामिल हैं। इसके लॉन्च होने के बाद जैंतिया या पनार भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं होने से असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई।
- अंग्रेजी को शामिल करने पर जैंतिया छात्र संघ ने राज्य सरकार पर 'एक विदेशी भाषा को बढ़ावा देने' का आरोप लगाया। इन संगठनों

ने तीनों जनजातीय भाषाओं 'खासी, जैंतिया और गारो' को शामिल करना चाहिए।

मेघालय की सामाजिक संरचना:

- मेघालय में तीन प्रमुख मातृसत्तात्मक समुदाय (खासी, गारो और जैंतिया) हैं लेकिन राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में वार, भोई और लिंगंगम जैसी जनजातियों के साथ-साथ जैंतिया को खासी के साथ जोड़ा गया है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ये राज्य की आबादी का 14.1 लाख हिस्सा बनाते हैं। गारो की संख्या लगभग 8.21 लाख है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या 29.7 लाख है।

विवाद के कारण:

- जैंतिया दबाव समूहों ने राज्यगान में पनार को शामिल करने की मांग करने के लिए अपने समुदाय के अद्वितीय इतिहास और पहचान पर जोर दिया है। वे एक ऐसी संस्कृति, इतिहास और भाषा पर जोर देते हैं जो खासी से अलग है।
- **की हिन्निव ट्रेप का मिथक (Myth of Ki Hynniew Trep):** यह एक एकीकृत कारक के रूप में खिन्रियम, जैंतिया, वार, भोई और लिंगंगम जैसे समूहों का मूल मिथक है। इसमें कहा गया है कि सात परिवार स्वर्ग में रहते थे जो अपनी फसलें उगाने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। एक दिन, उन्होंने खुद को वापस लौटने में असमर्थ पाया क्योंकि वह विशाल पेड़ जो उनके घरों को पृथ्वी से जोड़ता था, काट दिया गया था। उन्होंने पृथ्वी पर सात अलग-अलग झोपड़ियों में घर बसाया जो विभिन्न समूहों के पूर्वज थे।
- अपने स्थानीय परिवेश के साथ एक स्पष्ट पहचान में खासी को आंतरिक रूप से पांच अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है, जैसे खिन्रियम, पनार/जैंतिया, भोई, वार और लिंगंगम। हालाँकि, एक व्यक्ति के रूप में अपनी सामान्य वंशावली और एकता की मान्यता में वे सामूहिक रूप से खुद को, यू हिन्निव ट्रेप के बच्चों के रूप में परिभाषित करते हैं।

आगे की राह:

राज्यगान की भाषाओं का चयन मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 के आधार पर किया गया था। यह अधिनियम अंग्रेजी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में, जबकि जिला, उप-मंडल तथा ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में सभी उद्देश्यों के लिए खासी को 'सहयोगी आधिकारिक भाषा' के रूप में भी नामित करता है। गारो भाषा को भी यही दर्जा दिया गया। राज्य सरकार को राज्यगान के समय संतुलन बनाना चाहिए ताकि राज्य की स्थिरता और विकास में प्रत्येक समुदाय की विशिष्टता को पहचान मिल सके।

7 नकल विरोधी अधिनियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 को मंजूरी दी जिसके बाद यह अधिनियम का रूप लिया। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल या धोखाधड़ी को रोकना है।

अधिनियम का उद्देश्य:

- यह नकल विरोधी उपाय यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 मौद्रिक लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में 'अनुचित साधनों' के उपयोग को रोकने और अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता लाने का प्रयास करता है। इस अधिनियम ने प्रतियोगी उम्मीदवारों को इस कानून के प्रावधानों से सुरक्षा प्रदान किया है।

अधिनियम का दायरा:

- इस कानून के अंतर्गत उन सभी आयोगों को शामिल किया जायेगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षाओं में शामिल आयोग निम्न हैं:
  - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
  - कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
  - रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
  - राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)
  - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
  - केंद्र सरकार के विभाग और उनसे जुड़े अन्य भर्ती कार्यालय

अधिनियम का महत्त्व:

- इस अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यक्तिगत, व्यक्तियों के समूह या किसी संस्था द्वारा अपनाए गए कई नकल तरीकों के लिए सजा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि सबूत सत्य साबित हो जाता है अर्थात सेवा प्रदाताओं से जुड़े अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन, सेवा प्रदाताओं के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किए गए हों, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- यह अधिनियम संगठित अपराधों के लिए उच्च सजा और संगठित धोखाधड़ी अपराध में शामिल दोषी संस्थान की संपत्ति की कुर्की (जब्ती) को भी निर्दिष्ट करता है।
- इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जांच प्राधिकार उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें दोषी पक्ष को विशिष्ट प्रावधानों के तहत दंडित किये जाने का प्रावधान है।

आगे की राह:

यह कदम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की एक शृंखला को रद्द करने की पृष्ठभूमि में युवाओं को आश्वस्त करने के लिए उठाया गया है कि उनके ईमानदार प्रयास व्यर्थ न जाएं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यह अधिनियम उन सभी कानून-विरोधी एजेंटों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगा जो अनुचित साधनों में लिप्त हैं और सार्वजनिक परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 वियतनाम व फिलीपींस के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर पर समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने हेतु समझौता किया जिस पर चीन अपना पूर्ण रूप से दावा करता रहा है।

देशों के बीच प्रमुख समझौते:

- दोनों देश समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जहाज के आदान-प्रदान पर तट रक्षकों के बीच एक व्यापक साझेदारी करने पर सहमत हुए।
- समझौते के तहत देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुविधाजनक बनाने व मजबूत करने के लिए विस्तारित करना।
- वियतनाम ने फिलीपींस को हर साल सस्ती कीमतों पर 1.5 मिलियन से 2 मिलियन मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किया।

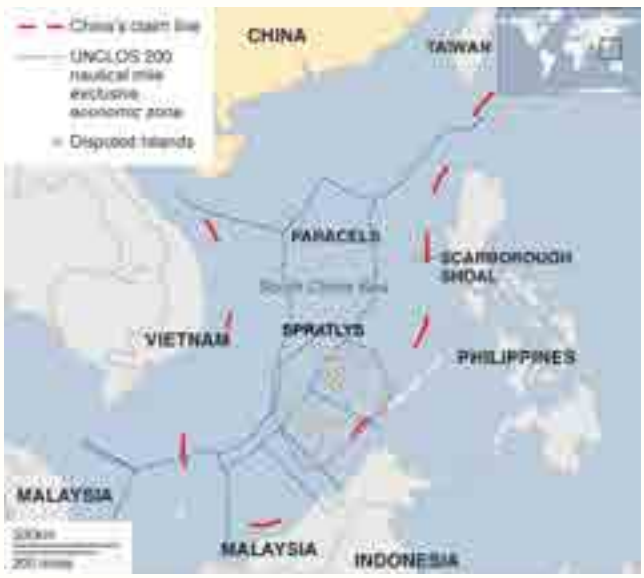

दक्षिण चीन सागर विवाद:

- कई देश दक्षिण चीन सागर के विभिन्न हिस्सों पर दावा करते रहे हैं।
- दक्षिण चीन सागर में स्थित प्रमुख द्वीप जैसे स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, प्रतास, नटुना द्वीप और स्कारबोरो शोल आदि पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश अपना दावा करते रहे हैं।
- चीन अपनी तथाकथित 'नाइन-डैश लाइन' द्वारा क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर दावा करता है।

दक्षिण चीन सागर के प्रति भारत का दृष्टिकोण:

- दक्षिण चीन सागर में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। इसमें दावेदार देशों के साथ रक्षा सहयोग, नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी और यहां तक कि फिलीपींस तथा वियतनाम जैसे देशों को हथियारों की बिक्री भी शामिल है।
- भारत नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण चीन सागर को महत्त्वपूर्ण मानता है क्योंकि इसके व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- भारत इस क्षेत्र को हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति के प्रतिसंतुलन और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में देखता है।

आगे की राह:

भारत को इस क्षेत्र में समान प्रभाव रखने वाले अन्य क्वाड सदस्यों के साथ अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में एक समग्र रणनीति विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए जो सार्थक इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत सामूहिक हितों पर आधारित हो।

2 भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही इसके पुष्टि की अनुमति भी प्रदान की गई।

द्विपक्षीय निवेश के मुख्य बिंदु:

- संधि की मंजूरी से निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है जिससे विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा।
- इस कदम से रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और दोनों देशों के बीच बढ़े हुए निवेश को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।
- यह द्विपक्षीय निवेश समझौता आत्मनिर्भर भारत पहल को साकार करने में योगदान देगी। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- बिजली इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन जिसमें ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलता है।
- डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में निवेश सहयोग सहित व्यापक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और तकनीकी ज्ञान, कौशल तथा विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करना।
- यूएई के राष्ट्रीय पुस्तकालय और अभिलेखागार तथा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा।
- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर समझौता ज्ञापन जिससे दोनों देशों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा जिसका उद्देश्य

लोथल, गुजरात में समुद्री विरासत परिसर का समर्थन करना है।

- यूपीआई (भारत) और एएनआई (यूएई) के इंटरलिंकिंग पर समझौते से दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी।
- घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्ड रुपे (भारत) को जयवान (यूएई) के साथ जोड़ने पर समझौता करना जो वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल और एलपीजी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होने के अलावा, भारत अब एलएनजी के लिए दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश कर रहा है।

आगे की राह:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बीआईटी में निवेश करने और मेजबान देशों के हितों को संतुलित करते हुए सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे भारत बीआईटी के जटिल परिदृश्य को पार कर रहा है, उसे संभावित जोखिमों को कम करते हुए उनके लाभों का दोहन करने हेतु एक नाजुक संतुलन बनाना होगा।

3 भारत के कृषि सब्सिडी पर विरोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने की मांग के बाद भारत द्वारा दिये जा रहे कृषि सब्सिडी पर चेतावनी जारी किया है।

कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता (एओए):

इसे व्यापार बाधाओं को दूर करने, पारदर्शी बाजार पहुंच और वैश्विक बाजारों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था जिसे 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

- **ग्रीन बॉक्स:** इसमें आय-समर्थन भुगतान, सुरक्षा-नेट कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रमों के तहत भुगतान, कृषि अनुसंधान और विकास सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं।
- **ब्लू बॉक्स:** कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है, यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
- **एम्बर बॉक्स:** उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं।
- यह सीमा आम तौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है, जबकि अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है।
- डब्ल्यूटीओ के बाली सम्मेलन में एओए के अनुच्छेद 13 में एक 'उचित संयम' या 'शांति खंड' शामिल है जो सब्सिडी के लिए अन्य डब्ल्यूटीओ समझौतों के आवेदन को नियंत्रित करता है।
- बाजार पहुंच के लिए आवश्यक है कि मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाना क्योंकि अलग-अलग देशों द्वारा ये तय किए जाते हैं जिसमें उत्तरोत्तर कटौती की जानी चाहिए।
- इसमें गैर-टैरिफ बाधाओं (जैसे आयात पर कोटा) को हटाना शामिल है। निर्यात सब्सिडी चार स्थितियों तक सीमित है:
  - सीमा के भीतर उत्पाद-विशिष्ट कटौती प्रतिबद्धताएं
  - निर्यात सब्सिडी के लिए बजटीय परिव्यय का प्रावधान
  - विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान के अनुरूप निर्यात सब्सिडी
  - कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्यात सब्सिडी के अलावा अन्य निर्यात सब्सिडी जो कृषि पर समझौते के अनुच्छेद 10 के विषयों के अनुरूप हों।
- एक विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में डिजाइन किया गया था जो विकासशील देशों को आयात में असामान्य वृद्धि या असामान्य रूप से सस्ते आयात के प्रवेश की स्थिति में अतिरिक्त (अस्थायी) सुरक्षा शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

आगे की राह:

कृषि सहायता की पेशकश में अधिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए भारत 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में आगामी अंतर-मंत्रालयी शिखर सम्मेलन में स्थायी समाधान पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। भारत न केवल खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन करने का पक्षधर है, बल्कि 2013 के बाद लागू किए गए कार्यक्रमों को शामिल करने पर भी जोर दे रहा है।

4 ब्रिक्स के विस्तार की घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने की घोषणा की। इससे ब्रिक्स

देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

ब्रिक्स के बारे में:

- 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 'ब्रिक' समूह बनाया। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ जिससे यह 'ब्रिक्स' बन गया।
- इस समूह को उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने हेतु डिजाइन किया गया था।
- विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह 'ब्रिक्स प्लस' हो सकता है।

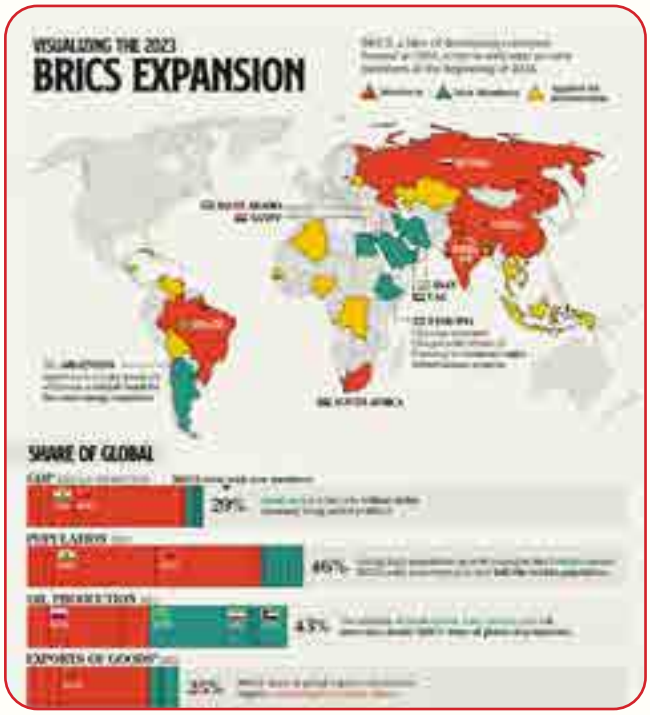

ब्रिक्स क्यों मायने रखता है?

- ब्रिक्स देशों में प्रमुख विश्व शक्तियाँ जैसे चीन, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील आदि शामिल हैं।
- विस्तारित समूह की कुल जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन या दुनिया की 45% आबादी होगी।
- संयुक्त रूप से सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है।
- ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सदस्यों के साथ, ब्रिक्स देश दुनिया के लगभग 44% कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे।
- यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'बड़ी आवाज और प्रतिनिधित्व' का कार्य करेगा।
- 2014 में ब्रिक्स देशों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और धन उधार देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की।
- इस बैंक ने 2022 के अंत तक उभरते देशों को नई सड़कों, पुलों, रेलवे और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए लगभग 32 बिलियन डॉलर प्रदान किए।

क्या ब्रिक्स मुद्रा डॉलर की जगह लेगी?

- इस समूह के देश अक्सर आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं।
- ब्राजील और रूस के प्रमुख राजनेताओं ने डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए ब्रिक्स मुद्रा बनाने का सुझाव दिया है। हालाँकि, समूह के 2023 शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा नहीं की गई।

क्या ब्रिक्स G20 का प्रतिद्वंद्वी है?

- वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों ने मिलकर 1999 में G20 समूह की स्थापना की थी।
- हालाँकि, ब्रिक्स समूह में कई ऐसे देश शामिल हैं जो G20 के भी सदस्य हैं।

आगे की राह:

ब्रिक्स समूह को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे शांति, स्थिरता व मानवता को मजबूती मिल सके।

5 भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा संसाधन के लिए अमेरिकी सहायक राज्य सचिव ने कहा कि भारत-यू.एस. परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है जो दो दशक पहले परमाणु समझौते के तहत कल्पना की गई थी।

अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के बारे में:

- अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता (जिसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है) 2005 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता है जिसने दोनों देशों के बीच परमाणु संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया।

प्रमुख प्रावधान:

- **कार्यक्रमों का पृथक्करण:** भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने तथा नागरिक सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमत हुआ।
- **परमाणु व्यापार:** समझौते ने अमेरिका को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने की अनुमति दी।
- **अप्रसार प्रतिबद्धताएँ:** भारत ने अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी या सामग्रियों के हस्तांतरण के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर सहमति व्यक्त की।

भारत के लिए अपेक्षित लाभ:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हुई है जो बढ़ती अर्थव्यवस्था हेतु महत्त्वपूर्ण है। यह कम

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ स्वच्छ ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी है।

- **आर्थिक विकास:** परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियाँ उत्पन्न करने, निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावना भी काफी है।
- **रणनीतिक साझेदारी:** क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अप्रसार प्रयासों पर प्रभाव के साथ अमेरिका के साथ मजबूत संबंध स्थापित होना।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** आधुनिक परमाणु रिएक्टरों और ईंधन का अधिग्रहण, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना तथा सुरक्षा मानकों में सुधार करना शामिल है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता कम होना जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** परमाणु ऊर्जा पर सहयोग भारत और पड़ोसी देशों के बीच विश्वास तथा सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व:** जिम्मेदार परमाणु सहयोग का प्रदर्शन अन्य देशों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकता है।

मौजूदा स्थिति:

- 2015 में परमाणु समझौते की घोषणा के आठ साल बाद भी अभी तक कोई तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश नहीं हुई है।
- **भारत में घरेलू चुनौतियाँ:** जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, सीमित बुनियादी ढाँचा और दायित्व संबंधी चिंताएँ होना।
- **भू-राजनीतिक पहल:** विकसित हो रहा वैश्विक परमाणु परिदृश्य और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में चिंताएँ बढ़ना।

समाधान/सुझाव:

- भारत और अमेरिका को असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग के लिए नये सिरे से प्रयास करने की जरूरत है।
- भारत को निजी कंपनियों को असैन्य परमाणु क्षेत्र में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, परमाणु समझौते के हिस्से के रूप में प्रस्तावित बड़े पारंपरिक रिएक्टरों तथा छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) प्रौद्योगिकी दोनों पर आगे बढ़ने के लिए 'साझा हित' है।

आगे की राह:

चुनौतियों के बावजूद दोनों देश समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करना जारी रखे हैं। समझौते की सफलता उत्कृष्ट चुनौतियों का समाधान करने के साथ आपसी विश्वास बनाने पर निर्भर करेगी।

6 भारत और कोलंबिया संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन हेतु लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के बीच हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के बारे में:

- एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, सार्वजनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पायलट या डेमो समाधानों के विकास तथा पारस्परिक लाभ के लिए निजी क्षेत्र के संपर्कों की सुविधा के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन (अर्थात् इंडिया स्टैक) को बढ़ावा देना है।
- ये बुनियादी ढांचे साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट बनाते हैं जो सुरक्षित और इंटरऑपरेबल हैं। इन्हें सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए खुले मानकों पर बनाया जा सकता है। इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए जनसंख्या पैमाने पर भारत द्वारा विकसित तथा कार्यान्वित डीपीआई हैं।
- भारत कोलंबिया में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से अपनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर विकास साझेदारी का निर्माण करने का इच्छुक है।

सार्वजनिक वस्तुओं के बुनियादी ढांचे के संबंध में भारत की प्रगति:

- भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनिया भर में जीवन बदल सकता है। भारत ने नागरिकों की सेवा के लिए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और यूपीआई के निर्माण का मार्ग अपनाया है जिसके तहत जन धन, आधार, कोविन तथा ओएनडीसी कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

भारत-कोलंबिया सम्बन्ध:

- भारत-कोलंबिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित आपसी हित के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत तथा विविध हुए हैं। विदेश कार्यालय परामर्श तंत्र 1995 में स्थापित किया गया था।
- कोलंबिया वर्तमान में भारतीय कंपनियों के लिए लैटिन अमेरिका में प्रवेश हेतु प्रमुख वाणिज्यिक देशों में से एक है।
- कोलंबिया को भारत का निर्यात 15.3% की वार्षिक दर से बढ़ा है जो 1995 में $31.8M से बढ़कर 2021 में $1.29B हो गया है। 2021 में कोलंबिया ने भारत को $2.27B निर्यात किया। कोलंबिया से भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद क्रूड पेट्रोलियम ($1.95B), सोना ($139M) और कोक ($84.4M) थे।

आगे की राह:

विदेशों में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति को दर्शाता है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि का भी विस्तार करेगा जो अन्य देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित करता है।

7 नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मिली मौत की सजा हुई माफ

चर्चा में क्यों?

कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसेना के ये आठ पूर्व अधिकारी स्वदेश सुरक्षित लौट आये हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों की रिहाई और उन्हें जासूसी के आरोपों से मुक्त कराना भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजनयिक सफलता का प्रतीक है।

मामले से सम्बंधित प्रमुख बातें:

- ये सभी अधिकारी एक रक्षा सेवा प्रदाता संगठन 'डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज' के लिए काम कर रहे थे जिसका स्वामित्व ओमान देश की रॉयल वायु सेना के एक सेवानिवृत्त सदस्य के पास है। फर्म के मालिक को भी इन अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया लेकिन उन्हें नवंबर, 2022 में रिहा कर दिया था।
- इस मामले में सबसे विचारणीय प्रश्न यह था कि न तो कतर की तरफ से और न ही भारत सरकार द्वारा इन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया गया, परन्तु मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इन अधिकारियों पर कतर की उन्नत पनडुब्बियों का इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों को मौत की सजा के फैसले हेतु बड़े स्तर पर कूटनीतिक कदम उठाये जिसके बाद वियना कन्वेंशन के तहत कांसुलर एक्सेस मिला और अंतत: उन्हें मुक्त कराया गया।

भारत-कतर सम्बन्ध:

- कतर जोकि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अरब लीग तथा आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का प्रमुख सदस्य है, भारत के साथ कूटनीतिक संबंध 1973 ई. में स्थापित हुए थे।
- उसके बाद से ही लगातार दोनों देशों की ओर से उच्च स्तरीय यात्रायें होती रही हैं। वर्ष 2023 में भारत और कतर ने अपने कूटनीतिक सम्बन्धों के 50 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। आर्थिक संबंधों में भारत कतर से एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक तथा एल्यूमीनियम आर्टिकल्स आयात करता है, जबकि कतर को खाद्य सामग्री, तांबे की वस्तुएं, लौह-इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, कपड़ा और परिधान निर्यात करता है।
- भारत अपनी जरूरतों का लगभग 70 प्रतिशत प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। दोनों देशों के बीच में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है।
- कतर में सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय रहता है जो अलग-अलग क्षेत्रें में अपना योगदान दे रहे हैं जिससे भारत में प्रेषण (Remittances) का प्रसार होता है।

आगे की राह:

बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए भारतीय अधिकारियों की सजा को कतर सरकार द्वारा क्षमा किया जाना स्वागत योग्य कदम है, ऐसे सकारात्मक भाव दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने में मदद करेंगे।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR

पर्यावरणीय मुद्दे

1 भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **वैज्ञानिक उपलब्धि:** एसपीएआई के अनुसार, भारत में हिम तेंदुए की आबादी लगभग 718 है जो एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि को दर्शाता है।

राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग:

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया समेत हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों तथा संरक्षण भागीदारों के सहयोग से एसपीएआई कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

भौगोलिक विस्तार:

- एसपीएआई ने व्यवस्थित रूप से भारत में संभावित हिम तेंदुए की 70% से अधिक रेंज को कवर किया जिसमें वन और वन्यजीव कर्मचारी, शोधकर्ता, स्वयंसेवक तथा अन्य भागीदारों का योगदान शामिल है।

स्थानिक वितरण मूल्यांकन:

- दो-चरणीय प्रणाली का उपयोग करते हुए एसपीएआई ने वर्ष 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ, निवास स्थान सहसंयोजकों को शामिल करके हिम तेंदुए के स्थानिक वितरण का मूल्यांकन किया था।
- दूसरे चरण में पहचाने गए स्तरीकृत क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप का उपयोग करके हिम तेंदुए के बहुतायत का अनुमान लगाया गया है जो ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए के निवास स्थान के लगभग 120,000 किमी वर्ग क्षेत्र को कवर करता है।
- एसपीएआई के दौरान प्रयासों में हिम तेंदुए के संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए 13,450 किलोमीटर के मार्गों का सर्वेक्षण करना और 180,000 ट्रैप रातों के लिए 1,971 स्थानों पर कैमरा ट्रैप तैनात करना शामिल था।

राज्य द्वारा जनसंख्या अनुमान:

- डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों में हिम तेंदुए की अनुमानित आबादी में लद्दाख (477), उत्तराखंड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21) और जम्मू-कश्मीर (9) आदि प्रमुख हैं।
- 80% रेंज (लगभग 79,745 किमी^{2}) के लिए प्रारंभिक डेटा हाल के स्थिति सर्वेक्षणों द्वारा प्रदान किया गया है जिससे 2016 में 56% की तुलना में समझ में काफी सुधार हुआ है।

दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए लगातार निगरानी:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी सुनिश्चित करने तथा प्रभावी संरक्षण रणनीति तैयार करने के लिए हिम तेंदुए की सीमा में आवधिक जनसंख्या अनुमान दृष्टिकोण (प्रत्येक चौथे वर्ष) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

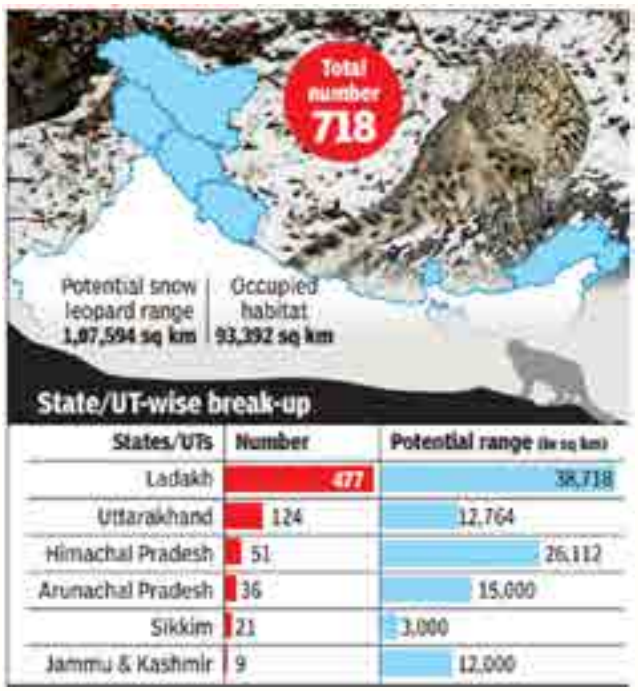

हिम तेंदुआ:

- **नाम:** हिम तेंदुआ
- **वैज्ञानिक नाम:** पैंथेरा अन्सिया
- **भारत में जनसंख्या:** अनुमानित 400-700

संरक्षण की स्थिति:

- संवेदनशील (आईयूसीएन)
- अनुसूची-I (वन्यजीव अधिनियम, 1972 - भारत)

भारत में निवास स्थान:

- पश्चिमी और पूर्वी हिमालय
- पर्यावास प्राथमिकताएँ: खड़ी ढलानों वाली, ऊबड़-खाबड़ भूभाग, 3,000-5,000 मी से अधिक
- वैश्विक स्थिति: CITES परिशिष्ट-I

2 जैव विविधता मानक पर वैश्विक रिपोर्टिंग पहल

चर्चा में क्यों?

नवीनतम जीआरआई जैव विविधता मानक में जैव विविधता के गिरावट

में योगदान देने वाले कारकों और स्वदेशी लोगों पर इसके प्रभावों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने जीआरआई जैव विविधता मानक पेश किया है जो जैव विविधता हानि के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को संबोधित करने के लिए एक अद्यतन पारदर्शिता मानक के रूप में कार्य कर रहा है।

विकास और निरीक्षण:

- यह एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जीआरआई द्वारा विकसित किया गया था।
- इस मानक के निर्माण में वैश्विक स्थिरता मानक बोर्ड (जीएसएसबी) का सहयोग शामिल था जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों के सलाहकार शामिल हैं।

उद्देश्य और सीमा:

- यह जवाबदेही के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य संगठनों को उनके जैव विविधता प्रभावों के बारे में सूचित करना है।
- मानक को प्रकृति पर बढ़ते दबाव को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है।

कार्यान्वयन समयरेखा:

- **जीआरआई 101:** जैव विविधता 2024 शीर्षक वाला दस्तावेज। जनवरी, 2026 से रिपोर्टिंग में औपचारिक कार्यान्वयन के लिए निर्धारित है।
- आधिकारिक कार्यान्वयन से पहले, प्रारंभिक अपनाने वालों को शामिल करने वाले दो साल के पायलट चरण की योजना बनाई गई है।

वैधिक पहल के साथ संरेखण:

- यह मानक संयुक्त राष्ट्र कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, विज्ञान-आधारित लक्ष्य नेटवर्क और प्रकृति-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल सहित जैव विविधता में महत्त्वपूर्ण वैश्विक विकास को प्रतिबिंबित करता है।

पारदर्शिता पर जोर:

- आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता पर जोर देते हुए यह मानक स्थान-विशिष्ट प्रभावों, जैव विविधता हानि के प्रत्यक्ष चालकों और स्वदेशी लोगों सहित समुदायों पर प्रभावों को शामिल करता है।

महत्त्व और प्रभाव:

- इस मानक से जैव विविधता प्रभावों के संबंध में पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
- यह संगठनों को प्राकृतिक पर्यावरण से परे जैव विविधता के नुकसान के दूरगामी परिणामों को पहचानते हुए उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह:

यह मानक संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है जो जैव विविधता हानि और जलवायु संकट के अंतर्संबंध पर जोर देता है। ऐसे मानकों से जैव विविधता सम्बन्धी जागरूकता में बढ़ोत्तरी होती है।

3 2024 के लिए जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि

चर्चा में क्यों?

हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 95% प्राकृतिक आपदाओं के लिए मौसम संबंधी आपदाएँ जिम्मेदार थीं जिसके परिणामस्वरूप 1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

2023 में वैश्विक प्राकृतिक आपदा रुझान:

- वर्ष 2023 में पूरे विश्व में कुल 398 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप 380 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- यह वर्ष 2022 में दर्ज किए गए अनुमानित $355 बिलियन के आर्थिक नुकसान से अधिक वृद्धि दर्शाता है।
- इस वर्ष 66 अरब डॉलर की आर्थिक हानि की घटनाएँ और 37 अरब डॉलर की बीमित हानि की घटनाएँ भी देखी गई।
- इन सभी में से 95% प्राकृतिक आपदाओं के लिए केवल मौसम संबंधी कारक जिम्मेदार थे जिससे कम से कम 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि रिपोर्ट:

- एओन पीएलसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि रिपोर्ट, 21वीं सदी की तुलना में नुकसान संबंधी 22% की वृद्धि दर्शाती है।
- यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूकंप तथा गंभीर संवहनी तूफान (एससीएस) इस वृद्धि के महत्त्वपूर्ण चालक थे।
- बीमा कवरेज में केवल $118 बिलियन का भुगतान किया गया जो 69% के सुरक्षा अंतर को दर्शाता है। यह वर्ष 2022 में दर्ज 58% के सुरक्षा भुगतान से अधिक है।

वैश्विक सुरक्षा अंतर:

- बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, वर्ष 2023 में बीमा कवरेज अंतर बढ़ गया था।
- सबसे व्यापक सुरक्षा अंतर एशिया और प्रशांत क्षेत्र (91%) में

मौजूद था जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका (83%) का स्थान था।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव:

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 64% से अधिक नुकसान बाढ़ के कारण हुआ जहां बीमा की पहुंच या कवरेज अपेक्षाकृत कम है।
- भारत में मौसमी बाढ़ के कारण लगभग $300 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ और वर्ष 2023 में 2,600 से अधिक लोगों की जन-हानि हुई।
- अमेरिका में बीमा ने लगभग $80 बिलियन की आर्थिक क्षति को कवर किया, लेकिन वास्तविक नुकसान (30%) बीमाकृत नहीं था।

बीमाकर्ताओं के निहितार्थ:

- न्यूजीलैंड, इटली, ग्रीस, स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे यूरोपीय देशों को रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक मौसम संबंधी बीमीत जोखिमों का सामना करना पड़ा।

4 अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन

चर्चा में क्यों?

वैश्विक जलवायु और मौसम पैटर्न को विनियमित करने के लिए महत्त्वपूर्ण महासागरीय वर्तमान प्रणाली इस सदी में काम करना बंद कर सकती है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) एक प्रमुख महासागरीय धारा प्रणाली है जो वैश्विक जलवायु और मौसम पैटर्न को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन के अनुसार मानवजनित उत्सर्जन और पर्यावरणीय परिवर्तनों में वृद्धि के कारण एएमओसी पहले की तुलना में जल्द ही कमजोर हो सकता है।

एएमओसी विलोपन की संभावना:

- कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एएमओसी वर्ष 2025 और 2095 के बीच निपातावस्था में जा सकता है और 2050 के दशक तक इसकी संभावना सर्वाधिक है।
- इस पतन का दुनिया भर की जलवायु प्रणालियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने से 16 जलवायु परिवर्तनकारी तत्वों में पहला हो सकता है।

एएमओसी के पतन के लिए अग्रणी कारक:

- बढ़ती वर्षा और ग्रीनलैंड की बर्फ का तेजी से पिघलना तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अधिक ताजा ठंडा पानी जमा होने से एएमओसी के विघटन में योगदान दे रहा है।
- ताजे पानी का यह प्रवाह समुद्र की लवणता और घनत्व को कम कर रहा है जिससे एएमओसी का ताप कन्वेयर बेल्ट तंत्र धीमा हो गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान रुझान:

- इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में एएमओसी पहले ही लगभग 15% धीमा हो चुका है जो 1,600 वर्षों में सबसे धीमी गति पर है।
- कुछ अध्ययन इसी शताब्दी में एएमओसी के पतन का अनुमान लगा रहे हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) यह सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है।
- एएमओसी के पतन से पूरे उत्तरी गोलार्ध में बड़े पैमाने पर ठंडक बढ़ने से वर्षा के पैटर्न पर असर पड़ सकता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य उत्पादन भी बाधित हो सकता है।

आगे की राह:

एएमओसी में गिरावट से अन्य जलवायु प्रणालियों और बाह्य कारकों जैसे-अमेजन वर्षावन, पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर और मानसून पैटर्न पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इन प्रभावों की सटीक प्रकृति और सीमा अभी तक अनिश्चित बनी हुई है।

5 सफेद गैंडे में आईवीएफ गर्भावस्था का परीक्षण सफल

चर्चा में क्यों?

बर्लिन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि का उपयोग करके सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफेद गैंडे की उप-प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की आशा प्रदान करती है।

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है?

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का एक रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ मुख्य रूप से बांझपन को संबोधित करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है।
- इन विट्रो (जो लैटिन शब्द 'इन ग्लास' से लिया गया है) में किसी इंसान या जानवर के बजाय टेस्ट ट्यूब में अध्ययन किया जाता है, जबकि 'इन विवो' (जो लैटिन 'विदिन द लिविंग' से निकला है) एक जीवित जीव के भीतर किए गए प्रयोग को संदर्भित करता है।
- इन विट्रो शरीर के बाहर की गतिविधियों को दर्शाता है जहां निषेचन तब होता है जब शुक्राणु अंडे से जुड़ता है और उसमें प्रवेश करता है। आईवीएफ प्रक्रिया में शुक्राणु द्वारा अंडे को निषेचित करने और गर्भाशय में निषेचित अंडे के आरोपण में सहायता के लिए दवाओं तथा सर्जिकल तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

पशु संरक्षण में आईवीएफ का महत्त्व:

- सफेद गैंडे में दो अलग-अलग उप-प्रजातियाँ उत्तरी और दक्षिणी शामिल हैं। आखिरी उत्तरी सफेद गैंडा नर 2018 में मर गया, जबकि इसके केवल दो मादा सदस्य जीवित हैं। दोनों में से कोई भी बछड़े को अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं है, वहीं दक्षिणी सफेद गैंडे अधिक प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं।
- इसके बाद वैज्ञानिकों ने इन-विट्रो निषेचन की ओर रुख किया, मादा उत्तरी सफेद गैंडों के अंडों की कटाई की और उप-प्रजाति के मृत नर गैंडों के शुक्राणु का उपयोग करके भ्रूण का उत्पादन किया जिसे अंततः दक्षिणी सफेद गैंडे सरोगेट माताओं को स्थानांतरित किया गया।

- इस प्रक्रिया से 6.4 सेमी (2.5 इंच) लंबे विकसित नर भ्रूण के साथ 70 दिनों की गर्भावस्था सफल हुई।

सफेद गैंडे के बारे में:

- सफेद गैंडा को आईयूसीएन रेड लिस्ट में खतरे के करीब (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है जिसकी उप-प्रजाति की स्थिति निम्न है:
  - उत्तरी सफेद गैंडा: गंभीर रूप से लुप्तप्राय
  - दक्षिणी सफेद गैंडा: खतरे के करीब
- उत्तरी सफेद गैंडे की आबादी में गिरावट का कारण अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, गृह युद्ध और बीमारी है। दक्षिणी सफेद गैंडे (जिनकी जनसंख्या का 98.8% है) मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या में पाए जाते हैं। लगभग 18,000 व्यक्तियों के साथ वे संरक्षित क्षेत्रों और निजी खेल भंडारों में निवास करते हैं।

आगे की राह:

उत्तरी सफेद गैंडे, जो अपने नाम के बावजूद वास्तव में भूरे हैं, पूर्व और मध्य अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे, लेकिन उनके सींगों के लिए व्यापक अवैध शिकार के कारण उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। हालिया सफलता से उत्तरी सफेद गैंडों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी लेकिन विलुप्त होने के कगार पर मौजूद प्रजातियों के संरक्षण की संभावना भी बढ़ सकती है।

6 जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 संसद द्वारा पास किया गया। यह प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य पर लागू होगा जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत प्रस्ताव पारित करेगा।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **राज्य बोर्ड के अध्यक्ष:** जल अधिनियम के तहत, एसपीसीबी के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी।
- **उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति से छूट:** अधिनियम के अनुसार, किसी भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए एसपीसीबी की पूर्व सहमति आवश्यक है जिससे जल निकाय, सीवर या भूमि में सीवेज का निर्वहन होने की संभावना है। विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार, सीपीसीबी के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सकती है।
- विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार एसपीसीबी द्वारा दी गई सहमति को मंजूरी देने तथा अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
- अधिनियम के तहत, एसपीसीबी से ऐसी सहमति प्राप्त किए बिना उद्योग स्थापित और संचालित करना छह साल तक की कैद तथा जुर्माने से दंडनीय है। यह निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ को भी शामिल करता है कि कोई उद्योग या उपचार संयंत्र स्थापित किया जा सकता है या नहीं। इसके तहत जुर्माना 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच देय होगा।
- अधिनियम के तहत, एसपीसीबी किसी भी गतिविधि पर तुरंत रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिससे जल निकायों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन होता है। अधिनियम कुछ छूटों को छोड़कर, जल निकायों या भूमि पर प्रदूषणकारी पदार्थों के संबंध में मानकों (एसपीसीबी द्वारा निर्धारित) के उल्लंघन पर भी रोक लगाता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डेढ़ साल से छह साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- अधिनियम के तहत जिस अपराध के लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है, उसमें तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना देने में विफलता पर तीन साल तक की कारावास की सजा होगी या लगाए गए जुर्माने की राशि का दोगुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।
- विधेयक केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- विधेयक निर्दिष्ट करता है कि यदि विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को उनके मूल वेतन के एक महीने के बराबर जुर्माना देना होगा।

आगे की राह:

यह विधेयक व्यवसायों और नागरिकों को परेशान करने वाले कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और इसके बदले जुर्माना लगाता है। विधेयक के संशोधनों का उद्देश्य जीवनयापन में आसानी और व्यापार करने में आने वाली बाधा में सुधार करना है।

7 मेलानिस्टिक टाइगर सफारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के पास एक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने की घोषणा की। यह सफारी दुनिया में कहीं भी अपनी तरह की पहली सफारी होगी जहां पर्यटकों को केवल ओडिशा में पाई जाने वाली दुर्लभ तथा रॉयल मेलानिस्टिक बाघ प्रजातियों को देखने का मौका मिलेगा।

मेलानिस्टिक टाइगर्स के बारे में:

- मेलानिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है। यह त्वचा में एक पदार्थ है जो बाल, आंख और

त्वचा रंजकता पैदा करता है जिसके परिणामस्वरूप किसी जानवर की त्वचा, पंख या बाल काले (या लगभग काले) हो जाते हैं।

- सिमिलिपाल के कई शाही बंगाल बाघ एक अद्वितीय वंश से संबंधित हैं जिनमें मेलानिन का स्तर सामान्य से अधिक है जो उनके कोट पर काली और पीली धारियों के रूप में दिखाई देता है।
- ये बाघ पूरी तरह से काले नहीं हैं, इसलिए इन्हें छद्म-मेलानिस्टिक के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है।
- अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 2022 के अनुसार, एसटीआर में 16 बाघों को दर्ज किया गया था जिनमें से 10 मेलानिस्टिक थे।

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के बारे में:

- सिमिलिपाल भारतीय राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले (झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे) में 2,750 वर्ग किमी (1,060 वर्ग मील) में फैला एक बाघ अभयारण्य है।
- यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है जिसमें तीन संरक्षित क्षेत्र सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व, हदागढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा था जिसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था।
- यह पार्क बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और गौर आदि का घर है। यह संरक्षित क्षेत्र 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है।

आगे की राह:

सफारी वन्यजीव संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को दुर्लभ बड़ी बिल्लियों को करीब से देखने तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने की अनुमति देगी। यह अपनी अनूठी जैव विविधता के संरक्षण और प्रदर्शन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 मानव में ब्रेन चिप प्रत्यारोपण

चर्चा में क्यों?

एलोन मस्क के ब्रेन-चिप स्टार्टअप 'न्यूरालिंक' ने एक मानव रोगी में अपने इनोवेटिव ब्रेन चिप को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि न्यूरोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण है जो मानव मस्तिष्क को समझने और उसके साथ जुड़ने में क्रांतिकारी प्रगति की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

सफल प्रत्यारोपण और पुनर्प्राप्ति:

- एलोन मस्क ने घोषणा किया कि पहला मानव रोगी जिसमें न्यूरालिंक ब्रेन चिप इम्प्लांट किया गया था, वह ठीक हो रहा है। ब्रेन चिप का सफल प्रत्यारोपण उन्नत ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) प्रौद्योगिकियों को विकसित करके पक्षाघात और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

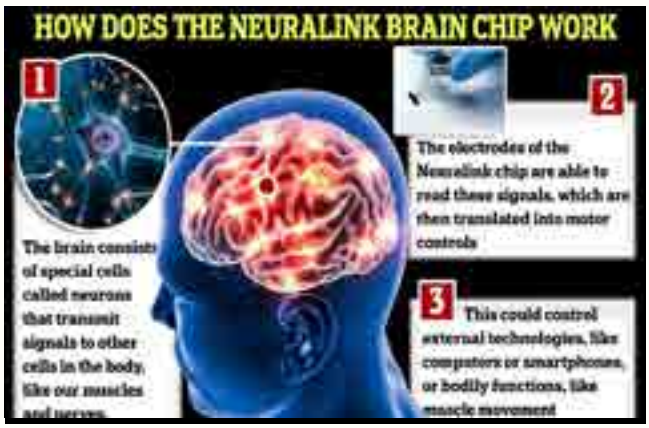

न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन में आशाजनक प्रारंभिक परिणाम:

- प्रारंभिक चरण से ही उत्साहवर्धक परिणाम साझा किये गये। इसके तहत प्रत्यारोपित ब्रेन चिप ने न्यूरॉन स्पाइक का पता लगाने का वादा किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा वर्णित न्यूरॉन स्पाइक्स, मस्तिष्क के भीतर और शरीर के बाकी हिस्सों में जानकारी संचारित करने के लिए मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युत तथा रासायनिक संकेतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्षमता पक्षाघात और तंत्रिका संबंधी विकारों वाले रोगियों की सहायता में न्यूरालिंक के उद्देश्यों की संभावित सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

एफडीए क्लीयरेंस और मानव परीक्षण:

- न्यूरालिंक को मानव विषयों पर अपना पहला परीक्षण करने के लिए पिछले साल अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से मंजूरी मिली थी। इस नियामक क्लीयरेंस ने स्टार्टअप हेतु व्यक्तियों में ब्रेन चिप प्रत्यारोपण के परीक्षण के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। यह अनुमोदन न्यूरालिंक के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जो मानव उपयोग हेतु इसकी प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और व्यवहार्यता की नियामक स्वीकृति को उजागर करता है।

टेलीपैथी प्रोजेक्ट और वायरलेस ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस:

- एलोन मस्क के अनुसार न्यूरालिंक की प्रगति से उत्पन्न पहला उत्पाद 'टेलीपैथी' कहा जाएगा। परियोजना का लक्ष्य एक वायरलेस मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस बनाना है जो व्यक्तियों को अकेले अपने विचारों का उपयोग करके कंप्यूटर या कीबोर्ड जैसे बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी संकेतों को संचारित करने के लिए मस्तिष्क में प्रत्यारोपित अति सूक्ष्म धागों का उपयोग करती है जो मस्तिष्क-मशीन संचार के विकास में एक सकारात्मक संकेत है।

जांच और चुनौतियाँ:

- ब्रेन चिप इम्प्लांट की सफलता के बाद न्यूरालिंक को सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जांच का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक सामग्रियों की आवाजाही से संबंधित अमेरिकी परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, बंदरों में प्रत्यारोपण के कथित समस्याओं के बाद, न्यूरालिंक की तकनीक की सुरक्षा पर संभावित भ्रामक जानकारी के बारे में सांसदों द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी। एलोन मस्क ने स्पष्ट किया कि कंपनी ने स्वस्थ बंदरों के जोखिम को कम करने के लिए 'टर्मिनल' बंदरों को चुना था।

आगे की राह:

मनुष्य में मस्तिष्क चिप प्रत्यारोपित करने में न्यूरालिंक की उपलब्धि न्यूरोटेक्नोलॉजी की प्रगति में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। सफल मानव परीक्षण और आशाजनक परिणाम मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस के भविष्य तथा न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के समाधान में संभावित अनुप्रयोगों के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं।

2 नई मिश्र धातु से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी- स्टडी

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने एक नवीन मिश्र धातु की खोज की है जो एक वैकल्पिक चुंबकीय रेफ्रिजरेंट के रूप में शीतलन प्रौद्योगिकियों में क्रांति ला सकती है और संभावित रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है। यह खोज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल शीतलन समाधानों की तत्काल वैश्विक आवश्यकता को संबोधित करती है।

चुंबकीय प्रशीतन प्रौद्योगिकी और इसका महत्त्व:

- चुंबकीय प्रशीतन, एक अत्याधुनिक शीतलन तकनीक है जो पारंपरिक वाष्प-चक्र प्रशीतन के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में कार्य करती है। पारंपरिक तरीकों के विपरीत चुंबकीय प्रशीतन, चुंबकीय शीतलन प्रभाव (एमसीई) का उपयोग

करता है जहां एक चुंबकीय सामग्री बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया में प्रतिवर्ती तापमान परिवर्तन से गुजरती है। यह चक्र उन्नत ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है तथा घरों, उद्योगों और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक फैले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्थायी शीतलन समाधान बनाने के प्रयासों के साथ संरेखित होता है।

सामग्री मानदंड और अनुसंधान फोकस:

- एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की शोध टीम ने विशिष्ट मानदंडों के साथ चुंबकीय सामग्री विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया:
  - लाखों चक्रों में स्थायित्व
  - उच्च तापीय चालकता
  - 2 टेस्ला के मध्यम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रियाशीलता
- मौजूदा सामग्री अक्सर इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पाती थी जिससे निचले चुंबकीय क्षेत्र में विशाल मैग्नेटो-कैलोरी प्रभाव (जीएमसीई) प्रदर्शित करने वाले मिश्र धातुओं की खोज की आवश्यकता होती थी।

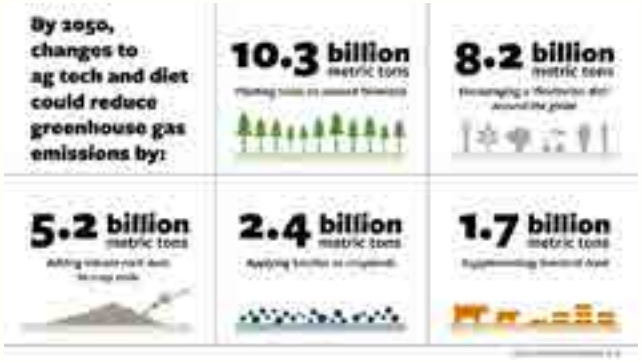

हेसलर अलॉय ब्रेकथ्रू:

- सभी-संक्रमण धातु-आधारित हेस्लर मिश्र धातुएं, विशेष रूप से Ni (Co)-Mn-Ti हेस्लर प्रणाली के साथ टीम के प्रयोग से आशाजनक परिणाम मिले। Ni35Co15Mn34-5-xCuxTi15.5 मिश्र धातु ने 5 T और 7 T चुंबकीय क्षेत्र के तहत विशाल प्रतिवर्ती MCE और मैग्नेटो-प्रतिरोध (MR) का प्रदर्शन किया। मिश्र धातु में तांबे (Cu) की शुरूआत ने सामग्री के चुंबकीय संक्रमण को बदल दिया जिससे क्रिस्टल और चुंबकीय संरचना दोनों में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रदर्शित हुआ।

संश्लेषण और प्रदर्शन मूल्यांकन:

- शोधकर्ताओं ने मिश्र धातु के पॉलीक्रिस्टलाइन नमूनों का उत्पादन करने के लिए आर्क पिघलने की तकनीक को नियोजित किया जिससे कई पुन: चक्रों के माध्यम से संरचनागत समरूपीकरण सुनिश्चित हुआ। परिणामी मिश्र धातु, Ni35Co15Mn34.5-xCuxTi15.5 ने ऑल-डी-मेटल हेस्लर परिवार के भीतर प्रतिवर्ती एमसीई और एमआर के उच्चतम रिपोर्ट किए गए मूल्यों को प्रदर्शित किया। यह सफल संयोजन विविध ठोस-अवस्था तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए क्षमता रखता है।

आगे की राह:

क्यू-डोप्ड हेस्लर मिश्र धातु में विशाल एमसीई और एमआर के तालमेल का सुझाव देती है जो नवीन और कुशल ठोस-राज्य प्रौद्योगिकियों को जन्म दे सकती है। शोधकर्ता इस मिश्र धातु से उत्पन्न होने वाले अनुप्रयोगों की एक शृंखला का अनुमान लगाते हैं जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अगली पीढ़ी के शीतलन प्रणालियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

3 डीआरडीओ की हरित प्रणोदन प्रणाली कक्षा में सफल

चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत विकसित हरित प्रणोदन प्रणाली का कक्षा में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पर्यावरण-अनुकूल और नवीन प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है।

1एन क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर प्रोजेक्ट:

- बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा '1एन क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर फॉर अल्टीट्यूड कंट्रोल एंड ऑर्बिट कीपिंग' नामक विशिष्ट परियोजना शुरू की गई थी।
- इस स्टार्ट-अप ने ग्रीन प्रोपल्शन के लिए विकास एजेंसी के रूप में कार्य किया था। यह प्रणाली, अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में योगदान देने में निजी उद्यमों की शक्ति का प्रदर्शन करती है।

पीएसएलवी सी-58 मिशन पर सफल प्रदर्शन:

- हरित प्रणोदन प्रणाली ने पीएसएलवी सी-58 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए पेलोड पर शक्ति का प्रदर्शन किया।
- बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) में पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) से एकत्र किए गए टेलीमेट्री डेटा को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सत्यापन किया गया।
- यह सिस्टम न केवल सभी प्रदर्शन मापदंडों पर खरा उतरा, बल्कि उनसे आगे निकल गया जो परियोजना के लिए एक महत्त्वपूर्ण सफलता है।

टीडीएफ-रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देना:

- यह परियोजना प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से संभव हुई जो डीआरडीओ द्वारा निष्पादित रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- यह कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत संचालित होता है जिसे रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार को वित्तपोषित करने, विशेष रूप से स्टार्ट-अप तथा एमएसएमई को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- हरित प्रणोदन प्रणाली का सफल परिणाम तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में ऐसी पहल की क्षमता को दर्शाता है।

हरित प्रणोदन प्रणाली की विशेषताएं:

- विकसित हरित प्रणोदन प्रणाली लो आर्बिट वाले अंतरिक्ष मिशनों

के लिए एक गैर विषैले और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करती है।
- इसमें प्रोपेलेंट, फिल तथा ड्रेन वाल्व, लैच वाल्व, सोलनॉइड वाल्व, उत्प्रेरक बिस्तर और ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्वदेशी रूप से विकसित घटक शामिल हैं।
- यह प्रणाली हाई प्रेशर आवश्यकताओं वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो टिकाऊ प्रणोदन प्रौद्योगिकियों की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।
- संपूर्ण परियोजना 'संकल्पना से निष्पादन तक' डीआरडीओ के परियोजना निगरानी और परामर्श समूह के मार्गदर्शन में विकास एजेंसी द्वारा की गई थी।
- बाहरी अंतरिक्ष में अवशिष्ट प्रणोदक का सफल पारित होना और टीडीएफ के तहत भरने की प्रक्रिया की स्थापना परियोजना की व्यापक सफलता को उजागर करती है।

आगे की राह:

यह उपलब्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सफल सहयोग को दर्शाती है बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में अधिक टिकाऊ और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। हरित प्रणोदन प्रणाली एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में टिकाऊ प्रथाओं के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ सरेखित करते हुए, पर्यावरण के प्रति जागरूक अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

4 नैनो डीएपी से भारतीय कृषि में क्रांति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में निर्मित क्रांतिकारी उर्वरक नैनो डीएपी के अनुप्रयोग में महत्त्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों के विभिन्न फसलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

नैनो डीएपी बनाम पारंपरिक डीएपी:

- डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है जो पौधों में जड़ विकास के लिए महत्त्वपूर्ण फास्फोरस की उच्च सामग्री के लिए जाना जाता है।
- हालाँकि, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) द्वारा पेश की गई नैनो डीएपी पारंपरिक डीएपी से अलग है, जबकि डीएपी आमतौर पर दानेदार रूप में आता है। नैनो डीएपी एक तरल फॉर्मूलेशन है जिसमें मात्रा के हिसाब से 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है।

नैनो डीएपी की विशेषता:

- नैनो डीएपी 100 नैनोमीटर (एनएम) से कम माप वाले अपने कण आकार के कारण अलग दिखता है।
- यह छोटा कण आकार दक्षता बढ़ाता है जिससे उर्वरक आसानी से रंध्र और अन्य छिद्रों के माध्यम से बीज या पौधों की सतहों में प्रवेश कर सकता है।
- इससे आत्मसातीकरण में सुधार के परिणामस्वरूप उच्च बीज शक्ति, क्लोरोफिल में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषक दक्षता में सुधार, बेहतर गुणवत्ता और अंततः उच्च फसल पैदावार होती है।

नैनो डीएपी के लाभ:

- **लागत-प्रभावशीलता:** पारंपरिक डीएपी की तुलना में नैनो डीएपी अधिक लागत-अनुकूल है। 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 600 रुपये है, जबकि पारंपरिक डीएपी के 50 किलोग्राम बैग की कीमत 1,350 रुपये के बराबर है, इसलिए यह किसानों के लिए अधिक किफायती विकल्प प्रदान करता है। डीएपी पर महत्त्वपूर्ण सब्सिडी को देखते हुए इससे सरकार का सब्सिडी बोझ कम हो सकता है।
- **किसानों के लिए सुविधा:** 500 मिलीलीटर की बोतलों में पैक किया गया नैनो डीएपी का तरल रूप किसानों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होता है। परिवहन, भंडारण और अनुप्रयोग की आसानी इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है। किसान प्रति एकड़ प्रति स्प्रे 250-500 मिलीलीटर नैनो डीएपी को पानी में घोलकर फसलों पर उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं।
- **आयात निर्भरता में कमी:** भारत पारंपरिक रूप से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। गुजरात के कलोल में निर्मित घरेलू स्तर पर उत्पादित नैनो डीएपी को अपनाने से इस आयात बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह कदम उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सरकार का दृष्टिकोण:

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने उर्वरकों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया है। यह कदम आयात निर्भरता को कम करने और किसानों को लागत प्रभावी तथा कुशल उर्वरकों के साथ समर्थन देने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है।

आगे की राह:

नैनो डीएपी को व्यापक रूप से अपनाने से भारतीय कृषि में एक नए युग की शुरुआत हुई है जिससे उत्पादकता में वृद्धि, लागत-प्रभावशीलता और आयात पर निर्भरता कम होने का वादा किया गया है। चूंकि सरकार इस नवोन्वेषी उर्वरक के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है तथा कृषि परिदृश्य सकारात्मक परिवर्तनों के लिए तैयार है जिससे किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होने की संभावना है।

5 कर्नाटक सरकार की डिजिटल डिटॉक्स पहल

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक राज्य सरकार ने जिम्मेदार गेमिंग वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल किया है। एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग

और विस्तारित वास्तविकता के लिए अपनी व्यापक नीति पेश करने के बाद, सरकार ने 'डिजिटल डिटॉक्स' पहल को लागू करने की योजना बनाई है।

सहयोग के साथ चिंताओं को संबोधित करना:

- कर्नाटक के आईटी मंत्री के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देकर डिजिटल रूप से सशक्त कर्नाटक का निर्माण करना है। सरकार इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम (एआईजीडीएफ) के साथ सहयोग करने का इरादा रखती है।

अत्यधिक गेमिंग और सोशल मीडिया के उपयोग से निपटना:

- डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम विशेष रूप से उस समय को लक्षित करेगा जो व्यक्ति गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं।
- गेमिंग उद्योग में संभावित चिंताओं के बावजूद, सरकार अत्यधिक स्क्रीन समय के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी पर जोर देती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना:

- डिजिटल निर्भरता के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कर्नाटक के आईटी मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, ध्यान के दायरे में कमी और वास्तविक दुनिया के तनावपूर्ण रिश्तों की ओर इशारा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रौद्योगिकी सुविधा और कनेक्टिविटी प्रदान करती है, लेकिन इसमें एक महत्त्वपूर्ण लागत आती है जिसके लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।

प्रौद्योगिकी का सार्थक उपयोग:

- डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके सार्थक और रचनात्मक उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में है। सरकार का लक्ष्य अधिक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हुए व्यक्तियों और समाज पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभावों को कम करना है।

माइंडफुल टेक्नोलॉजी के लिए सहयोगात्मक प्रयास:

- इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार AIGDF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) के साथ सहयोग करेगी। इसके माध्यम से एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर होगा जो जिम्मेदार प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

व्यापक डिटॉक्स केंद्र:

- इस पहल के हिस्से के रूप में सरकार राज्य भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 'डिजिटल डिटॉक्स' केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ये केंद्र प्रशिक्षित पेशेवरों के माध्यम से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा प्रौद्योगिकी के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने वाले व्यक्तियों को परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे।

आगे की राह:

जिम्मेदार गेमिंग और प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार की प्रतिबद्धता एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। अत्यधिक गेमिंग और सोशल मीडिया से संबंधित चिंताओं को संबोधित करके, डिजिटल डिटॉक्स पहल का उद्देश्य संतुलन बनाना है जिससे राज्य के निवासियों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त होने के साथ ही जागरूक भविष्य सुनिश्चित हो सके।

6 अल्ट्राकोल्ड परमाणु

चर्चा में क्यों?

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम छवि-सुधार (इमेज करेक्शन) एल्गोरिदम विकसित किया है जो अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं की जांच में उल्लेखनीय रूप से योगदान दे सकता है।

अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं का परिचय:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु वे होते हैं जिनका तापमान पूर्ण शून्य के करीब होता है जहां उनके क्वांटम-मैकेनिकल गुण प्रभावी होते हैं।
- ऐसे कम तापमान को प्राप्त करने के लिए आमतौर पर विभिन्न तकनीकों के संयोजन की आवश्यकता होती है।

अध्ययन की गई प्रायोगिक घटना:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं के प्रयोग कई प्रकार की घटनाओं की जांच में क्वांटम चरण संक्रमण, बोस-आइंस्टीन संघनन (बीईसी), सुपरफ्लुइडिटी, क्वांटम चुंबकत्व आदि शामिल हैं।
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु प्रणालियों का उपयोग अपनी सीमा से परे भौतिकी का अध्ययन करने के लिए क्वांटम सिमुलेटर के रूप में किया जाता है।
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु के संभावित अनुप्रयोगों में क्वांटम कंप्यूटर का कार्यान्वयन भी शामिल है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु के नमूने लेजर क्षेत्रों के साथ अंत: क्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं जिसमें 1901 के विकिरण दबाव के प्रमाण भी मौजूद हैं।
- परमाणु शीतलन के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग सर्वप्रथम 1975 में प्रस्तावित किया गया था जिससे डॉपलर शीतलन जैसी तकनीकें और मैग्नेटो-ऑप्टिकल ट्रैप (एमओटी) का विकास हुआ।
- वाष्पीकरणीय शीतलन (जिसका उपयोग और भी कम तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है) से बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (बीईसी) की खोज हुई थी।

अल्ट्राकोल्ड परमाणुओं के अनुप्रयोग:

क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग जैसे क्वांटम सूचना प्रसंस्करण कार्यों का समर्थन करते हैं।
- वे अपनी सुसंगतता और नियंत्रण के कारण क्वांटम लॉजिक को सक्षम करते हैं।
- अल्ट्राकोल्ड परमाणु स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण बल और क्षेत्रों को मापने में सटीकता दर्शाते हैं।

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु जैविक प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं जिससे जैविक अणुओं के सहसंबंध और भेषज अनुसंधान को समझने में सहायता होती है।
- इसके साथ ही ये प्रोटीन संरचना और एंजाइमैटिक प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

क्वांटम सेंसिंग और इमेजिंग:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों की उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजिंग तथा सेंसिंग क्षमता को सक्षम बनाते हैं।
- उनके पास विभिन्न अनुप्रयोग, चिकित्सा निदान, पर्यावरण निगरानी और धातु वर्गीकरण जैसी क्षमता होती हैं।

ब्रह्माण्ड संबंधी घटनाओं का अनुकरण:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु डार्क मैटर व्यवहार जैसी जटिल ब्रह्माण्ड संबंधी घटनाओं का अनुकरण करते हैं।
- वे आकाशगंगा निर्माण और ब्रह्माण्ड संबंधी विकास को समझने में सहायता करते हैं।

क्वांटम सामग्री अनुसंधान:

- अल्ट्राकोल्ड परमाणु प्रणाली सुपरकंडक्टर्स और टोपोलॉजिकल इंसुलेटर जैसी क्वांटम सामग्रियों का मॉडल बनाते हैं।
- वे संघनित पदार्थ प्रणालियों में नवीन क्वांटम चरणों और इलेक्ट्रॉन व्यवहार का भी पता लगाते हैं।

आगे की राह:

अल्ट्राकोल्ड परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं और आणविक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक नियंत्रित पद्धति प्रदान करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियात्मक संबंधों को उजागर करते हैं तथा मध्यवर्ती की पहचान करके कुशल उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं।

7 नाइट्रोजन गैस के माध्यम से मृत्युदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हत्या में दोषी पाए गए केनेथ स्मिथ, नाइट्रोजन गैस द्वारा मौत की सजा पाने वाला अमेरिका का पहला व्यक्ति बन गया।

जानलेवा इंजेक्शन क्यों नहीं?

- मृत्युदंड के लिए घातक इंजेक्शन (जिसमें कैदी को बेहोश करने और मारने वाली दवाओं का इंजेक्शन लगाया जाता है) 1982 में टेक्सास में पहली बार इस्तेमाल होने के बाद से पसंदीदा तरीका रहा है।
- ऐसा देखा गया है कि घातक इंजेक्शन को व्यावहारिक और नैतिक दोनों तरह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई फाँसी की सजाएँ विफल हो गई हैं जिससे कैदियों को पीड़ा हुई। उपयुक्त नसें ढूंढने में कठिनाइयों के कारण स्मिथ जैसे कुछ कैदियों की फांसी में देरी हुई या रद्द कर दी गई और कुछ राज्यों को घातक इंजेक्शन के लिए आवश्यक दवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि दवा निर्माताओं ने उन्हें बेचने से इंकार कर दिया है या उनका उत्पादन बंद कर दिया है।
- यूके और यूरोपीय संघ ने 2011 में घातक इंजेक्शन दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन दवाओं के अंतिम प्रमुख आपूर्तिकर्ता फाइजर ने 2016 में निष्पादन उद्देश्यों के लिए उन्हें बेचना बंद कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों ने अप्रयुक्त या गुप्त दवाओं का उपयोग करना शुरू किया।

नाइट्रोजन गैस क्यों?

- नाइट्रोजन गैस निष्पादन का एक अन्य विकल्प है। कुछ राज्यों ने फांसी में नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल को मंजूरी दी है और कानूनी चुनौतियों से इसका बचाव किया है। उनका तर्क है कि नाइट्रोजन गैस मारने का एक मानवीय और दर्द रहित तरीका है क्योंकि यह मृत्यु से पहले उत्साह तथा बेहोशी की स्थिति पैदा करती है। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिक दुर्घटनाओं में श्रमिकों की नाइट्रोजन हाइपोक्सिया से मृत्यु हो जाती है जिन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है।

नाइट्रोजन गैस के बारे में:

- नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के दो अणु होते हैं इसलिए इस गैस का आणविक सूत्र N_2 है। यह एक गैर-धातु तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 15 में है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है जिसकी खोज 1772 में डैनियल रदरफोर्ड नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी।
- नाइट्रोजन युक्त हवा में सांस लेने से शारीरिक और मानसिक हानि के विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले नाइट्रोजन की सांद्रता के आधार पर अचानक बेहोशी से लेकर दम घुटने के कारण मृत्यु तक के संकेत और लक्षण हो सकते हैं।

नाइट्रोजन गैस का उपयोग:

- नाइट्रोजन गैस एक उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है जो विभिन्न सामग्रियों के ऑक्सीकरण को कम कर सकती है। इसका उपयोग ज्यादातर अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है जिसे हम उर्वरक, विस्फोटक या विभिन्न अन्य सामग्रियों के रूप में उपयोग करते हैं।
- तरल नाइट्रोजन एक उत्कृष्ट रेफ्रिजरेंट है जो चीजों को अपेक्षाकृत कम तापमान पर जमा देता है। यह बड़े कंप्यूटर सिस्टम के लिए शीतलक के रूप में भी काम करता है। यह घरेलू उद्देश्यों के लिए भी कीटाणुनाशक का उपयोग करता था।

आगे की राह:

नाइट्रोजन गैस के आलोचकों का कहना है कि यह एक प्रायोगिक और अप्रमाणित तरीका है जो कैदियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ करेक्शनल फिजिशियन के अध्यक्ष डॉ. जेफ केलर कहते हैं कि यह एक प्रायोगिक प्रक्रिया है लेकिन कई चीजें गलत हो सकती हैं, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले इसके फायदे और नुकसान को समझ लेना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक मुद्दे

1 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2020-21 और 2021-22 की संदर्भ अवधि के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के परिणाम जारी किए जिन्हें एएसआई 2020-21 और एएसआई 2021-22 कहा जाता है।

मुख्य निष्कर्ष:

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि:

- वर्ष 2020-21 के दौरान मौजूदा कीमतों में जीवीए में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2021-22 के दौरान जीवीए में 26.6% की अच्छी वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 35% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

रोजगार वृद्धि:

- इसने 2021-22 में कुल अनुमानित रोजगार में 7.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया।
- सर्वेक्षण के लिए आंकड़े एएसआई 2020-21 में अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक और एएसआई 2021-22 में मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक शामिल थे।
- वैश्विक लॉकडाउन के कारण 2020-21 और 2021-22 में महामारी ने रोजगार को व्यापक रूप से प्रभावित किया।

एएसआई उद्देश्य:

- उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों में परिवर्तन की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जिसमें उत्पादन, मूल्य वृद्धि, रोजगार और पूंजी निर्माण जैसे पैरामीटर शामिल हैं।

विकास के प्रमुख चालक (2021-22):

- पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद और रसायन जैसे उद्योगों ने सामूहिक रूप से कुल जीवीए का 56% योगदान दिया।
- इस उद्योग ने 2020-21 की तुलना में 34.4% की जीवीए वृद्धि और 37.5% की उत्पादन वृद्धि दर्ज की।

रोजगार रुझान:

- 2020-21 में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जबकि 2021-22 में रोजगार में साल-दर-साल 7.0% की वृद्धि हुई।
- 2021-22 में अनुमानित रोजगार महामारी-पूर्व स्तर से 9.35 लाख से अधिक हो गया।

राज्यवार प्रदर्शन:

- गुजरात 2020-21 में जीवीए में शीर्ष पर रहा, जबकि 2021-22 में दूसरा स्थान हासिल किया।
- 2021-22 में महाराष्ट्र पहले, जबकि 2020-21 में दूसरे स्थान पर रहा।
- शीर्ष पांच राज्यों ने कुल विनिर्माण जीवीए में लगभग 53% का योगदान दिया।

राज्यवार रोजगार:

- तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा रोजगार के मामले में अग्रणी राज्य रहे।
- इन शीर्ष पांच राज्यों ने कुल विनिर्माण रोजगार में लगभग 54% का योगदान दिया।

आगे की राह:

डेटा संग्रह, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 के तहत एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। पिछले दो वित्तीय वर्षों का प्रदर्शन बेहतर रहा है परन्तु ऐसे ही निरन्तरता बनाए रखने की जरूरत है।

2 पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार, अब तक शुरुआती 10,000 के ऋण से प्रति लाभार्थी 23,460 की अतिरिक्त वार्षिक आय हुई है। इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट का उपयोग, मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए आंतरिक रूप से किया जाएगा जिसे सार्वजनिक किए जाने की संभावना नहीं है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- पीएम-स्वनिधि पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 60.65 लाख पहली अवधि के ऋण, 16.95 लाख दूसरी अवधि के ऋण और 2.43 लाख तीसरी अवधि के ऋण वितरित किए गए हैं।
- आईएसबी अध्ययन में 22 राज्यों के 100 शहरी स्थानीय निकायों में 5,141 विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया।
- सर्वेक्षण में शामिल 95% लाभार्थियों ने पीएम-स्वनिधि ऋण को अपना पहला बैंक ऋण माना, जबकि 72% ने इसे अपना पहला व्यावसायिक ऋण माना है।
- प्राथमिक रूप से ऋण लेने वालों में से 94% ने इसका उपयोग व्यावसायिक निवेश के लिए किया, जबकि दूसरे ऋण के लिए यह आंकड़ा 98% था।
- पहले ऋण से प्रति माह 1,955 की अतिरिक्त आय हुई जो एक वर्ष की अवधि में कुल 23,460 दर्ज की गई।
- वितरित किए गए सभी ऋणों में से 13.9% को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, महामारी के दौरान एनपीए सबसे अधिक था लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आई है।
- लाभार्थियों का ऋण-से-आय (डीटीआई) अनुपात (9%) छोटे व्यवसायों के लिए अपेक्षा से कम था जो उनकी उच्च साख (क्रेडिट) को दर्शाता है।

- पीएम स्वनिधि योजना के बावजूद, स्ट्रीट वेंडरों को अन्य स्रोतों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ, इस संबंध में केवल 9% के पास अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का प्रमाण था।

आगे की राह:

पीएम स्वनिधि योजना निश्चित रूप से बेहतर परिणाम दे रही है, परन्तु कुछ स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड अभी भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार को व्यवस्थित सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की जा सके।

3 भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वार्षिक तौर पर 20.25% बढ़ गया जो जनवरी में 19.4% था।

प्रत्यक्ष कर संग्रह:

- सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपये हो गया जो 10 फरवरी, 2024 तक 17.30% की प्रतिवर्ष वृद्धि दर्शाता है।
- शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड के अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 20.25% की वृद्धि के साथ 15.60 लाख करोड़ रुपये हो गया।

कर श्रेणियों का विश्लेषण:

- शुद्ध कॉपारेट आयकर (सीआईटी) वृद्धि प्रतिवर्ष 13.57% दर्ज की गई है।
- शुद्ध व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) प्रतिवर्ष 26.91% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।

रिफंड और निर्गम:

- 1 अप्रैल 2023 से 10 फरवरी 2024 के बीच कुल 2.77 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

विकास के रुझान:

- कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) ने 9.16% की वृद्धि दर दर्ज की है।
- व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) रिफंड समायोजन से पहले 25.67% (केवल पीआईटी) या 25.93% (एसटीटी सहित पीआईटी) की वृद्धि दर दर्ज की है।

मंत्रालय का वक्तव्य:

- वित्त मंत्रालय ने अनंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्थिर वृद्धि दर्ज की है जिसका सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपये का है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.30% की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उस कर को लगाने वाले शासी प्राधिकारी को सीधे भुगतान किए जाने वाले कर से है। प्रत्यक्ष कर में कराधान की घटना और प्रभाव एक ही इकाई पर पड़ता है।
- प्रत्यक्ष करों के उदाहरणों में आयकर, वास्तविक संपत्ति कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि शामिल हैं।

प्रत्यक्ष कर का महत्त्व:

- **कर का न्यायसंगत आवंटन:** आयकर और धन कर जैसे प्रत्यक्ष कर, भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं जो कर के आवंटन में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।
- **प्रगतिशील कराधान:** प्रत्यक्ष कराधान आम तौर पर प्रगतिशील होता है जो कर प्रणाली में उन्नयन और प्रगतिशीलता की अनुमति देकर आय तथा धन की असमानताओं को दर करने का प्रयास करता है।
- **राजस्व लचीलापन:** प्रत्यक्ष कर लोचदार और उत्पादक होते हैं जो राष्ट्रीय आय या धन में परिवर्तन के अनुरूप बढ़ता या घटता है।
- प्रत्यक्ष कराधान निश्चितता के सिद्धांत का प्रतीक है जो करदाताओं को उनके कर दायित्वों का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है जिससे राज्य द्वारा सटीक राजस्व अनुमान लगाया जा सकता है।
- **आर्थिक दक्षता:** आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर वार्षिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं जिससे कम अंतराल पर एकत्र किए गए करों की तुलना में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने से कर चोरी की संभावना कम हो जाती है।
- **नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहन:** प्रत्यक्ष कर करदाताओं के बीच नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि कराधान का प्रत्यक्ष दबाव सरकारी खर्च और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

आगे की राह:

वैश्विक अनिश्चतता होने के बाद भी भारत में कर राजस्व बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है जिसको लेकर सरकार को लगातार आर्थिक सुधार करने की जरूरत है। भारत के मजबूत आधारभूत ढांचे से भविष्य में लाभ होने की संभावना है।

4 पेटीएम के खिलाफ आरबीआई की कार्यवाही

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से खातों और वॉलेट सहित अपनी सभी मुख्य सेवाओं की पेशकश करने से रोक लगा दिया जिससे कंपनी का व्यवसाय व्यापक रूप से प्रभावित हुआ।

आरबीआई की कार्यवाही का कारण:

- आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लगभग सभी प्रमुख सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया है जिसमें किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आदि शामिल हैं।
- आरबीआई के अनुसार, ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, एनसीएमसी आदि सहित पेटीएम खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध जारी है।

- हालाँकि, आरबीआई के बयान में ऋण, म्यूचुअल फंड, बिल भुगतान, डिजिटल सोना और क्रेडिट कार्ड जैसी कई अन्य सेवाओं का उल्लेख नहीं है।
- केंद्रीय बैंक ने अपनी कार्यवाही का कोई उचित कारण नहीं बताया, परन्तु पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2018 से आरबीआई की जांच का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की कार्यवाही केवाईसी अनुपालन और आईटी से संबंधित मुद्दों पर चिंताओं के कारण हो सकती है।
- केंद्रीय बैंक किसी भी संस्था या बैंकिंग इकाई को जमाकर्ताओं के पैसे को ऐसे जोखिमों में डालने की अनुमति देने के बारे में चिंतित है।

चीन का पहलू:

- पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी ओसीएल भी समूह के भीतर अपेक्षित सूचना बाधाओं की कथित कमी तथा चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा पहुंच के लिए आरबीआई की जांच के दायरे में आई है जो मूल कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से भुगतान बैंक में अप्रत्यक्ष शेयरधारक थे। ऐसा समझा जाता है कि लंबे समय तक कई स्तरों पर इन चिंताओं को दूर करने में विफलता के कारण आरबीआई को नवीनतम कार्यवाही करनी पड़ी।
- एंटफिन, चीनी समूह अलीबाबा का एक सहयोगी है और वन97 कम्युनिकेशंस में एक शेयरधारक है। स्टॉक एक्सचेंज डेटा शो के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक, एंटफिन के पास कंपनी में 9.89% हिस्सेदारी थी।

आगे की राह:

यह कार्यवाही तकनीकी रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है, बल्कि कंपनी के संचालन को काफी हद तक प्रतिबंधित करना है। हालाँकि, केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को 'बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध शेष राशि तक' शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति दी है जो त्वरित और आसान लेनदेन के लिए एप्लीकेशन पर निर्भर थे।

5 स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के प्रत्यायन प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया।

स्वैच्छिक कार्बन बाजार के बारे में:

- कार्बन बाजार, कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य लगाने और उत्सर्जन में कमी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु डिजाइन की गई प्रणालियाँ हैं जिन्हें 'कार्बन क्रेडिट' भी कहा जाता है।
- ये क्रेडिट एक मीट्रिक टन CO_2 या समकक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें टाला गया, कम किया गया या हटाया गया है।
- यह उत्सर्जन कटौती पर केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं से आता है, जैसे वृक्षारोपण पहल और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आदि। मोटे तौर पर कार्बन बाजार दो प्रकार 'अनुपालन और स्वैच्छिक' के होते हैं।
- अनुपालन बाजार किसी भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय नीति या नियामक आवश्यकता के परिणामस्वरूप बनाए जाते हैं।
- स्वैच्छिक कार्बन बाजार 'राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय' स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट जारी करने, खरीदने तथा बेचने का उल्लेख करते हैं।
- स्वैच्छिक कार्बन बाजार एक व्यापारिक मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ व्यक्तियों और संगठनों दोनों के पास स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट की खरीद तथा बिक्री में शामिल होने का विकल्प होता है।

भारतीय कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजार:

- देश का लगभग 54.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों में लगा हुआ है जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 18.6 प्रतिशत है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बोया गया क्षेत्र 139.3 मिलियन हेक्टेयर था।
- स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट की वर्तमान आपूर्ति ज्यादातर निजी संस्थाओं से आती है जो कार्बन परियोजनाएं विकसित करती हैं या सरकारें जो कार्बन मानकों द्वारा प्रामाणित कार्यक्रम विकसित करती हैं तथा उत्सर्जन में कटौती करती हैं।
- यह छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रूपरेखा तैयार की गई है।
- किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से न केवल उन्हें लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी तेजी आएगी।

आगे की राह:

मैकिन्से के समर्थन से इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस द्वारा प्रायोजित स्वैच्छिक कार्बन बाजार स्केलिंग पर टास्कफोर्स का अनुमान है कि 2030 तक कार्बन क्रेडिट का बाजार 50 बिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है। हालाँकि, गंभीर चिंताएँ भी हैं जिनमें जीएचजी उत्सर्जन में कटौती की दोहरी गिनती, मानवाधिकारों का हनन और ग्रीनवॉशिंग (जिसमें कंपनियां अपनी हरित साख का गलत प्रचार करती हैं, उदाहरण के लिए जलवायु-तटस्थ उत्पादों या सेवाओं की गलत बयानी) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं जिसे समय पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

6 एमएसपी को वैध बनाने की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हजारों किसान (मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब से) स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी को वैध बनाने की मांग के लिए दिल्ली में हड़ताल कर रहे हैं।

किसान कानूनी समर्थन क्यों चाहता है?

- एमएसपी के लिए कानूनी समर्थन के बिना, इन राज्यों में किसानों को डर है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, खासकर जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं।
- एमएसपी एक प्रशासनिक आदेश है जिसके तहत किसानों को अक्सर मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर कीमतें मिलती हैं।
- किसानों के दृष्टिकोण से एमएसपी सुरक्षा जाल उन्हें बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और कृषि उत्पादन में अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करता है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपनी प्राथमिक आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

सरकार इसका पक्ष क्यों नहीं ले रही?

- सीमित खरीद बुनियादी ढांचे, स्टॉक की संभावित बर्बादी, विकृत फसल पैटर्न और प्रभावी बाजार पहुंच की कमी जैसी कई बाधाओं के कारण एमएसपी को वैध बनाना टिकाऊ नहीं हो सकता है।
- वित्त वर्ष 2020 के दौरान देश में कृषि उपज 40 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी, जबकि एमएसपी व्यवस्था का हिस्सा होने वाली फसलों का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।
- इस प्रकार केंद्र सरकार के 45 लाख करोड़ रुपये (2023-24 के लिए) के कुल व्यय से उपज के इस मूल्य की खरीद का मतलब होगा कि अन्य विकास और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बहुत कम राजस्व होना।
- एमएसपी-आधारित खरीद बाजार की कीमतों को विकृत कर सकती है और कुछ फसलों के अतिउत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है जिससे भंडारण तथा वितरण चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

एमएसपी के बारे में:

- एमएसपी सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत है जब वह किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए उनसे कोई फसल खरीदती है।
- इसकी घोषणा राज्य द्वारा संचालित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा वार्षिक आधार पर लगभग 22 वस्तुओं की खेती की लागत की गणना के बाद की जाती है।
- केंद्र सरकार हर साल इन फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है जिनमें सात अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), पांच दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द तथा मसूर), सात तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, तिल, सूरजमुखी, नाइजर बीज और कुसुम) एवं चार वाणिज्यिक फसलें (गन्ना, कपास, खोपरा और जूट) शामिल हैं।

आगे की राह:

एमएसपी को वैध बनाने के बजाय, कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन एमएसपी से बेहतर विचार होगा क्योंकि यह बाजारों को प्रभावित न करके सभी किसानों को समर्थन देगा। इसके अतिरिक्त सरकार एमएसपी और जिस दर पर किसान बेचते हैं, उसके बीच मूल्य अंतर का भुगतान करके भी इसका समाधान निकाल सकती है।

7 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी किसानों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) शुरू की। यह योजना 2023 से 2025-26 तक तीन साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लाभ:

- 8 वर्ष तक देय पर 3% की ब्याज छूट।
- क्रेडिट गारंटी अवधि ऋण का 25% तक कवरेज होना।
- ऋण राशि की कोई सीमा न होना।
- अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत का 90% तक ऋण।
- अन्य मंत्रालयों या राज्य स्तरीय योजनाओं की पूंजीगत सब्सिडी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में सहजता होना।

एएचआईडीएफ के बारे में:

- 24 जून, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की गई।
- एएचआईडीएफ डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना में निवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की सुविधा प्रदान करता है।
- योजना के तहत पात्र लाभार्थी एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं।

एएचआईडीएफ निम्नलिखित गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है:

- डेयरी प्रसंस्करण और विविध उत्पादों का बुनियादी ढांचा।
- मांस और मांस उत्पाद प्रसंस्करण अवसंरचना।
- चारा निर्माण इकाई की स्थापना।

आगे की राह:

पुनर्गठित योजना में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को शामिल किया गया है। अब डेयरी सहकारी समितियों को डीआईडीएफ में मिलने वाली 2.5% की बजाय एएचआईडीएफ के तहत 3% की ब्याज छूट का लाभ मिलेगा। डेयरी सहकारी को एएचआईडीएफ के क्रेडिट गारंटी फंड के तहत क्रेडिट गारंटी सहायता भी मिलेगी। यह योजना डेयरी सहकारी समितियों को अद्यतन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के साथ बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद करेगी जिससे देश में बड़ी संख्या में दूध उत्पादकों को फायदा होगा।

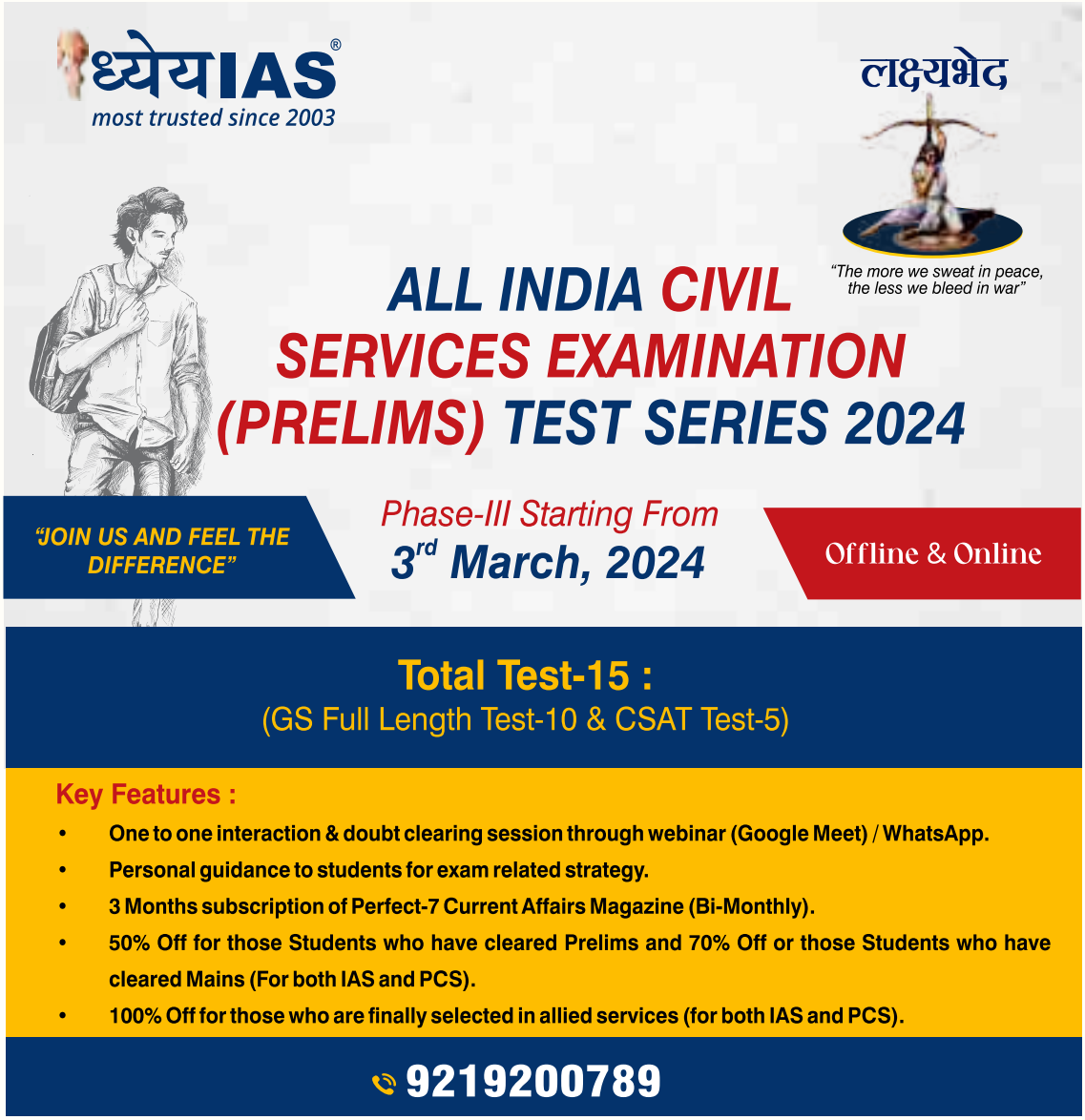

विविध मुद्दे

1 विश्व में बढ़ता कैंसर दबाब

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2024 को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में 2022 में 20 मिलियन नए कैंसर मामलों की वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में कैंसर के मामले:

- भारत में 2022 में कैंसर के 1,413,316 नए मामले सामने आए जिसमें महिला रोगियों में उल्लेखनीय लैंगिक असमानता देखी गई।
- स्तन कैंसर भारत में कैंसर के सबसे प्रचलित कैंसर के रूप में उभरा है जिसमें सभी मामलों में से 13.6% मामले शामिल हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर के 26% से अधिक मामले स्तन कैंसर वाले होते हैं।
- भारत में अन्य प्रचलित कैंसरों में मुख, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय, फेफड़े तथा ग्रासनली के कैंसर प्रमुख हैं।

वैश्विक कैंसर सांख्यिकी:

- वैश्विक स्तर पर फेफड़ों का कैंसर सबसे अधिक होने वाला कैंसर है जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद 2.3 मिलियन मामलों के साथ महिला स्तन कैंसर अधिक है।
- दुनिया भर में शीर्ष पांच सबसे आम कैंसर में कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर भी शामिल हैं।

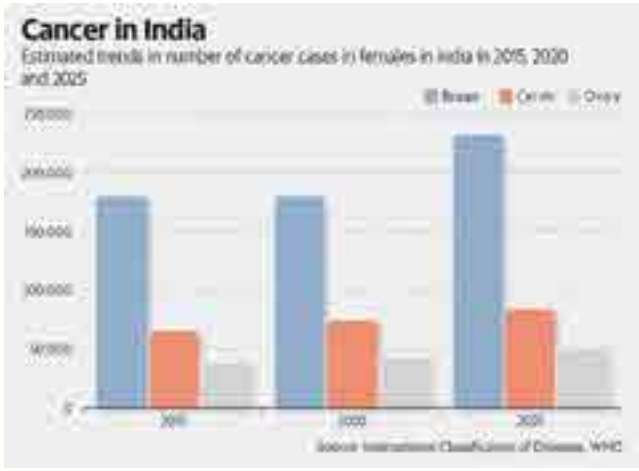

सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव:

- तम्बाकू का उपयोग, शराब का सेवन, मोटापा और वायु प्रदूषण जैसे सामाजिक आर्थिक कारक विश्व स्तर पर कैंसर के बढ़ते बोझ में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- निम्न और मध्यम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले देश विशेष रूप से इन जोखिम कारकों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं जहां उन्हें कैंसर से होने वाली उच्च घटनाओं तथा मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है।

नीतिगत उपाय:

- भारत में अंतरिम बजट 2024-25 ने 9-14 वर्ष की आयु की युवा लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण जैसे निवारक उपायों के महत्त्व को रेखांकित किया।
- प्रभावी नीतियों और विनियमों के माध्यम से धुआं रहित तंबाकू के सेवन जैसे जोखिम कारकों को संबोधित करना, विशेष रूप से भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों में मौखिक कैंसर के बोझ को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

भविष्य के अनुमान:

- डब्ल्यूएचओ ने 2050 तक कैंसर के बोझ में 77% की आश्चर्यजनक वृद्धि का अनुमान लगाया है जो इस बीमारी से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सर्वाइकल कैंसर:

- सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करता है जो विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है।
- भारत में, यह महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है जो जनसंख्या पर इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करता है।
- द लैंसेट अध्ययन के अनुसार, भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों का काफी बोझ है जो इस बीमारी से होने वाली वैश्विक मौतों में लगभग 25% का योगदान देता है।
- सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामले (99%) ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के उच्च जोखिम वाले उपभेदों के संक्रमण से जुड़े हैं जो आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- एचपीवी टीकाकरण और कैंसर पूर्व घावों की जांच सहित प्रभावी रोकथाम रणनीतियाँ तथा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की घटनाओं को काफी कम कर सकती हैं।
- शीघ्र पता लगाने और उचित प्रबंधन से सर्वाइकल कैंसर के पूर्वानुमान में काफी सुधार होता है जिससे शीघ्र निदान होने पर यह कैंसर के सबसे अधिक इलाज योग्य रूपों में से एक बन जाता है।
- भारत में प्रत्येक वर्ष सर्वाइकल कैंसर के लगभग 125,000 मामले और इस बीमारी से 75,000 मौतें दर्ज की जाती रही हैं।
- विशिष्ट उच्च जोखिम वाले एचपीवी उपभेदों, विशेष रूप से प्रकार 16 और 18 के साथ लगातार संक्रमण, वैश्विक स्तर पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के अधिकांश मामलों (लगभग 85%) के लिए जिम्मेदार है।

आगे की राह:

कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि होने से सीमित संसाधनों वाले देशों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं और महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ बढ़ने की आशंका होती है, इसलिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2 चुनाव आयुक्त के चयन की नई प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए पहली बार परामर्श प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के विवेक पर किये जाने की प्रक्रिया थी।

उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप:

- अक्टूबर 2018 में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या करने के लिए इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था।
- न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सितंबर 2022 में इन याचिकाओं पर सुनवाई आरम्भ की थी।
- याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 324(2) का उल्लेख किया और एक परामर्शात्मक प्रक्रिया की मांग करते हुए अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली की आलोचना की।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले नियुक्ति प्रक्रिया:

- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार कार्यकारी (संघ सरकार) के पास है।
- इसके लिए कानून मंत्रालय द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के डेटाबेस से एक शॉर्टलिस्ट बनाई जाती थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव आयुक्तों को औपचारिक रूप से अनुमोदित किये जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी।

उच्चतम न्यायालय के प्रति केंद्र सरकार का रुख:

- केंद्र सरकार ने संसदीय कानून के अभाव का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का विरोध किया।
- इसने मौजूदा प्रक्रिया का बचाव करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ अपना तर्क दिया।

उच्चतम न्यायालय का फैसला:

- 2 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक परामर्श प्रक्रिया आवश्यक थी।
- इसके लिए न्यायालय ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली एक प्रक्रिया का आदेश दिया।
- इसके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया गया कि संसद भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून बना सकती है।

परामर्शी/परामर्शदायी प्रक्रिया का प्रस्ताव:

- इस संदर्भ में वर्ष 1990 की दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता वाली समिति और वर्ष 2015 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

उच्चतम न्यायालय के फैसले पर संसद की विधि:

- केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में संसद में एक विधेयक पेश किया था।
- दिसंबर 2023 में पारित यह विधेयक एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव करता है जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

आगे की राह:

लोकतान्त्रिक देश में पारदर्शिता, सीमित सरकार और नियमित चुनाव होना मूलभूत तत्व माना जाता है। इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक और स्वायत्त संस्था का होना बहुत आवश्यक हो जाता है।

3 भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह (एमएमईआईजी) द्वारा 'ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी' नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एमएमआर वर्ष 2000 के 384 से घटकर 2020 में 103 हो गया है, जबकि वैश्विक एमएमआर वर्ष 2000 के 339 से घटकर 2020 में 223 दर्ज किया गया है।

मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट:

- भारत की मातृ मृत्यु अनुपात में वर्ष 2000 से वर्ष 2020 तक 6.36% की कमी आई है जो वैश्विक कमी से तीन गुना अधिक है।
- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2000 में 384 से घटकर वर्ष 2020 में 103 हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात 339 से घटकर केवल 223 हो सका।
- मातृ मृत्यु अनुपात में भारत की औसत वार्षिक कमी दर (ARR) 6.36% थी जो वर्ष 2000 से वर्ष 2020 तक के वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात 2.07% से अधिक है।

मातृ मृत्यु से निपटने के लिए सरकारी पहल:

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी दूसरी/तीसरी तिमाही में महीने के हर 9वें दिन निश्चित रूप से मुफ्त और व्यापक प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना है।
- यह रणनीति वित्तीय प्रोत्साहन और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण करके, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित करती है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN):** यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए नि:शुल्क एवं सम्मानजनक स्वास्थ्य देखभाल तथा सेवा से इंकार के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं और अन्य आवश्यक चीजों के साथ सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार देता है।

- **लक्ष्य कार्यक्रम:** वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया लक्ष्य कार्यक्रम लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND):** यह एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएं प्रदान करता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच शिविर:** इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और उच्च जोखिम वाले गर्भधारण पर नजर रखना, विशेष रूप से आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करना है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC):** यह हाशिए पर मौजूद आबादी तक पहुंचने और गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के लिए उपचार देखभाल का समर्थन करने हेतु समय-समय पर शिविर आयोजित करता है।
- **MCP कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरण:** यह गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के जोखिमों के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं:

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** यह योजना सुरक्षित प्रसव, मजदूरी हानि मुआवजा और पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण हेतु सहायता प्रदान करती है।
- **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** इसके माध्यम से स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा पर जोर देते हुए गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आगे की राह:

वर्ष 2014-16 से वर्ष 2018-20 तक एमएमआर डेटा भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार गिरावट का संकेत देता है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से मृत जन्म दर के आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग रुझान दिखाते रहे हैं जो पूरे भारत में मृत्यु जन्म दर में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाते हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

4 महामारी रोग अधिनियम, 1897 पर विधि आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के 22वें विधि आयोग ने भारत सरकार को 'महामारी रोग अधिनियम, 1897 की एक व्यापक समीक्षा' नामक शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया:

- 286वीं विधि आयोग की रिपोर्ट भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- यह महामारी के दौरान केंद्र, राज्यों और स्थानीय अधिकारियों की शक्तियों के बीच स्पष्ट चित्रण की वर्तमान कमी को चिन्हित करता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रियाओं के कारण रोगों के प्रभावी प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होती है।
- महामारी योजना की परिकल्पना, सरकार और हितधारकों के विभिन्न स्तरों की शक्तियों तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों हेतु समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 की सीमाएँ:

- यह रिपोर्ट महामारी रोग अधिनियम, 1897 (EDA) की आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है जो संक्रामक रोगों से उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों से निपटने में इसकी अपर्याप्तता को उजागर करती है।
- यह इंगित करता है कि ईडीए तथा औपनिवेशिक युग का अवशेष होने के नाते संक्रामक रोगों के प्रसार से संबंधित समकालीन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल है, विशेषकर वैश्वीकरण और बढ़ी हुई वैश्विक कनेक्टिविटी के संदर्भ में।
- इस रिपोर्ट में ईडीए के दुरुपयोग की संभावना और महामारी प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक दिशानिर्देशों की कमी पर्याप्त संशोधनों या नए कानून के अधिनियमन की सिफारिश पर भी ध्यान दिया गया है।

आवश्यक सुधार के लिए सिफारिश:

- विधि आयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ईडीए में संशोधन का प्रस्ताव करता है कि यह संक्रामक रोगों से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सदैव प्रासंगिक बना रहे।
- इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट महामारी प्रबंधन के अन्य आवश्यक पहलुओं के बीच गोपनीयता अनुकूल रोग निगरानी, चिकित्सा आपूर्ति के विनियमन, सार्वजनिक सूचना के प्रसार और संक्रामक कचरे के सुरक्षित निपटान के प्रावधानों की भी सिफारिश करता है।

विधि आयोग:

- भारत का विधि आयोग कानूनी सुधारों के लिए काम करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
- यह कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जिसमें मुख्य रूप से कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

विधि आयोग के कार्य:

- यह आयोग सरकारी संदर्भ या स्वत: संज्ञान पर सुधारों और नए कानूनों के लिए भारत में मौजूदा कानूनों पर शोध व समीक्षा करता है।
- प्रक्रियात्मक देरी और मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के उद्देश्य से विधि आयोग तथा न्याय वितरण प्रणालियों में सुधार के लिए अध्ययन करता है।
- यह अप्रचलित कानूनों की पहचान करता है और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करता है, साथ ही गरीबी उन्मूलन को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच भी करता है।

- निदेशक सिद्धांतों को लागू करने और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानून का प्रस्ताव करता है।
- यह आयोग सरकार द्वारा संदर्भित कानूनी और न्यायिक प्रशासन मामलों पर सलाह देता है।
- यह सरकार के अनुरोध के अनुसार विदेशी देशों को अनुसंधान सहायता प्रदान करता है।
- यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानूनों की समीक्षा करता है और संशोधन का सुझाव देता है।
- विभिन्न कानूनी मुद्दों और शोध निष्कर्षों पर प्रभावी उपायों का प्रस्ताव करते हुए यह आयोग केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आगे की राह:

राज्यों और केंद्र सरकार के बीच के मतभेद को कम करने के लिए यह रिपोर्ट एक सुसंगत तथा एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। यह महामारी के प्रत्येक चरण में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और शक्तियों को रेखांकित करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण की सिफारिश करती है।

5 कुपोषण को दूर करने के लिए यूपी मॉडल

चर्चा में क्यों?

वेस्टिंग और स्टंटिंग जैसे कुपोषण के संकटों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों में लाभार्थियों को पौष्टिक टेक-होम राशन देने हेतु स्वयं सहायता महिला समूहों को शामिल कर रहा है। ये समुदाय-आधारित सूक्ष्म उद्यम, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिसे एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किया जाता है।

कुपोषण को संबोधित करने के लिए यूपी मॉडल क्या है?

- महिला एवं बाल विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला उद्यमों द्वारा टेक-होम राशन के उत्पादन की स्थापना के लिए सहयोग किया है। ये राशन 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभान्वित करते हैं जिसमें चावल, दालें, गेहूं और तेल जैसे स्टेपल प्रदान किया जाता है।
- स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं विशिष्ट कैलोरी मान राशन तैयार करने और आंगनवाड़ी केंद्रों को इसकी आपूर्ति करने हेतु जिम्मेदार हैं जिसका उद्देश्य प्रत्येक महिला के लिए प्रति माह 8,000 की अतिरिक्त आय उत्पन्न करना है।
- इस मॉडल की व्यवहार्यता का प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा 2021 में उन्नाव और फतेहपुर में दो पायलट संयंत्रों का उपयोग करके किया गया था।
- रामपुर जैसे कई जिलों में पोषण किट की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मिशन संवर्धन के तहत पोषण किट विकसित किए गए थे।

यूपी मॉडल गेम चेंजर क्यों?

- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुंच में वृद्धि:** फोर्टिफाइड टेक-होम राशन का उत्पादन और वितरण करके यह पहल आवश्यक पोषक तत्वों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है।
- **बेहतर खाद्य सुरक्षा:** टेक-होम राशन का स्थानीय उत्पादन समुदायों के भीतर खाद्य सुरक्षा बढ़ाकर केंद्रीकृत प्रणाली पर निर्भरता को कम करता है।
- **सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता:** पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ने से व्यवहार में परिवर्तन हो सकते हैं जो बेहतर पोषण परिणामों को बढ़ावा देते हैं।
- **वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा:** स्थानीय स्तर पर सामग्री की सोर्सिंग करके यह पहल दीर्घकालिक प्रभाव और मापनीयता सुनिश्चित करने वाली स्थिरता को बढ़ावा देती है।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण:** उत्पादन इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता में मूल्यवान कौशल प्रदान करती है।

आगे की राह:

यूपी मॉडल सामुदायिक पोषण में सुधार के लिए खाद्य आपूर्ति और महिला सशक्तीकरण के महत्त्व को दर्शाता है। आहार विविधता बढ़ाने के लिए विविध फसलों की खेती का प्रयोग करना, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक के सेवन को बढ़ावा देना, दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों को तैनात करके प्रगति को ट्रैक करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करना आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि प्रशंसनीय है।

6 सीबीआई में पर्याप्त कर्मियों की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपनी 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि सीबीआई को 23% जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसमें विशेष निदेशक, संयुक्त निदेशक और डीआईजी के पद शामिल हैं।

जनशक्ति की कमी का कारण:

- कार्मिकों की जटिल भर्ती प्रक्रिया
- भर्ती में राजनीतिक हस्तक्षेप
- जटिल कार्य संस्कृति

जनशक्ति की कमी का प्रभाव:

- जांच की गुणवत्ता में बाधा।
- सीबीआई की प्रभावशीलता और दक्षता कम करना।
- लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाना।

सीबीआई की चुनौतियाँ:

- इसके संचालन में अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को 'पिंजरे में बंद तोता जो अपने

मालिक की आवाज में बोलता है' कहा है।

- इसका उपयोग अक्सर सरकारें गलत कामों को छिपाने, गठबंधन सहयोगियों को एक साथ रखने और राजनीतिक विरोधियों को दूर रखने के लिए करती हैं।
- इस पर उच्च-रैंकिंग मामलों की जांच के निष्कर्ष में बड़े पैमाने पर देरी का आरोप लगता रहा है।
- **विश्वसनीयता की कमी:** एजेंसी को बोफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी और 2008 नोएडा डबल मर्डर (आरुषि तलवार) सहित कई हाई-प्रोफाइल मामलों को गलत तरीके से संभालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
- **जवाबदेही का अभाव:** सीबीआई को सूचना का अधिकार अधि नियम से छूट दी गई है जिसका अर्थ है कि यह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- **सीमित प्राधिकरण:** सीबीआई की जांच शक्तियां और अधिकार क्षेत्र सदस्य राज्य सरकार की सहमति के अधीन हैं जो सीबीआई की जांच के दायरे को सीमित करता है।
- **प्रतिबंधित पहुंच:** संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच करने या जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करना सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने में एक बड़ी बाधा है।

सीबीआई के बारे में:

- 1963 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना भारत की रक्षा, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, गबन और सामाजिक अपराध, विशेष रूप से जमाखोरी से संबंधित गंभीर अपराधों की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी।
- सीबीआई को अपराध की जांच करने की कानूनी शक्तियां डीएसपीई अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं।

आगे की राह:

सीबीआई के समुचित कामकाज के लिए यह समय की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और सीबीआई को राजनीतिक हस्तक्षेप से बाहर रखा जाए तभी जनता का विश्वास इस शीर्ष जांच एजेंसी पर बना रह सकता है।

7 यूनेस्को विरासत सूची के लिए नए नामांकन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने वाले किलों के एक नेटवर्क 'मराठा सैन्य परिदृश्य' को 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामांकित किया है।

यूनेस्को विश्व विरासत सूची:

- विश्व धरोहर स्थल (डब्ल्यूएचएस) एक ऐसा स्थान है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्त्व के लिए सूचीबद्ध है।
- डब्ल्यूएचएस की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तय किये जाते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत विरासत स्थलों को तीन श्रेणियों 'सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

मराठा के सैन्य परिदृश्य:

- विश्व धरोहर मान्यता के लिए नामांकित 12 मराठा सैन्य किले महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुगढ़ तथा तमिलनाडु में जिंजी किला हैं।
- ये संरचनाएं 17वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई हैं जो किलों के असाधारण नेटवर्क तथा किलेबंदी की उत्कृष्ट सैन्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है।
- भारत सरकार ने सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को में ये नामांकन किया है। वर्तमान में, भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें से सात प्राकृतिक, 34 सांस्कृतिक और एक मिश्रित स्थल (खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान-सिक्किम) शामिल हैं।
- मराठा सैन्य परिदृश्य विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित 6वीं सांस्कृतिक स्थल है जिससे पहले उन्हें 2021 में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था।

आगे की राह:

अतीत के विरासत से जुड़ना हमारी पहचान दिखाता है जिसके साथ हम आज रहते हैं और जो हम अपनी भावी पीढ़ियों को सौंपते हैं। विश्व धरोहर स्थल कानूनी तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संरक्षित और यूनेस्को द्वारा प्रशासित हैं। ये स्थल किसी भी देश की सांस्कृतिक सभ्यता में महत्त्व रखते हैं जो इको-टूरिज्म के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं।

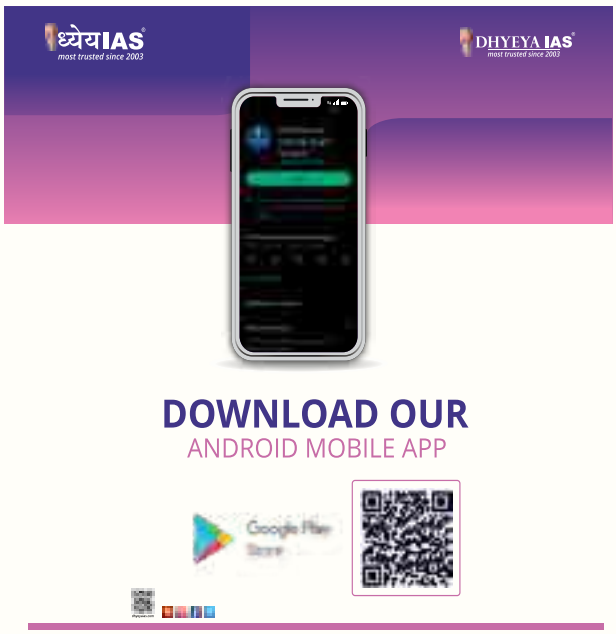

एमएसपी, किसान और स्वामीनाथन

चर्चा में क्यों?

किसान, मुख्य रूप से पंजाब से, राष्ट्रीय राजधानी में अपना 16 महीने लंबा आंदोलन समाप्त करने के ठीक 2 वर्ष बाद अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने का केंद्र पर दबाव डालने के लिए फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। 2021 में, केंद्र सरकार द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया था।

1. किसानों द्वारा विरोध के कारण

किसानों ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

- सभी फसलों के लिए एमएसपी का आश्वासन
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना
- कर्ज माफी
- किसानों के लिए पेंशन
- पिछले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेना
- डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों से भारत को बाहर निकलना

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती हैं। यह किसानों को बाजार के मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाता है एवं स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान करता है।

3. कैसे तय होती है एमएसपी?

- किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी महत्वपूर्ण है और इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति की गतिशीलता जैसे कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है।
- 1965 में स्थापित, CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होता है।
- सीएसीपी द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी स्तरों पर अंतिम निर्णय लेती है।
- देश में पहली बार 1966-67 में एमएसपी दरों पर फसलें खरीदी गई थी।

4. एमएसपी के अंतर्गत शामिल फसलें

- अनाज (7)- धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- दालें (5)- चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर
- तिलहन (8)- मूंगफली, सरसों, तोरई, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और निगरसीड
- कच्चा कपास
- कच्चा जूट
- खोपरा
- छिलका रहित नारियल
- गन्ना (उचित एवं लाभकारी मूल्य)
- वर्जीनिया फ्लू क्योरड (वीएफसी) तंबाकू

5. एमएसपी के लाभ

- **सुरक्षित आय:** किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो यह किसान के लिए स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित करता है।
- **स्थिर मूल्य:** एमएसपी के माध्यम से बाजार की कीमतें स्थिर होती हैं। इससे बाजार में तेजी से होने वाले उतार-चढ़ाव पर रोक लगती है।
- **उत्पादन को बढ़ावा:** एमएसपी एक प्रकार की गारंटी है कि सरकार किसान द्वारा लगाई गई फसल को एमएसपी के माध्यम से अधिक कीमत पर खरीदेगी। जब खरीददार निश्चित होता है तो किसान बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** एमएसपी किसानों को खाद्य फसलों की खेती का आश्वासन देता है। जब किसान अन्न की फसल लगाता है तो देश में अन्न की कमी नहीं होती। इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक के कारण खाद्य सुरक्षा बनी रहती है।

6. एमएसपी और स्वामीनाथन

- 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था।
- इसके अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे। इसी कारण इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान निकालना था।
- दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थीं।
- इसमें सबसे अहम रिपोर्ट एमएसपी को लेकर थी। आयोग ने बताया कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए।
- आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने किसान आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय किसान नीति लागू की।
- इसके तहत सरकार ने वादा किया कि वह किसानों की आय बढ़ाएगी, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगी।
- लेकिन सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर कोई वादा नहीं किया।
- स्वामीनाथन फॉर्मूला:
  - एमएसपी फसल की लागत का 50% होगा।
  - यदि किसी किसान को एक फसल उगाने में 1000 रुपये लगते हैं।
  - इसमें 50% अर्थात 500 रुपये जोड़ दिया जाए तो कुल एमएसपी 1500 रुपये हो जाएगी।
  - इसे C2+50% फॉर्मूला कहा जाता है। C2 का अर्थ है लागत।

7. एमएसपी की गणना कैसे की जाती है?

- न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना किसानों द्वारा किए गए स्पष्ट और अंतर्निहित दोनों लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है।
- **स्पष्ट लागत:** इसमें रसायन, उर्वरक, बीज और किराए के श्रम जैसे खर्च शामिल हैं।
- **अंतर्निहित लागत:** इसमें पारिवारिक श्रम और किराया जैसे कारक शामिल हैं।
- इन चरों को A2, FL और C2 द्वारा दर्शाया जाता है।
- **A2:** यह फसल की वृद्धि, उत्पादन और रखरखाव के लिए रसायनों, उर्वरकों, बीजों और किराए के श्रम जैसे इनपुट के खर्च को संदर्भित करता है।
- **A2+FL:** इसमें वास्तविक और अंतर्निहित दोनों लागतें शामिल हैं, जैसे पारिवारिक श्रम।
- **C2:** इसमें A2 + FL के साथ-साथ अचल पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है।
- **सीएसीपी द्वारा ध्यान में रखे गए अन्य कारक:**
  - प्रति हेक्टेयर खेती की लागत और विभिन्न क्षेत्रों में फसल की लागत।
  - प्रति क्विंटल उत्पादन लागत और क्षेत्रीय अंतर।
  - प्रासंगिक फसलों की बाजार कीमतें और उनमें उतार-चढ़ाव।
  - अन्य उत्पादन और श्रम लागत, संबंधित परिवर्तनों के साथ।
  - किसानों द्वारा खरीदी या बेची गई वस्तुओं की कीमतें एवं कोई अन्य उतार-चढ़ाव।
  - क्षेत्र, उपज, उत्पादन, आयात, निर्यात और सार्वजनिक एजेंसियों या उद्योगों के पास स्टॉक सहित उत्पाद आपूर्ति की जानकारी।
  - कुल और प्रति व्यक्ति खपत, प्रसंस्करण उद्योग के रुझान और क्षमता सहित सभी क्षेत्रों में जानकारी की मांग।

8. एम एस स्वामीनाथन के बारे में

- हरित क्रांति की शुरूआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
- स्वामीनाथन ने कृषि में क्रांति लाने और खाद्य सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए काम किया।
- उनका उद्देश्य फसल की पैदावार में सुधार करना, पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते हुए छोटे किसानों को सशक्त बनाना और कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था।

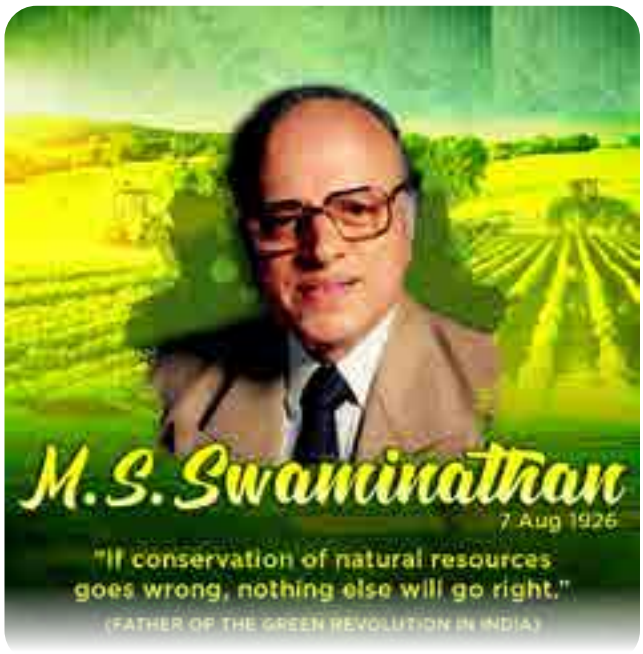

9. एमएस स्वामीनाथन की शिक्षा

- 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु, भारत में जन्मे स्वामीनाथन ने जूलॉजी और कृषि में बीएससी की उपाधि प्राप्त की।
- उन्होंने 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कृषि विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

10. एम एस स्वामीनाथन के कार्य

- पीएचडी पूरी करने के बाद, वह भारत लौट आए और कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में इंडिका-जापोनिका चावल संकरण कार्यक्रम में शामिल हो गए।
- 1958 में, स्वामीनाथन ने वांछित लक्षणों के विकास में तेजी लाने के लिए गेहूं और चावल में उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की।
- 1963 में, उन्होंने एक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जिसमें गेहूं में बौने जीन को शामिल किया गया, जिससे छोटे, मजबूत पौधे पैदा हुए जिससे पैदावार बढ़ी।
- इसके बाद चावल प्रजनन की पहल की गई, जिसमें स्वामीनाथन ने बासमती की ऐसी किस्में बनाई जो भारी अनाज सहन करने पर भी बिना टूटे खड़ी रहती थीं।
- चावल की संकर प्रजाति पूसा बासमती 1121 ने बासमती चावल उत्पादन में उच्च उपज और गुणवत्ता सुनिश्चित की, जो खाद्य सुरक्षा और किसानों के लिए एक क्रांति थी।
- 1960 के दशक के अंत में स्वामीनाथन के काम से संभव हुई हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों की शुरुआत करके कृषि व्यवस्था को बदल दिया।

11. स्वामीनाथनः नेतृत्वकर्ता

- 1981 से 1984 तक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति (अब आयोग) की अध्यक्षता की।
- 1982 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया।
- 1984 से 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की अध्यक्षता की।
- भारत सरकार में सलाहकार भूमिकाएँ निभाई।
- 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेतृत्व किया।
- 2007 से 2013 तक राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य किया।

12. एमएस स्वामीनाथन को प्राप्त पुरस्कार

- 85 मानद डॉक्टरेट
- मेंडल मेमोरियल मेडल, 1965
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1971
- पद्मश्री, 1967
- पद्म भूषण, 1972
- पद्म विभूषण, 1989
- अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1986
- वह विश्व खाद्य पुरस्कार, 1987 के उद्घाटन वक्ता थे, जिसे अक्सर कृषि नोबेल पुरस्कार माना जाता है।
- भारत रत्न, 2024

हाई-अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल) ने नई पीढ़ी के मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) का एक प्रोटोटाइप सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह यूएवी सतह से लगभग 20 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और महीनों तक हवा में रह सकता है। ऐसे यूएवी को उड़ने वाली वस्तुओं के एक वर्ग से संबंधित हैं जिन्हें हाई-अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल (एचएपीएस) वाहन कहा जाता है।

एचएपीएस की उपयोगिता

- निगरानी एवं अनुश्रवण के क्षेत्र में
- आपदा प्रबंधन

एचएपीएस प्रौद्योगिकी विकास की स्थिति

- एचएपीएस प्रौद्योगिकी अभी भी विकासाधीन है।
- कई देशों और कंपनियों ने ऐसे वाहन विकसित कर सफल परिक्षण किये हैं, परन्तु कोई अभी तक इसमें विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर पाया है।
- इस श्रेणी के वाहन का विश्व रिकॉर्ड एयरबस-जेफायर के नाम है, जिसने 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी।
- एनएएल द्वारा परीक्षित नवीनतम प्रोटोटाइप हवा में 8:30 घंटे तक रहा।
- एनएएल का लक्ष्य 2027 तक मशीन को पूर्ण रूप से विकसित करने की है, जो लगातार 90 दिनों तक हवा में उड़ान भर सकेगा।

यूएवी और उपग्रहों की तुलना में एचएपीएस के लाभ

- एचएपीएस को एक क्षेत्र के ऊपर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
- फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के मानकों के अनुसार, और यूएवी की तुलना में वे वास्तव में धीमी गति से उड़ते हैं।
- 5 मीटर रिजॉल्यूशन में, 400 वर्ग किमी क्षेत्र का अवलोकन किया जा सकता है।

भारत में एचएपीएस

- एचएपीएस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर रहा है।
- भारत उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, ताकि देश भविष्य की महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे।
- प्रारंभिक चरण में प्रौद्योगिकी विकास में शामिल होने के निम्न परिणाम होते हैं:
  - क्षमता निर्माण।
  - प्रौद्योगिकियों को शीघ्र अपनाना।
  - पेटेंट पर नियंत्रण।
  - व्यापार के अवसर
  - स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियाँ।

एचएपीएस की इंजीनियरिंग चुनौतियाँ

- प्राथमिक चुनौती विमान को उड़ान भरने, पेलोड संचालित करने और बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।
- रात भर संचालन जारी रखने के लिए बैटरियां पर्याप्त रूप से सक्षम होनी चाहिए।
- बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए विमान को बेहद हल्का होना चाहिए, परन्तु इसे स्थिर भी होना चाहिए।
- अत: विमान समताप मंडल (पृथ्वी की सतह से 17-23 किमी ऊपर) में उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है।
- उपरोक्त मंडल में हवा की गति बहुत कम होती है और हल्के वजन वाले विमानों के स्थिर रहने के लिए आदर्श है।
- समताप मंडल अवलोकन और निगरानी गतिविधियों के लिए अनुकूल है।
- इस ऊंचाई पर तापमान -50°C या उससे कम हो जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म रखने की आवश्यकता होती है, जिससे बिजली की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं।
- समुद्र तल की तुलना में वायु घनत्व लगभग 7% है।
- यह विमान के लिए जटिलताएँ (लिफ्ट और थ्रस्ट उत्पन्न करना) पैदा करता है।
- आकार और वजन की सीमाओं के कारण, सौर कोशिकाओं और बैटरियों को बहुत उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है।

आवासीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा योजनाओं पर भारत का जोर

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 तक सौर, पवन, बायोमास और पनबिजली संसाधनों से 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को हासिल करने में भारत के असफल होने का एक प्रमुख कारण छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना कार्यक्रम की सुस्त गति थी, जिसके द्वारा वर्ष के अंत तक 40 गीगावॉट के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 5.87 गीगावॉट बिजली उत्पन्न हुई।

अनुशंसा

ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से मार्च 2026 की संशोधित समय सीमा से पहले लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं (आरएसपीवी) को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

- इस क्षेत्र में गतिविधि के लिए नए सिरे से प्रयास करने और ग्रिड में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए, केंद्र ने आवासीय क्षेत्रों में छत परियोजनाओं की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (पीएमएसवाई) की शुरुआत की।
- इस योजना से एक करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और सालाना 18,000 रुपये तक की बचत होगी।

नई रूफटॉप नीति के बारे में

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अन्तर्गत केंद्र उन घरों के लिए छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगा जो प्रति माह 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं।

रूफटॉप सोलर सिस्टम एवं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में

- जमीन पर खाली जगह, घरों एवं वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों की छतों पर प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।
- जब सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने वाले सौर फोटोवोल्टिक पैनल ऐसी इमारतों के छतों पर रखे जाते हैं, तो इसे रूफटॉप सोलर प्रणाली कहा जाता है।
- एक आरएसपीवी प्रणाली, ग्रिड से जुड़ी हो सकती है अथवा स्टैंडअलोन इकाई हो सकती है जिसे ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली के रूप में जाना जाता है।
- एक ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली बैटरी जैसे भंडारण उपकरणों का उपयोग करती है जो महंगी और भारी होती हैं।
- एक ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर प्रणाली, सौर ऊर्जा को यूटिलिटी ग्रिड में फीड करती है।
- उपभोक्ता के परिसर में स्थापित एक द्वि-दिशात्मक या नेट मीटर दोनों दिशाओं में ऊर्जा प्रवाह को रिकॉर्ड करता है और उपयोग की गई शुद्ध ऊर्जा की गणना बिलिंग अवधि के अंत में की जाती है।
- उपभोक्ता को उपयोग की गई शुद्ध ऊर्जा इकाइयों के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कुल आयातित इकाइयों और निर्यातित सौर इकाइयों के बीच का अंतर है। इसे नेट-मीटरिंग कहा जाता है।

भारत की हरित महत्वाकांक्षाएँ

- नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत ने 6.7 लाख घरों में रूफटॉप पर लगभग 2.7 गीगावॉट क्षमता स्थापित की है।
- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के एक आकलन में पाया गया कि देश के 25 करोड़ से अधिक घरों में छतों पर 637 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की क्षमता है।

ब्रेन बूस्टर

डीप टेक

चर्चा में क्यों?

डीप टेक/विज्ञान-निवेश पर केंद्रित वीसी फर्म अंकुर कैपिटल की 'द इंडिया डीप साइंस टेक रिपोर्ट' नामक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में कुल डीप साइंस टेक निवेश दोगुना हो गया है। निवेश 2021-23 की अवधि में 1 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के बाद से हर तीन साल में निवेश लगातार दोगुना हो गया है तथा 2029 तक 10 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

1. डीप टेक के बारे में

डीप टेक्नोलॉजी, या डीप टेक, किसी प्रकार के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग नवाचार पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है। नवाचार 'डीप' होते हैं क्योंकि वे जटिल चुनौतियों एवं मुद्दों के लिए परिष्कृत एवं अत्यधिक उन्नत उत्तर प्रदान करते हैं। डीप- टेक के उदाहरणों में जीनोमिक्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा पहल शामिल हैं।

2. 'डीप टेक' शब्द के बारे में

- डीप टेक एक दशकों पुराना शब्द है, जिसका उपयोग सबसे पहले सामान्य रूप से जटिल प्रौद्योगिकी के किसी भी रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- हालाँकि, पिछले दशक में, डीप टेक ने अधिक सटीक और विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर लिया है।
- डीप टेक तकनीकी रूप से जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग में निहित मौलिक नवाचारों के माध्यम से यथास्थिति को उलट कर किया जाता है।

3. डीप टेक के प्रकार

डीप टेक के सबसे सामान्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

- **एडवांस्ड मटेरियल्स:** डीप टेक में उन्नत विद्युत, थर्मल, संरचनात्मक, चुंबकीय, यांत्रिक और अन्य गुणों वाले उत्पाद बनाने के लिए आणविक स्तर पर इंजीनियर्ड मटेरियल शामिल है। मटेरियल साइंस के अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऊर्जा और चिकित्सा तक हैं।
- **एआई एवं एमएल:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तेजी से मुख्यधारा में आ रहे हैं, परन्तु कृत्रिम जनरल इंटेलिजेंस के विकास के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में डीप-टेक नवाचार अभी भी शामिल है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, दवाओं की खोज, स्वचालन और प्रक्रिया वर्चुअलाइजेशन का अगला स्तर, अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि जैसे क्षेत्रों में एआई क्षमताओं की प्रगति जारी है।
- **जैव प्रौद्योगिकी:** डीप-टेक बायो स्टार्टअप उन्नत आनुवंशिकी, जीनोमिक्स और सिंथेटिक जीवविज्ञान का लाभ उठाकर सटीक चिकित्सा, कृषि और सतत पहल को आगे बढ़ाते हैं ताकि सफल उपचार, मैटेरियल्स, ईंधन और खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकें।
- **बिजली उत्पादन:** बिजली उत्पादन के उन्नत रूपों का विकास, सभी के लिए महत्वपूर्ण महत्व का एक गहन तकनीकी मुद्दा है।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** डीप-टेक कंपनियां क्रिप्टोग्राफी, दवा अनुसंधान, वित्त और अन्य हेतु जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम, सिस्टम और कंप्यूटर विकसित करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करती हैं।
- **रोबोटिक्स:** रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर ऐसी मशीनें बनाता है जो स्वायत्त रूप से काम कर सकती हैं। डीप-टेक रोबोटिक्स इनोवेटर्स अगली पीढ़ी के औद्योगिक रोबोट, ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट, सर्जिकल बॉट, स्वायत्त ड्रोन और अन्य इंटेलीजेंट मशीन विकसित करते हैं।

4. डीप टेक के लक्ष्य

- **सीमाओं को आगे बढाना:** डीप टेक का एक मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक और उन्नत तकनीक के लिए नए मानक और सीमाएं स्थापित करना है।
- **वैज्ञानिक सफलताएँ प्राप्त करना:** कई डीप-टेक स्टार्टअप अकादमिक अनुसंधान से उत्पन्न होते हैं जो व्यावसायिक व्यवहार्यता के साथ सामाजिक प्रभाव हेतु आशाजनक खोजों का मार्गदर्शन करते हैं।
- **बड़ी समस्याओं को हल करना:** डीप टेक का लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और सफल नवाचारों द्वारा जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटना है।
- **परिवर्तन सक्षम करना:** डीप टेक मूलभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करना चाहता है जो समग्र रूप से उद्योगों, व्यवसायों और समाज के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो।
- **नए प्रकार के व्यावसायिक अनुप्रयोग हेतु:** क्वांटम कंप्यूटिंग और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर, डीप टेक नए उत्पादों, सेवाओं और राजस्व अवसरों के लिए आधार तैयार करती है।

5. डीप टेक के लिए चुनौतियाँ

डीप टेक के लिए निम्नलिखित बाधाएँ हैं:

- **लंबे अनुसंधान एवं विकास चक्र:** डीप-टेक पहल में प्रारंभिक अनुसंधान से लेकर व्यावसायिक व्यवहार्यता तक कई वर्ष लग सकते हैं, जिसके लिए संस्थापकों, कर्मचारियों और निवेशकों से धन, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है।
- **पर्याप्त पूंजी आवश्यकताएं:** डीप-टेक डेवलपर्स द्वारा निवेशकों को रिटर्न देने वाली राजस्व क्षमता पर विचार करने से पहले महंगे अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण के लिए अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।
- **प्रतिभा अधिग्रहण:** डीप-टेक में कार्यबल को क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जीनोमिक्स और एआई जैसे जटिल क्षेत्रों में उन्नत विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। इन दुर्लभ प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र है।
- **विनियामक परिदृश्य:** डीप-टेक स्टार्टअप द्वारा एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे उच्च विनियमित उद्योगों के जटिल नियमों से निपटने के लिए सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है।
- **अनुकूलित उत्पादन:** किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो पहले कभी नहीं बनाई गई हो, इनके हेतु अक्सर शुरू से ही अत्यधिक अनुकूलित उत्पादन क्षमताओं को बनाने की आवश्यकता होती है।
- **उद्यम ग्राहकों को शिक्षित करना:** बिजनेस-टू-बिजनेस डीप-टेक स्टार्टअप्स के पास संभावित व्यावसायिक ग्राहकों को उभरती, अप्रमाणित प्रौद्योगिकियों के मूल्य के बारे में शिक्षित करने की अतिरिक्त चुनौती है।
- **लंबी एडॉप्शन प्रक्रिया:** उत्पाद के व्यावसायिक रूप से तैयार होने के बाद भी, डीप-टेक पहलों को आम तौर पर धीमी गति से अपनाने का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपयोगकर्ता उन प्रक्रियाओं के लिए अभ्यस्त होते हैं जो पारंपरिक उच्च-तकनीकी प्रगति से काफी भिन्न होती हैं।
- **सफलता का कोई वादा नहीं:** वर्षों तक गहन-तकनीकी प्रयासों के साथ, अनुसंधान एवं विकास और निवेश के बाद भी संभावित विफलता का एक जोखिम रहता है। अप्रत्याशित वैज्ञानिक बाधाओं या अन्य तकनीकी चुनौतियों के कारण कुछ डीप-टेक एक स्केलेबल उत्पाद में परिणत नहीं होते हैं।

6. डीप टेक का भविष्य

- डीप टेक पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित है। भविष्य को आकार देने वाली वैज्ञानिक सफलताएँ तकनीक की विकास संभावनाओं को आगे बढ़ाती रहती हैं।
- जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकियों के व्यापक और निरंतर अपनाने के साथ, एआई के भविष्य को और अधिक कैपिटलाइज करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों और शोधकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जो कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता और जेनेरिक एआई पर इसके फायदों की ओर इशारा करता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग भी प्रारंभिक विकास में है। विक्रेता और शोधकर्ता उपयोगी और व्यावहारिक प्रणालियाँ बनाने के लिए भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख रहे हैं जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकती हैं।
- कुछ डीप-टेक स्टार्टअप जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, कार्बन पृथक्करण तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन पहल और अन्य पर्यावरणीय स्थिरता प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, बायोटेक और एआई अभिसरण में गहन तकनीकी नवाचार अधिक व्यक्तिगत चिकित्सा, परिष्कृत निदान और महत्वपूर्ण रूप से व्यापक उपचार विकल्प सक्षम करते हैं।

पावर पैक्ड न्यूज

भारत 5G पोर्टल

हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष और दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव ने 'भारत 5G पोर्टल' का अनावरण किया।

भारत 5G पोर्टल के बारे में:

- भारत 5G पोर्टल सभी 5G और 6G से संबंधित कार्यों के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
- यह एक व्यापक मंच है जो स्टार्टअप्स, उद्योग और शिक्षा जगत के हितों को 5G, 6G तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और क्वांटम के क्षेत्रों को शामिल करता है।
- इसमें PANIIT USA के सहयोग से फ्यूचर टेक-एक्सपर्ट्स पंजीकरण पोर्टल शामिल है।
- पोर्टल में शैक्षणिक अनुसंधान और विकास, उद्योग मानक, OEM, स्टार्टअप/MSMEs तथा विषय विशेषज्ञ शामिल हैं।
- पोर्टल का लक्ष्य भारत की 5G क्षमताओं को बढ़ाना, दूरसंचार क्षेत्र के भीतर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना तथा संस्थानों, छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए 5G तकनीकों का परीक्षण करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना है।

डस्टेड अपोलो

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार डस्टेड अपोलो तितली देखी गई।

डस्टेड अपोलो के बारे में:

- डस्टेड अपोलो (पारनासियस स्टेनोसेमस) एक दुर्लभ तितली है जो आंतरिक हिमालय में 3,500 और 4,800 मीटर के बीच की ऊंचाई पर उड़ती है।
- इसे चंबा में मणिमहेश झील की यात्रा के दौरान देखा गया था।
- इस प्रजाति की खोज पहली बार 1890 में की गई थी जो लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक पायी जाती है।
- यह काफी हद तक लद्दाख बैंडेड अपोलो (पर्नासियस स्टोलिजकानस) जैसी दिखती है, लेकिन डस्टेड अपोलो में ऊपरी अग्र पंख पर डिस्कल बैंड पूरा है और कोस्टा से नस एक तक फैला हुआ है, जबकि लद्दाख बैंडेड अपोलो में यह डिस्कल बैंड अधूरा होता है।
- अपोलो तितली का आवास शंकुधारी वृक्षारोपण, कृषि, शहरीकरण और उपयुक्त आवास के झाड़ी भूमि में बदलने से कम हो गया है।
- यह एक मध्यम आकार की तितली है जिसके आम तौर पर सफेद, पीले या भूरे पंख होते हैं जिन पर काले निशान होते हैं और आमतौर पर पिछले पंखों पर लाल या नारंगी रंग का धब्बा होता है।

सुबिका पेंटिंग

हाल ही में सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने चिंता जताई कि मणिपुर की सदियों पुरानी सुबिका पेंटिंग उपेक्षा के कारण विलुप्त होने के कगार पर है।

सुबिका पेंटिंग के बारे में:

- सुबिका पेंटिंग एक प्राचीन चित्रकला शैली है जिसका उपयोग पुयास (मणिपुर पांडुलिपियों) में किया जाता है जो मणिपुर में मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।
- सुबिका पेंटिंग शैली को छह जीवित पांडुलिपियों में दर्शाया गया है जिनमें सुबिका, सुबिका अचौबा, सुबिका लाईशाबा, सुबिका बेइथिल और थेंगराखेल सुबिका शामिल हैं।
- सुबिका लाईशाबा दृश्य छवियों के माध्यम से मैतेई सांस्कृतिक परंपरा की प्रत्यक्ष निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है जो संभवत: मणिपुर में लेखन परंपरा की शुरुआत के बाद से विद्यमान है।
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि 18वीं या 19वीं शताब्दी से सुबिका पेंटिंग का उपयोग हो रहा है, जो रास लीला और नट संगकृतन जैसे अन्य सांस्कृतिक रूपों के साथ-साथ दृश्य कला में मणिपुर की ऐतिहासिक प्रमुखता को दर्शाता है।
- सुबिका पेंटिंग मैतेई संस्कृति, परंपराओं, लोककथाओं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न विषयों को दर्शाती है जो मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- डॉ. युमनम सफा, अन्य सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों के साथ सुबिका पेंटिंग शैली को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।

साधु मेहर (1 जनवरी 1940–2 फरवरी 2024)

हिंदी और ओडिया दोनों सिनेमा उद्योगों में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रख्यात अभिनेता तथा निर्देशक साधु मेहर का 2 फरवरी, 2024 को मुंबई में निधन हो गया।

योगदान:

- ओड़िया सिनेमा में आने से पहले साधु मेहर ने 1969 में भुवन शोम, अंकुर और मृगया जैसी हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था।
- ओड़िया सिनेमा में उनके उल्लेखनीय कार्यों में 'भूखा' (1989) और अभिमान, अपरिचिता, अभिलाष तथा गोपा रे बधुची काला कन्हेई जैसी फिल्में शामिल हैं।
- उन्होंने 1985 में 'बाबुला' नामक बच्चों की पहली विज्ञान कथा (साइंस फिक्शन) उड़िया फिल्म का निर्देशन किया।

सम्मान और पुरस्कार:

- साधु मेहर 1974 में श्याम बेनेगल की हिंदी फिल्म 'अंकुर' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति बने।
- भारतीय सिनेमा में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
- सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें 2011 में ओडिशा सरकार से जयदेव सम्मान मिला।

टेरोसॉर

हाल ही में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, लीसेस्टर विश्वविद्यालय और लिवरपूल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्कॉटिश द्वीप आइल ऑफ स्काई पर उड़ने वाले सरीसृप की एक अनोखी प्रजाति के जीवाश्म का पता लगाया है जिसे टेरोसॉर के नाम से जाना जाता है।

टेरोसॉर (Pterosaur) के बारे में:

- टेरोसॉर लगभग 168-166 मिलियन वर्ष पहले मध्य जुरासिक काल के दौरान रहते थे जिसमें समुद्र तटों और लैगून के साथ एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु थी जो टेरोसॉर के लिए आदर्श थी।
- इसका नाम स्कॉटिश गेलिक शब्द बीमव से आया है जिसका अर्थ है धुंध। यह आइल ऑफ साइके के गेलिक नाम इलियन ए चेओ (Eilean a' Cheò) या आइल ऑफ मिस्ट का संदर्भ है।
- जीवाश्म अवशेषों में पंख, कंधे, पैर और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं, परन्तु इसमें खोपड़ी शामिल नहीं है।
- मध्य जुरासिक युग के जीवाश्म अत्यंत दुर्लभ हैं जो इस खोज को महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।
- आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित है जहां जीवाश्म अवशेष पाए गए थे।

ग्रेमी पुरस्कार

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, सेल्वगणेश वी और गणेश राजगोपालन को 'सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत' के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने की बधाई दी।

ग्रेमी पुरस्कार के बारे में:

- ग्रैमी अवार्ड (जिसे 'द ग्रैमी' के नाम से भी जाना जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज (NARAS) द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की एक श्रृंखला है।
- ग्रैमी संगीत उद्योग में असाधारण कार्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
- इस पुरस्कार में किसी श्रेणी में सबसे अधिक वोटों वाली रिकॉर्डिंग जीतती है।
- इसमें सभी नामांकित व्यक्तियों को एक नामांकित पदक और प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।
- इसे दुनिया भर के संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्त्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है।
- इसमें जनरल फील्ड चार पुरस्कारों को संदर्भित करता है जो एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार को दिया जाता है।

MQ-9B ड्रोन

हाल ही में अमेरिका ने घोषणा किया है कि वह भारत को लगभग 4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 सशस्त्र ड्रोन (MQ-9B) की आपूर्ति करेगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय जागरूकता क्षमता में वृद्धि होगी।

MQ-9B ड्रोन के बारे में:

- MQ-9B ड्रोन (जिसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है) एक मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है जिसके दो प्रकार स्काईगार्डियन और सीगार्डियन हैं। इसकी पेलोड क्षमता 3,850-पाउंड (1,746 किलोग्राम) है।
- इसमें नौ हार्डपॉइंट हैं जो सेंसर, लेजर निर्देशित बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकते हैं।
- भारतीय नौसेना 2020 से MQ-9B के सीगार्जियन (SeaGuardian) संस्करण का संचालन कर रही है।
- सीगार्जियन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर सकता है और 2,721 किलोग्राम की ईंधन क्षमता के साथ 5,670 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है।

दीपस्तम्भम्

हाल ही में तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मुदिमानिक्यम गांव में 390 साल पुराना दीपस्तम्भम् (लैंप पोस्ट) को खोजा गया है।

दीपस्तम्भम् के बारे में:

- दीपस्तम्भम् एक स्तंभ है जो 20 फीट लंबा है जिसमें लैंप के लिए खोखले स्थान और एक बहुभाषी शिलालेख शामिल हैं।
- यह दक्कन में दुर्लभ है लेकिन गोत्रा जैसे पश्चिमी तट के मंदिरों में देखा जाता रहा है।
- ऐसा पाया गया है कि शिलालेख जून 1635 का है जो तमिल के साथ तेलुगु मिश्रित भाषा में लिखा गया है तथा काशी विश्वनाथ को समर्पित है।
- संभवत: ऊंचाई के कारण यह नदी व्यापार मार्ग पर प्रकाशस्तंभ के रूप में काम करता रहा होगा।
- यह शिलालेख कुतुब शाही शासकों द्वारा शासित क्षेत्र में पाया गया था और टैवर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों (जिन्होंने पांच बार हैदराबाद साम्राज्य का दौरा किया था) ने उसी अवधि के दौरान भूमि व्यापार मार्गों का वर्णन किया था।

आदि महोत्सव

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया।

आदि महोत्सव के बारे में:

- आदि महोत्सव 2017 से मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है।
- यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है जो भारत की जनजातियों की संस्कृति, विरासत और उत्पादों का उत्सव मनाता है।
- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) की एक संयुक्त पहल है।
- आदि महोत्सव 2024 का आयोजन 10 से 18 फरवरी, 2024 तक किया जाएगा।
- यह न केवल आदिवासी कारीगरों की असाधारण प्रतिभा और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने का एक मंच है, बल्कि आदिवासी समुदायों के सशक्तीकरण पर वार्ता करने, सीखने तथा योगदान करने का अवसर भी है।

किलकारी कार्यक्रम

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा में लाभार्थियों के लिए किलकारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

किलकारी कार्यक्रम के बारे में:

- किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वास्थ्य (एम-हेल्थ) पहल है जिसके तहत गर्भवती माताओं को नि:शुल्क साप्ताहिक ऑडियो संदेश प्रदान किया जाता है।
- ये संदेश गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में जानकारी देते हैं।
- प्रारंभ में इस कार्यक्रम को 15 जनवरी, 2016 को डिजिटल भारत पहल के एक भाग के रूप में गर्भवती माताओं के लिए शुरू किया गया था।
- वर्तमान समय में यह कार्यक्रम हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, असमिया, बंगाली और तेलुगु सहित छह भाषाओं में उपलब्ध है।
- यह वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है जिसमें नौ अन्य राज्य शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।
- यह कार्यक्रम आशा कार्यकर्ताओं (आशा) के लिए मुफ्त ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

स्वाति पोर्टल

हाल ही में भारत की विज्ञान अकादमियों के प्रतिनिधित्व वाले एक पैनल ने नई दिल्ली में 'स्वाति' पोर्टल लॉन्च किया।

स्वाति पोर्टल के बारे में:

- 'स्वाति' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के लिए महिलाएँ) एक संपूर्ण इंटरैक्टिव डेटाबेस पोर्टल है जो भारत में एसटीईएमएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
- यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा (एसटीईएमएम) में लैंगिक असमानता को दूर करना है। इसका उद्देश्य विज्ञान क्षेत्र में काम करने के लिए भारत और विदेश से युवा महिला वैज्ञानिकों, फैकल्टी सदस्यों, शोधकर्ताओं तथा स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना है।

क्यासनूर वन रोग

हाल ही में कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्यासनूर वन रोग (केएफडी) के प्रकोप में वृद्धि की सूचना दी है।

क्यासनूर वन रोग के बारे में:

- क्यासनूर वन रोग (केएफडी) एक वायरल रक्तस्रावी ज्वर है जो भारत के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में स्थानिक है।
- यह एक दुर्लभ जूनोटिक रोग है जो मनुष्यों और बंदरों में तीव्र ज्वरनाशक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बनता है।
- यह संक्रमित्त टिक्स के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है।
- यह रोग बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, रक्तस्राव की समस्याएं और स्नायु संबंधी जटिलताओं का कारण बनता है।
- कुछ रोगियों को तीसरे सप्ताह में तंत्रिका संबंधी लक्षणों का अनुभव होता है जिसमें गंभीर सिरदर्द और दृष्टि समस्याएं शामिल हैं।
- 1957 में इसकी पहचान तब हुई थी जब इसे भारत के कर्नाटक (पूर्व में मैसूर) राज्य के क्यासनूर वन से एक बीमार बंदर से अलग किया गया था। यह वायरस पश्चिमी घाटों के पूरे हिस्से में फैल गया है जिसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गोवा शामिल है।

बाप्स मंदिर

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने मानवता की साझी विरासत के प्रतीक के रूप में महत्त्वपूर्ण बताया।

बाप्स मंदिर के बारे में:

- अबू धाबी में बाप्पा मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) द्वारा किया गया था जो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का एक हिस्सा है। मंदिर अबू मुरेहखाह में 27 एकड़ के भूखंड पर स्थित है जो अल रहबा के पास है।
- मंदिर के भीतर भारत के विभिन्न देवताओं को दर्शाया गया है जिनमें राम, सीता, शिव, पार्वती आदि शामिल हैं।
- यह मंदिर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए माया, एल्टेक, मिस्र, अरब, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीकी संस्कृतियों के तत्वों को प्रदर्शित करता है।
- बाप्स दुनिया भर में 1,550 मंदिरों और 3,850 केंद्रों का वैश्विक नेटवर्क संचालित करता है जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

पुरुलिया छाऊ

हाल ही में केरल के कोझिकोड के एक कॉलेज में तारापद रजक और टीम द्वारा पुरुलिया छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया।

पुरुलिया छाऊ के बारे में:

- पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक अर्ध-शास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य है।
- यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को जोड़ता है।
- कई विद्वानों का मानना है कि छाऊ नाम 'छौनी' से आया है जिसका अर्थ 'सैन्य शिविर' होता है।
- छाऊ प्रदर्शन में कलाबाजी, मार्शल चालें और धार्मिक नृत्य शामिल हैं।
- यह नृत्य दर्शकों को कहानियाँ बताने का एक तरीका है, इसलिए इसमें युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटे शामिल होते हैं।
- इसकी तीन अलग-अलग शैलियाँ हैं जिनका नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहाँ उनका प्रदर्शन किया जाता है जिसमें पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), सरायकेला (झारखंड) और मयूरभंज (ओडिशा) शामिल हैं।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को लगातार तीसरी बार चुना गया है।
2. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। 27,000 करोड़ रुपये से अधिक की नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना की स्थापना ओडिशा के संबलपुर में की जाएगी।
3. असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को असम कैबिनेट ने मंजूरी दी जिसे पर्यटन क्षेत्र को विनियमित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
4. हाल ही में भारत सरकार ने वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को चीफ हाइड्रोग्राफर नियुक्त किया। वह समुद्री सीमा परिसीमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के विशेषज्ञ हैं।
5. सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 'सड़क सुरक्षा फोर्स' (एसएसएफ) का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा फोर्स का नेतृत्व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और एआईजी ट्रैफिक गगनजीत सिंह करेंगे।
6. सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। वह मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर से सम्बंधित है।
7. हाल ही में आईएनएस संधायक को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। बंदरगाहों, नौवहन चैनलों/मार्गों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना इस जहाज का मुख्य कार्य होगा।
8. भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का 2 फरवरी को एक कार्यक्रम में भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
9. कर्नाटक सरकार ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम (एआईजीडीएफ) की सहायता से 'डिजिटल डिटॉक्स' पहल शुरू करेगी। इसका उद्देश्य जिम्मेदार गेमिंग माहौल तैयार करना है। इस पहल के माध्यम से पूरे कर्नाटक में ऑफलाइन और ऑनलाइन डिजिटल डिटॉक्स केंद्र खोले जाएंगे।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर प्रदान करने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप हैं जो शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
11. 67 वर्षीय आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं।
12. भारतीय नौसेना ने समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं का समाधान करने के क्रम में नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को 'नौसेना असैन्य वर्ष' घोषित किया है।
13. भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल 'भारत रंग महोत्सव' का गुजरात के कच्छ में समापन हुआ।
14. न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
15. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2024 को चार मौजूदा पदकों को मिलाकर एक नया पदक बनाया है। इस नए पदक का नाम केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक है। यह पदक पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों, इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक साइंस में काम करने वालों को दिया जाएगा। इस पदक से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आतंकवाद रोधी, सीमा सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ, नारकोटिक्स, तस्करी और बचाव कार्यों में सराहनीय काम किया है।
16. अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। ओलंपिक मशाल रिले 16 अप्रैल को शुरू होगी और पेलोपोनिस से एथेंस तक यात्रा करेगी।
17. हाल ही में आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा विकसित की और उसका सफल परीक्षण किया। इस तकनीकी सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाने के लिए तैयार किया जा सकेगा।
18. ईरानी सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है। यह वीजा-मुक्त नीति केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए ही है।
19. हाल ही में यमन के राष्ट्रपति के नेतृत्व परिषद द्वारा अहमद अवद बिन मुबारक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
20. समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। यह विवाह और तलाक, विरासत, लिव-इन रिलेशनशिप तथा उससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करेगा।
21. नवीन ताहिलयानी को टाटा संस की सहायक कंपनी टाटा डिजिटल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया है।
22. चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का 74 वर्ष की आयु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

कैटेलोनिया

हाल ही में स्पेनिश क्षेत्र कैटेलोनिया ने आपातकाल की स्थिति घोषित किया क्योंकि यह गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। कैटेलोनिया की राजधानी बार्सिलोना है।

- **अवस्थिति:** कैटेलोनिया, स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है जो इबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है।
- **भौगोलिक सीमाएँ:** कैटेलोनिया की सीमा भूमध्य सागर पूर्व, जबकि फ्रांस और अंडोरा की उत्तर से लगती है।

भौतिक विशेषताएं:

- पाइरेनीस एक पर्वत शृंखला है जो बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैली हुई है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
- एब्रो नदी स्पेन की सबसे लंबी नदी है। यह कैंब्रियन पर्वत से भूमध्य सागर तक बहने वाली इबेरियन प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- कैटेलोनिया आमतौर पर भूमध्यसागरीय जलवायु का अनुभव करता है जिसमें गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों का अनुभव होता है।

एस्टोनिया

हाल ही में रूस ने सोवियत काल के युद्ध स्मारकों को नष्ट करने में कथित संलिप्तता को लेकर एस्टोनियाई नेता काजा कैलास और कई अन्य यूरोपीय अधिकारियों को 'वांछित' घोषित किया।

- एस्टोनिया की राजधानी तेलिन (Tallinn) है।
- **अवस्थिति:** एस्टोनिया, जिसे आधिकारिक तौर पर एस्टोनिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है, उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है।
- **राजनीतिक सीमाएँ:** एस्टोनिया की सीमा पेइपस झील और रूस (पूर्व), बाल्टिक सागर (पश्चिम), फिनलैंड की खाड़ी (उत्तर) तथा लाटविया (दक्षिण) से लगती है।

भौतिक विशेषताएं:

- सुर मुनामागी एस्टोनिया का सबसे ऊँचा स्थान है।
- इमाजोगी, पार्नु और पोल्ल्समा देश की प्रमुख नदियाँ हैं।
- एस्टोनिया शेल ऑयल का एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक है।
- **सदस्यता:** एस्टोनिया यूरोपीय संघ (ईयू), नाटो और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्र सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को निरस्त करने और देश में स्टांप शुल्क व्यवस्था के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया है।
2. स्टांप शुल्क अनिवार्य रूप से एक सरकारी कर है जो रजिस्ट्रार के साथ दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते या लेनदेन पत्र जैसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए लगाया जाता है।
3. विनिमय बिल, चेक, वचन पत्र, लदान बिल, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और रसीदों पर स्टांप शुल्क लगाया जा सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महाराष्ट्र सरकार ने लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना LABHA ('लघु बाण जात्य द्रव्य क्रय') योजना शुरू करने की घोषणा की।
2. अब एमएफपी का एमएसपी हर साल राज्य सरकार द्वारा निधारित किया जाएगा।
3. हालांकि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ एमएफपी के लिए एमएसपी तय करता है, लेकिन इसका लाभ कई वर्षों से ओडिशा में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

3. दक्षिण चीन सागर के निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें:

1. पार्सल द्वीप समूह
2. स्कारबोरो शोल द्वीप समूह
3. स्प्रैटली द्वीप समूह

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. 1,2,3 B. 1,3,2
C. 3,1,2 D. 3,2,1

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें एक द्विपक्षीय निवेश संधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा शामिल है।
2. भारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक संयुक्त अरब अमीरात है जो दोनों देशों के बीच निवेश संधि को लेकर 2016 से चर्चा चल रहा है।
3. वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 85 मिलियन डॉलर का रहा है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ई-सिगरेट बैटरी चालित उपकरण हैं जो एक तरल को एयरोसोल में गर्म करके काम करते हैं जिससे उपयोगकर्ता साँस लेता है और छोड़ता है।
2. ई-सिगरेट तरल में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, स्वाद और अन्य रसायन होते हैं।
3. ई-सिगरेट के कई अलग-अलग प्रकार उपयोग में हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) और कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक गैर-निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ईएनएनडीएस) के रूप में भी जाना जाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओडिशा सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण करेगा।
2. मेलानिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जानवरों की त्वचा अथवा बालों का रंग लगभग या पूरी तरह से काला होता है।
3. अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2022 के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघ हैं जिनमें से 10 मेलानिस्टिक गुण हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

7. सफेद गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बर्लिन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि का उपयोग करके सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफेद गैंडे की उप-प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की आशा प्रदान करती है।
2. सफेद गैंडे में दो अलग-अलग उप-प्रजातियाँ उत्तरी और दक्षिणी गैंडे शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

8. हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई।
2. भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (एसपीएआई) कार्यक्रम पहला वैज्ञानिक अभ्यास है जो भारत में 718 हिम तेंदुए की आबादी की रिपोर्ट करता है।
3. हालाँकि, उनके आवास का केवल एक तिहाई हिस्सा ही कानूनी संरक्षण में है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

9. हाल ही में ढोकरा शिल्पकला खबरों में था?

A. बेसन से तैयार गुजराती रेसिपी
B. प्राचीन धातु ढलाई परंपरा
C. पंजाब के सिखों से जुड़ी मार्शल आर्ट का रूप
D. मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल से बना हस्तनिर्मित शिल्प

10. द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीआईटी दो देशों के बीच एक समझौता है जो विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है।
2. बीआईटी में शामिल दोनों देशों के निवेश के संबंध में समान दायित्व और लाभ हैं।
3. बीआईटी में अक्सर निवेशक और मेजबान देश के बीच विवाद समाधान तंत्र के प्रावधान शामिल होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है?

A. जापान दक्षिण चीन सागर पर भी क्षेत्रीय दावा करता है।
B. यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजोन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर (प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र) से जुड़ा हुआ है।
C. चीन अपने 'नाइन-डैश लाइन' मानचित्र के साथ समुद्र के 72% हिस्से पर दावा करता है और नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने द्वीपों का भौतिक रूप से विस्तार करके सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया है।
D. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुमान है कि 2016 में 80% से अधिक वैश्विक व्यापार इन जलक्षेत्रों से होकर गुजरा है।

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है?

A. अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई प्रवाह के साथ यूएई भारत में 11वां सबसे बड़ा निवेशक है।
B. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1980 में राजनयिक संबंध स्थापित किये।
C. भारत और यूएई ने पहले मई 2022 में एक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया था। अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 तक भारत में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 16.7 बिलियन डॉलर था।
D. RuPay कार्ड, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का एक प्रमुख घटक है जो 2014 से संयुक्त अरब अमीरात में स्वीकार किया जा रहा है।

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में जोखिम-शमन सेवा प्रदाता एओन पीएलसी द्वारा 2024 जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
2. रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण महत्त्वपूर्ण क्षति दर्ज की गई।
3. एऑन पीएलसी 120 से अधिक देशों और संप्रभुता वाले देशों में वाणिज्यिक, पुनर्बीमा, सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य, डेटा तथा विश्लेषणात्मक सेवाओं हेतु सलाह व समाधान का अग्रणी प्रदाता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

14. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 राज्यसभा में पेश किया गया।
2. प्रारंभ में यह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और किसी भी अन्य राज्य पर लागू होगा जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत एक प्रस्ताव पारित करता है।
3. विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शोधकर्ताओं ने एक नया मिश्र धातु पाया है जो एक प्रभावी चुंबकीय रेफ्रिजरेंट के रूप में कार्य कर सकता है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैकल्पिक शीतलन एजेंट

हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता की वैश्विक मांग को पूरा कर सकता है।
2. चुंबकीय प्रशीतन उपयोग में आने वाली वाष्प-चक्र प्रशीतन तकनीक के विकल्प के रूप में एक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल शीतलन तकनीक प्रदान करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

16. न्यूरालिंक डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को मनुष्यों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण के अध्ययन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की मंजूरी मिल गई है।
2. यह डिवाइस ब्लूटूथ सिग्नल के माध्यम से मस्तिष्क को बाहरी कंप्यूटर से जोड़ता है जिससे आगे और पीछे निरंतर संचार सक्षम होता है।
3. इसे एक सटीक सर्जिकल रोबोट का उपयोग करके खोपड़ी में एक छोटे डिस्क के आकार के कट-आउट के भीतर प्रत्यारोपित किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि वह सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) के अनुप्रयोग का विस्तार करेगी।
2. अप्रैल 2023 में इफको ने दुनिया में पहला लिक्विड नैनो डाइ-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) लॉन्च किया।
3. नैनो डीएपी (तरल) का मिट्टी और उपभोक्ता स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है। यह नियमित रासायनिक उर्वरकों का एक सस्ता विकल्प है जिसमें लॉजिस्टिक लागत भी कम आती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत विकसित एक ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी58 मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर कक्षा में कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
2. टीडीएफ रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत डीआरडीओ द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
3. ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (विकास एजेंसी) द्वारा विकसित किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के शोध कर्ताओं ने ठंडे परमाणुओं, विशेष रूप से पूर्ण शून्य तापमान पर परमाणुओं के अध्ययन को बढ़ाने के लिए एक नई छवि-सुधार तकनीक विकसित की है।
2. यह तकनीक छवियों में 50% अवांछित हस्तक्षेप सीमाओं को समाप्त कर देती है जो ठंडे परमाणुओं के क्वांटम यांत्रिकी गुणों को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

20. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है?
A. शिक्षा मंत्रालय
B. कानून और न्याय मंत्रालय
C. गृह मंत्रालय
D. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

उत्तर

1. **D**	4. **B**	7. **C**	10. **C**	13. **C**	16. **C**	19. **C**
2. **B**	5. **C**	8. **C**	11. **B**	14. **C**	17. **C**	20. **D**
3. **D**	6. **C**	9. **B**	12. **C**	15. **C**	18. **A**	

प्री स्पेशल- आर्थिकी

विषय सूची

- ☑ भारत का 16वाँ वित्त आयोग
- ☑ वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन
- ☑ भारत-अमेरिका व्यापार नीति बैठक
- ☑ राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान, 2023-24
- ☑ आभासी डिजिटल संपत्ति
- ☑ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स
- ☑ लीड्स 2023 रिपोर्ट
- ☑ भारत के ऋण की स्थिरता के संबंध में आईएमएफ की चिंताएँ
- ☑ कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन
- ☑ ग्रीन वाशिंग
- ☑ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
- ☑ बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023
- ☑ पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023
- ☑ अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार
- ☑ भारत का पहला UPI-ATM
- ☑ फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी
- ☑ आरबीआई गोल्ड रिजर्व
- ☑ विदेश व्यापार नीति 2023
- ☑ निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर (टीईई)
- ☑ एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग
- ☑ प्रवासन और विकास संक्षिप्त विवरण
- ☑ इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी
- ☑ भारत-ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन
- ☑ नेट-जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट
- ☑ भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
- ☑ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023
- ☑ फॉर्च्यून ग्लोबल 500
- ☑ अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाएं
- ☑ राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023
- ☑ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023
- ☑ वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, 2023
- ☑ लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, 2023
- ☑ आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2023
- ☑ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023
- ☑ एनएफएचएस-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट 2019- 2021
- ☑ प्रोजेक्ट प्रयास
- ☑ आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- ☑ रैंप कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं
- ☑ भारत आटा
- ☑ महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन
- ☑ आरओडीटीईपी योजना
- ☑ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड
- ☑ उज्ज्वला योजना
- ☑ यशोभूमि
- ☑ पीएम विश्वकर्मा योजना
- ☑ विवाद से विश्वास-II
- ☑ पीएम स्वनिधि योजना
- ☑ पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- ☑ महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी), 2023
- ☑ बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र
- ☑ स्वायत्त पहल
- ☑ पीएम मित्रा पार्क
- ☑ राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22
- ☑ भारतीय राज्यों का विद्युत परिवर्तन
- ☑ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
- ☑ पहली छह लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क
- ☑ अखौरा - अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक
- ☑ सर्कुलर रेल नेटवर्क
- ☑ भारत की सबसे तेज सौर-इलेक्ट्रिक नाव
- ☑ पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र
- ☑ भुगतान अवसंरचना विकास निधि
- ☑ राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस)
- ☑ राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम
- ☑ विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ रिपोर्ट
- ☑ भारत का पहला पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड
- ☑ राइट्स और इरकॉन नवरत्न स्थिति
- ☑ 13वीं महारत्न कंपनी
- ☑ किरीट पारिख पैनल
- ☑ ओपीएस बनाम एनपीएस
- ☑ सामाजिक प्रभाव बंधन
- ☑ खुला बाजार परिचालन
- ☑ बीमा सुगम पोर्टल
- ☑ विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग
- ☑ महिला श्रम बल भागीदारी दर

भारत का 16वाँ वित्त आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि को कवर करेंगी।

- 16वें एफसी के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।
- वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

16वें वित्त आयोग की शर्तें:

- संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण करना अर्थात संविधान के भाग-XII के तहत आय से संबंधित हिस्सेदारी का राज्यों के बीच आवंटन करना।
- वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं, उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए।
- राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय सुझाना।
- आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करके उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है।

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन का महत्त्व:

- वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 कई कारणों से महत्त्वपूर्ण था। इसमें 140 देशों और 35 भागीदार देशों के 60,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। 2024 शिखर सम्मेलन के दौरान 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी थी।

शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य पहल:

- वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मौके पर 'दो राष्ट्र, एक विजन' विषय के तहत संयुक्त अरब अमीरात-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक यूएई-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) परिषद की भी स्थापना की गई।
- 2022 में CEPA पर हस्ताक्षर के बाद से संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। 2022-2023 में द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 84.9 बिलियन डॉलर आंका गया था।
- दोनों देशों ने अपने बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। हाल के वर्षों में भारत में संयुक्त अरब अमीरात का निवेश बढ़ा है और भविष्य में यूएई द्वारा भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निवेश करने की संभावना है।
- दोनों पक्षों के बीच खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा में एमओयू I2U2 (यूएस, इजराइल, यूएई और भारत) के साथ संलग्न हैं जो अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है जिसे मध्य पूर्वी क्वाड भी कहा जाता है।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति बैठक

12 जनवरी, 2024 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की 14वीं मंत्री-स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई।

व्यापार नीति फोरम का महत्त्व:

- बैठक में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और समग्र आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) के महत्त्व पर जोर दिया गया।
- इसने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बावजूद 2023 में 200 बिलियन डॉलर से अधिक होने वाले भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि को स्वीकार किया तथा विविध द्विपक्षीय व्यापार के लिए जुड़ाव को और बढ़ाने की पारस्परिक इच्छा व्यक्त की।

बैठक की मुख्य बातें:

सहयोग के क्षेत्र:

- दोनों देश महत्त्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीक उत्पादों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
- उन्होंने सहयोग के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप विकसित करने और भविष्य की संयुक्त पहल हेतु एक आधार स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई।

द्विपक्षीय व्यापार संबंधी चिंताएँ:

- दोनों देशों ने विभिन्न व्यापार मुद्दों पर टीपीएफ कार्य समूहों की प्रगति पर प्रकाश डाला और अनुपालन लागत को कम करने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन परिणामों की पारस्परिक मान्यता हेतु मार्ग स्थापित किया।

कृषि:

- देशों ने कुछ कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु लंबित कार्य को स्वीकार किया और 2024 में खाद्य तथा कृषि व्यापार मुद्दों पर बातचीत बढ़ाने में रुचि व्यक्त की।

सेवाएँ:

- भारत और अमेरिका दोनों ने सेवा कार्य समूह की रचनात्मक भागीदारी को स्वीकार किया तथा डिजिटल व्यापार, सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौते और भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) पर चर्चा की।

राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान, 2023-24

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर (आधार वर्ष: 2011-12) तथा वर्तमान कीमतों दोनों पर राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान (एफएई) जारी किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी 171.79 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनंतिम अनुमान 160.06 लाख करोड़ है।
- 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2022-23 में 7.2% की तुलना में 7.3% अनुमानित है।
- 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर नाममात्र जीडीपी या जीडीपी 296.58 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान 272.41 लाख करोड़ है।
- 2023-24 के दौरान नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2022-23 में 16.1% की तुलना में 8.9% अनुमानित है।
- सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा इस वर्ष घटकर कम से कम तीन वर्षों में सबसे कम 56.9% होने की उम्मीद है जो 2022-23 में 58.5% था, जबकि निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30% तक बढ़ने की संभावना है।
- कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि एक साल पहले के 4% से घटकर इस वर्ष 1.8% होने का अनुमान है। विनिर्माण जीवीए वृद्धि 2023-24 में 6.5% तक बढ़ने का अनुमान है जो एक साल पहले सिर्फ 1.3% थी, जबकि खनन जीवीए 2022-23 में 4.6% से बढ़कर 8.1% होने की उम्मीद है।

आभासी डिजिटल संपत्ति

- ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्यवाही के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएल) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के दायरे में लाया गया था।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के विनियमन के बारे में:

- वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीडीए एसपी) भारत में काम कर रहे हैं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के बारे में:

- आभासी संपत्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, बल्कि यह मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व है जिसका व्यापार, हस्तांतरण, भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। आभासी संपत्तियों के उदाहरणों में क्रिप्टो संपत्तियां, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन टोकन, अपूरणीय टोकन आदि शामिल हैं। हालांकि, आभासी संपत्तियों में डिजिटल फिएट मुद्राएं (उदाहरण के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी ई-मुद्राएं) शामिल नहीं हैं।

FIU-IND के बारे में:

- FIU-IND एक केंद्रीय स्तर की राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों तथा विदेशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है।

एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को रोकने हेतु सभी विनियमित बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के लिए सख्त मानदंडों का विकल्प चुना है जो अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या है?

- इसमें उधारकर्ता को ऋण चुकाने में मदद करने के लिए नए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- एवरग्रीनिंग ऋण एक ऐसा ऋण है जिसके लिए ऋण अवधि के दौरान मूल राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात उधारकर्ता को केवल ब्याज भुगतान करना होता है। इससे उधारकर्ता के पास क्रेडिट खरीद के लिए उपलब्ध धनराशि रह जाती है जिसे स्थायी या परिवर्ती ऋण के रूप में भी जाना जाता है।

लीड्स 2023 रिपोर्ट

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (LEADS) 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यह वार्षिक अभ्यास का 5वां संस्करण है जो राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

लीड्स 2023 की मुख्य बातें:

तटीय समूह:

- **अचीवर्स:** आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु
- **फास्ट मूवर्स:** केरल तथा महाराष्ट्र
- **एस्पायर्स:** गोवा, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल

जमीन से घिरे (लैंडलॉक) समूह:

- **अचीवर्स:** हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश

- **फास्ट मूवर्स:** मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखंड
- **एस्पायर्स:** बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड

उत्तर-पूर्वी समूह:

- **अचीवर्स:** असम, सिक्किम तथा त्रिपुरा
- **फास्ट मूवर्स:** अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड
- **एस्पायर्स:** मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम

केंद्र शासित प्रदेश:

- **अचीवर्स:** चंडीगढ़ तथा दिल्ली
- **फास्ट मूवर्स:** अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी
- **एस्पायर्स:** दमन एवं दीव/ दादरा और नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

लीड्स के बारे में:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर लीड्स की कल्पना की गई थी।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक पूरी तरह से धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर करता है, जबकि लीड्स धारणा के साथ-साथ निष्पक्षता दोनों को शामिल करता है जिससे इस अभ्यास की मजबूती और व्यापकता बढ़ती है। इसके प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं:
  - लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
  - रसद सेवाएँ
  - संचालन एवं विनियामक वातावरण

भारत के ऋण की स्थिरता के संबंध में आईएमएफ की चिंताएँ

आईएमएफ ने भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें विभिन्न व्यापक आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार, आर्थिक विकास और नीतियों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा का विवरण दिया गया है।

आईएमएफ का दृष्टिकोण:

- इस वर्ष की रिपोर्ट दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जो गहन जांच के योग्य हैं:
  - भारत की मुद्रा व्यवस्था
  - सामान्य सरकारी ऋण का स्तर
- आईएमएफ ने आगाह किया है कि निकट भविष्य में सामान्य सरकारी ऋण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 100 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है जोकि वर्तमान में लगभग 70% है।
- आईएमएफ ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के लिये भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था (Stabilized Arrangement) में पुनर्वर्गीकृत किया। यह पुनर्वर्गीकरण आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण रुपए के मूल्य में नियंत्रित उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करते हैं।
- वैश्विक मूल्य वृद्धि के बीच भारत के मुद्रास्फीति नियंत्रण को स्वीकार करते हुए सकारात्मक विकास दृष्टिकोण को बनाए रखने हेतु इसने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर को 6% से संशोधित कर 6.3% किया है।
- इसने दीर्घकालिक जोखिमों की संभावना पर भी जोर दिया क्योंकि भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश महत्त्वपूर्ण है।
- इसके लिए लचीलेपन को बढ़ाने, जलवायु जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए नए रियायती वित्तपोषण, विस्तारित निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा कार्बन मूल्य निर्धारण या इसी तरह के तंत्र के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- फ्लोटिंग विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह एक निश्चित विनिमय दर के विपरीत है जिसमें सरकार पूरी तरह या मुख्य रूप से दर निर्धारित करती है।
- आईएमएफ एक विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित होता है कि विनिमय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है। यह बाजार की स्थितियों के बजाय, बाजार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन

आरबीआई ने कार्डधारकों हेतु टोकन बनाने और उन्हें ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों के साथ अपने मौजूदा खातों से जोड़ने की सुविधा बढ़ाने के लिए जारीकर्ता बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन बनाने की सुविधा शुरू की।

- केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2021 में कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) की घोषणा की थी और 1 अक्टूबर, 2022 से इसका कार्यान्वयन शुरू किया था।
- वर्तमान में कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन केवल मर्चेंट एप्लिकेशन या ई-कॉमर्स वेबसाइट के वेबपेज पर ही बनाए जा सकते हैं।
- टोकनाइजेशन ने लेनदेन सुरक्षा और अनुमोदन दर में सुधार किया है। 56 करोड़ से अधिक टोकन बनाए गए हैं जिन पर 5 लाख

करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया है।

भारत में कार्ड भुगतान स्थिति:

- भारत परंपरागत रूप से नकदी संचालित अर्थव्यवस्था रहा है परन्तु वर्तमान समय में भुगतान के लिए नकदी का उपयोग घट रहा है। व्यापारी छूट दरों को कम करने और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल स्थापित करने के लिए व्यापारियों को सब्सिडी प्रदान करने जैसे सरकारी उपाय देश में कार्ड भुगतान बाजार की वृद्धि के कुछ प्रमुख कारक हैं।

-: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- ☑ **कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन:** टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कार्डधारक के मूल कार्ड नंबर (जो कार्ड पर लिखा होता है और बड़े पैमाने पर लेनदेन तथा कार्ड पहचान के लिए उपयोग किया जाता है) को 'टोकन' नामक सरोगेट शब्द से बदल दिया जाता है।
- ☑ **मर्चेंट डिस्काउंट रेट:** मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कंपनी द्वारा किसी व्यवसाय से लिया जाने वाला शुल्क है जो उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन को संसाधित करता है। इससे पहले कि वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार कर सकें, व्यापारियों को यह सेवा शुरू करने से पहले निर्धारित दर पर सहमति देनी होती है।

ग्रीनवॉशिंग विज्ञापनों पर प्रतिबंध

ब्रिटेन ने एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद के 'ग्रीनवॉशिंग' विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन पर अपने पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

ग्रीनवॉशिंग के बारे में:

- ➢ ग्रीनवॉशिंग वह प्रक्रिया है जब कोई संगठन वास्तव में अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल विपणन करने पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है।
- ➢ यह एक धोखापूर्ण विपणन कार्य है जिसका उपयोग कंपनियां अपने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए करती हैं।
- ➢ ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में जे. वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था जो एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्ता थे।

परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स

- पीएमआई या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।
- 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या पीएमआई, अब दुनिया भर में व्यावसायिक गतिविधि के सबसे करीब से देखे जाने वाले संकेतकों में से एक बन गया है।

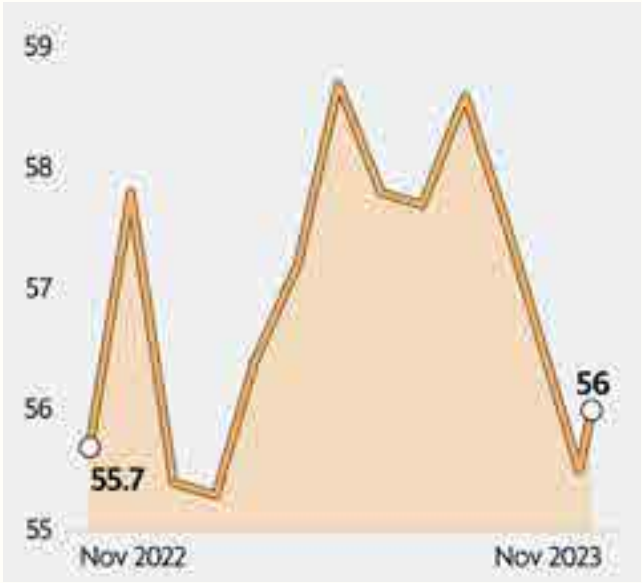

- पीएमआई अवार्ड संख्या 0 से 100 तक है। 50 से कम पीएमआई एक संकुचन का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 50 पर कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023

केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (मार्च 2022-फरवरी 2023) के आधार पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 (दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23) जारी किया।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की विस्तृत रिपोर्ट:

दूध उत्पादन:

- ➢ 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2018-19 के 187.75 मिलियन टन में 22.81% की वृद्धि दिखाता है।
- ➢ 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। इसके बाद राजस्थान (14.44%), मध्य प्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%) और आंध्र प्रदेश (6.70%) का स्थान रहा।

अंडा उत्पादन:

- ➢ देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन अनुमानित है जो 2018-19 के दौरान 103.80 बिलियन की तुलना में 2022-23 में 33.31% की वृद्धि दिखाता है।

- अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का रहा है जिसकी हिस्सेदारी कुल अंडा उत्पादन में 20.13% है। इसके बाद तमिलनाडु (15.58%), तेलंगाना (12.77%), पश्चिम बंगाल (9.94%) और कर्नाटक (6.51%) का स्थान रहा है।

मांस उत्पादन:

- 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन अनुमानित है जो 2018-19 के 8.11 मिलियन टन की तुलना में 20.39% की वृद्धि दिखाता है।
- कुल मांस उत्पादन में 12.20% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है जिसके बाद पश्चिम बंगाल (11.93%), महाराष्ट्र (11.50%), आंध्र प्रदेश (11.20%) और तेलंगाना (11.06%) का स्थान रहा है।

ऊन उत्पादन:

- 2022-23 के दौरान देश में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम अनुमानित है जो 2018-19 के 40.42 मिलियन किलोग्राम की तुलना में 16.84% की गिरावट दिखाता है।
- कुल ऊन उत्पादन में 47.98% की हिस्सेदारी के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है जिसके बाद जम्मू और कश्मीर (22.55%), गुजरात (6.01%), महाराष्ट्र (4.73%) तथा हिमाचल प्रदेश (4.27%) का स्थान रहा है।

पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

इसे 9 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।

- इसका लक्ष्य केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2022-23 में 60.8% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गया।
- भारत में पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए एलएफपीआर में वृद्धि 23.3% से बढ़कर 37.0% हो गई।

अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार

प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

- गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं।
- गोल्डिन ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर कम होने पर प्रकाश डाला है जहां उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षित होने की संभावना रखती हैं।

- यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन को 1968 में बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर स्वेरिजेस रिक्सबैंक (स्वीडन का केंद्रीय बैंक) से प्राप्त दान पर आधारित है।

भारत का पहला UPI-ATM

- इसे 5 सितंबर, 2023 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह कुछ बैंकों के ग्राहकों को क्यूआर-आधारित कैशलेस निकासी की सुविधा लेने की अनुमति देता है।

फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी

- जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) ढांचे के लिए अपनी मंजूरी दी।
- यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कोई तीसरा पक्ष जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) प्लेयर (एलएसपी) उधारकर्ता के चूक करने पर ऋणदाताओं को मुआवजा देता है।

आरबीआई गोल्ड रिजर्व

- भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च तिमाही में लगभग 10 टन सोना हासिल किया जिससे वह शीर्ष पांच सोने के खरीददारों में शामिल हो गया।
- इसका स्वर्ण भंडार अब वित्त वर्ष 2023 में 794.64 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है जो वित्त वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 5

प्रतिशत की वृद्धि है।

विदेश व्यापार नीति 2023

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री ने 31 मार्च, 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की।
- यह नीति 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई और 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया।
- यह 2023-2030 की अवधि के लिए लागू हुआ।

निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर

मौजूदा 39 शहरों के अलावा चार नए शहरों 'फरीदाबाद, मिर्जापुर, मोरादाबाद और वाराणसी' को टीईई के रूप में नामित किया गया है। इस नीति का मुख्य दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है:

- छूट के लिए प्रोत्साहन
- निर्यातक राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के सहयोग से निर्यात को बढ़ावा देना
- व्यापार करने में आसानी, लेनदेन लागत में कमी और ई-पहल
- **उभरते क्षेत्र**- ई-कॉमर्स जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना।

एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग

7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) की पहली डेल्टा रैंकिंग प्रकाशित की गई।

- पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के एबीपी तिरियानी ब्लॉक ने पहला स्थान हासिल किया जिसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक को प्राप्त हुआ।
- एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (एबीपी) 7 जनवरी, 2023 को लॉन्च किया गया था।
- भारत के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों के 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

प्रवासन और विकास संक्षिप्त विवरण

- इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा 'माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (डीईसी)' द्वारा तैयार किया गया है।
- संक्षिप्त विवरण वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।
- संक्षिप्त का उद्देश्य पिछले छह महीनों में प्रवासन और प्रेषण प्रवाह से संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना है।
- 2023 में शीर्ष पांच प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत ($125 बिलियन), मैक्सिको ($67 बिलियन), चीन ($50 बिलियन), फिलीपींस ($40 बिलियन) और मिस्र ($24 बिलियन) हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा।

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी

तीसरी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आयोजित की गई थी।

- आईपीईएफ को 23 मई, 2022 को टोक्यो में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- आईपीईएफ के 14 भागीदार देश हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं।
- यह चार स्तंभों 'व्यापार, आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था' पर आधारित है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन

नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (आरआईएसई) नामक एक नया एक्सेलेरेटर लॉन्च किया।

नेट-जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 नवंबर 2023 को प्रकाशित।
- रिपोर्ट में औद्योगिक क्षेत्रों से निम्नलिखित पांच क्षेत्रों (प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, मांग, नीति और पूंजी) पर ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया गया है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

भारत बिल भुगतान प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक का एक संकल्पनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित है।

- इसके माध्यम से यूके में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड

ट्रांसफर या एनईएफटी, ई-वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे कई तरीकों के माध्यम से बिल भुगतान के लिए सीधे सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

- भारत, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में सीमा पार बिल भुगतान हेतु अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
- सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सक्षम यह सुविधा अब तक ओमान, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले एनआरआई के लिए उपलब्ध है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 27 सितंबर, 2023 को प्रकाशित। रिपोर्ट का शीर्षक 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023: अनिश्चितता के सामने नवाचार' है।

- कुल देश - 132
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है जिसके बाद स्वीडन (रैंक 2) है।
- भारत 132 में से 40वें स्थान पर है।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500

फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है।

- पत्रिका के अनुसार, वॉलमार्ट लगातार 10वें साल नंबर 1 बना हुआ है, जबकि सऊदी अरामको (जिसने अपना राजस्व 51% बढ़ाया है) नंबर 2 स्थान पर है।
- इन कंपनियों को 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले समाप्त हुए उनके संबंधित वित्तीय वर्षों के कुल राजस्व के आधार पर रैंक किया गया है।

अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाएं

फोर्ब्स ने 'अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं' 2023 की वार्षिक सूची जारी की है।

- जयश्री उल्लाल और इंद्रा नूयी सहित चार भारतीय मूल की महिलाओं ने अमेरिका की 100 सबसे सफल सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में जगह बनाई है जिनकी कुल संपत्ति 4.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023

नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। यह दूसरा संस्करण था, जबकि MPI का पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [NFHS-5 (2019-21) के 5वें संस्करण पर आधारित है।

रिपोर्ट के बिन्दु:

- भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-2021 में 14.96% हो गई है।
- पिछले पांच साल के दौरान 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी से निकाले गए।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 110 देशों में 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन (18% से थोड़ा अधिक) तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।
- सभी गरीब लोगों में से लगभग दो-तिहाई (730 मिलियन लोग) मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- हालाँकि कम आय वाले देशों में एमपीआई में शामिल आबादी का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन यहां सभी गरीब लोगों का 35% निवास करते हैं।

वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जुलाई 2023 में प्रकाशित।
- लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है जो पिछले वर्ष से आठ स्थान का सुधार है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति की मौजूदा दर से पूर्ण समता तक पहुंचने में 131 साल लगेंगे।
- वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक वार्षिक आधार पर चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को चिह्नित करता है।
- इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तीकरण शामिल है।
- इस सूचकांक में शीर्ष तीन देश 'आइसलैंड (रैंक 1), नॉर्वे (रैंक 2) और फिनलैंड (रैंक 3)' हैं।
- निचले तीन देश 'अफगानिस्तान (146 रैंक), चाड (रैंक 145) और अल्जीरिया (144 रैंक)' हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, 2023

- यह विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2023 का 7वां संस्करण था।
- भारत ने 6 पायदान का सुधार करके 139 देशों में से 38वें स्थान

पर पहुंच गया है।
- रिपोर्ट का शीर्षक 'लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट (2023): प्रतिस्पर्धा 2023 से जुड़ना'
- रैंकिंग में सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष देश हैं।
- लीबिया(1.9), अफगानिस्तान(1.9) और सोमालिया(2.0) निम्न प्रदर्शन करने वाले देश हैं।
- 2018 के सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर था।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2023

- आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक 28 फरवरी, 2023 को वाशिंगटन मुख्यालय वाले थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया।
- सिंगापुर (83.9) पहले स्थान पर है जिसके बाद स्विट्जरलैंड (83.8), आयरलैंड (82.0) और ताइवान (80.7) हैं।
- 2023 सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है।
- उत्तर कोरिया (2.9) अंतिम स्थान (176) पर है।

ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023

- हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 18 अप्रैल, 2023 को ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया।
- भारत का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न वाले देश के रूप में है।
- हुरुन के अनुसार दुनिया में 1361 यूनिकॉर्न हैं जो पिछले वर्ष में 303 या 29% और कोविड शुरू होने के बाद से 867 या 175% अधिक है।

एनएफएचएस-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट 2019- 2021

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-2021 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पांचवें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की।
- एनएफएचएस 4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
- भारत में केवल पांच राज्य (बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर) ऐसे हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से ऊपर हैं।
- बिहार (3.0) और मेघालय में प्रजनन दर देश में सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम (1.1) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है।
- उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 2.5 है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 1.9 है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में टीएफआर 1992-93 में प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चे हो गया है।

प्रोजेक्ट प्रयास

21 दिसंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस (18 दिसंबर) मनाने के लिए सचिव (सीपीवी और ओआईए) मुक्तेश परदेशी ने नई दिल्ली में प्रोजेक्ट प्रयास (युवा तथा कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना) लॉन्च किया।
- यह परियोजना इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) भारत और भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के बीच एक संयुक्त सहयोग है।

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

पालना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- सरकार का लक्ष्य 17000 क्रेच (नवजात शिशुओं की देखरेख का स्थान) स्थापित करने का है जिनमें से अब तक 5222 को मंजूरी दी जा चुकी है।

रैंप (RAMP) कार्यक्रम की तीन उप-योजनाएं

20 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने RAMP कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप-योजनाएँ लॉन्च कीं।
- **एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना:** इसका उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
- **सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना:** यह सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली सरकार की पहली योजना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और एमएसएमई क्षेत्र को 2070 तक शून्य उत्सर्जन की ओर ले जाने के सपने को साकार करेगी।
- **आईपी कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के लिए समर्थन:** एमएसएमई क्षेत्र में नवप्रवर्तकों को अपने आईपीआर का व्यावसायीकरण करने में सक्षम बनाएगा।

'भारत' आटा

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 'भारत' ब्रांड के तहत गेहूं के आटे (आटा) की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई।
- इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।
- 'भारत' आटा रुपये 27.50/किग्रा से अधिक की एमआरपी पर उपलब्ध होगा।

महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने हेतु 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है।
- इस योजना का लक्ष्य 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने हेतु 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

आरओडीटीईपी योजना

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) समर्थन को 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, अब 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संशोधन करके RoDTEP योजना शुरू की गई है।
- यह योजना निर्यात किए गए सामानों पर सभी छिपे हुए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/लेवी से छूट प्रदान करती है जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

4 अक्टूबर, 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। यह देश में हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- इसमें केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के सदस्य, तीन राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि (रोटेशन के आधार पर) होंगे।

उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के विस्तार को मंजूरी दी है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी।

यशोभूमि

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) के पहले चरण का उद्घाटन किया।

- यशोभूमि या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) एक अत्याधुनिक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है।
- यशोभूमि को लगभग 5400 करोड़ रुपये और कुल परियोजना क्षेत्र 8.9 लाख वर्ग मीटर पर विकसित किया गया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी।
- यह 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता प्रदान करेगा।
- यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी।

विवाद से विश्वास-II

- यह योजना सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई थी जिसके मध्यस्थता पुरस्कार को अदालत में चुनौती दी गई है।
- इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था।

पीएम स्वनिधि योजना

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण योजना का नया लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 63 लाख निर्धारित किया है।

- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू की गई है।
- यह 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों/फेरीवालों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी।

पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

- जुलाई, 2023 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र के लिए 'क्रेडिट गारंटी योजना' शुरू की।
- यह योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत कार्यान्वित की गई है।

- यह एमएसएमई का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करेगा।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023

इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी जिसे 31 मार्च, 2023 को लॉन्च किया गया था। यह योजना डाक विभाग द्वारा महिलाओं/लड़कियों के लिए शुरू की गई।

- इस योजना के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले दो साल की अवधि के लिए खाता खोला जा सकता है।
- न्यूनतम रु. 1000 और 100 के गुणक में कोई भी राशि रुपये की अधिकतम सीमा 200,000 के भीतर जमा की जा सकती है।
- इस योजना के तहत निवेश की परिपक्वता योजना खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष है।

बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) ने 9 मार्च, 2023 को बागवानी फसलों के लिए तीन नए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को मंजूरी दी है।

SWAYATT पहल

- यह पहल पहली बार फरवरी 2019 में शुरू की गई थी जिसकी सफलता के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था।
- यह सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर ई-लेन-देन के माध्यम से स्टार्ट-अप, महिलाओं और युवाओं के लाभ को बढ़ावा देने की एक पहल है।

पीएम मित्रा पार्क

- भारत सरकार ने मार्च 2023 में कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क की स्थापना की घोषणा की।
- ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल, 2023 को 'राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण (एनएमआईएस) 2021-22: नीति निर्माताओं के लिए सारांश' जारी किया।

- इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण कंपनियों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।
- कर्नाटक राज्य (33.41) एनएमआईआई 2022 में सर्वोच्च स्थान पर रहे, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य (असम को छोड़कर) सबसे निचले स्थान पर (19.69) रहे।

भारतीय राज्यों का विद्युत परिवर्तन

इसे इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और एम्बर द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था। इसमें 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया।

- कर्नाटक और गुजरात ने स्वच्छ बिजली परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रगति की है।
- इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और पंजाब सबसे अच्छी स्थिति में हैं।
- बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने तथा स्वच्छ बिजली परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

मार्च 2023 में, विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई।

- अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) पहले स्थान पर है जिसके बाद क्रमशः यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी व अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है।
- आईआईटी-मद्रास (पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21वें स्थान पर), आईआईटी-बॉम्बे (गणित में 92वें स्थान पर) तथा आईआईटी-दिल्ली (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर) हैं।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में 68वें स्थान पर है।

पहली छह लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क

- NH-6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की पहली छह लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई, 2022 में सूरत में किया गया था।
- स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है।

अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 नवंबर 2023 को संयुक्त रूप से तीन भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

- इन तीन परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक,

खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट II शामिल हैं।

- अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक परियोजना को भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के तहत क्रियान्वित किया गया है।
- रेल लिंक की लंबाई 6.78 किमी. के साथ 12.24 किमी है।

सर्कुलर रेल नेटवर्क

- नवंबर, 2023 में रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में लगभग 287 किमी. का एक सर्कुलर रेल नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।

भारत की सबसे तेज सौर-इलेक्ट्रिक नाव

- दो बार गस्सीज (Gussies) पुरस्कार विजेता भारत के नेवल्ट ने देश में सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च की है जिसकी शीर्ष गति 12 समुद्री मील (22 किमी/घंटा, 14 मील प्रति घंटे) है।

दिव्यांगजनों के लिए पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र

- 2 अक्टूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई-टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।

बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति

- महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ किले में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई।
- मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है, जबकि वजन करीब 38 किग्रा. है।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि

दिसंबर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) को दो साल के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

- यह योजना 2021 में तीन साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी।
- पीआईडीएफ योजना की स्थापना टियर तीन से टियर छह केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में भौतिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने देश भर में लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) लॉन्च किया।
- एनटीपीएस की कल्पना 'वन नेशन वन पास' व्यवस्था के रूप में की गई है जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी।

राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने एक राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा की।

- इसे अगस्त 2023 में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम का उद्देश्य डिजिटल नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विशेषज्ञ सत्रों तथा निर्देशात्मक सामग्रियों के माध्यम से नागरिकों को नवाचार से जुड़ने की क्षमता बनाने में मदद करना है।

विश्व बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ रिपोर्ट

- विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (जून, 2022) में कहा कि 2023 में वैश्विक विकास दर धीमी होकर 2.1% होने की संभावना है।
- इसने वित्त वर्ष 2023/24 (अप्रैल-मार्च) में भारत के विकास के दृष्टिकोण को घटाकर 6.3% कर दिया जो जनवरी, 2023 से 0.3 प्रतिशत कम संशोधन है।

भारत का पहला पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड

- एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत बैंक खाते वाले मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण-अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।
- डेबिट कार्ड आर-पीवीसी सामग्री में आएंगे जो एक प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल सामग्री है।
- बैंक के अनुसार उत्पादित 50,000 कार्डों के प्रत्येक बैच से बाजार में पारंपरिक पीवीसी कार्डों की तुलना में 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा।

राइट्स और इरकॉन नवरत्न स्थिति

- रेलवे उपक्रम RITES और IRCON को नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
- इरकॉन और राइट्स लिमिटेड अब सीपीएसईएस में क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न बन गए हैं।

13वीं 'महारत्न' कंपनी

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई-महारत्न कंपनी) में आयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी है।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन में शामिल है।

किरीट पारिख पैनल

- भारत में प्राकृतिक गैस की कीमतों की समीक्षा करने के लिए किरीट पारिख पैनल ने पुराने विरासत क्षेत्रों से गैस के लिए $4-6.50/यूनिट के मूल्य बैंड की सिफारिश की है जो घरेलू उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक है और जनवरी 2027 तक पूरी तरह से बाजार-निर्धारित दरों की शुरूआत की है।

ओपीएस बनाम एनपीएस

पुरानी पेंशन योजना:

- पुरानी पेंशन योजना भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन योजना है। जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल तक काम किया है, उन्हें उनके अंतिम वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना में सरकार सेवा के दौरान कर्मचारी के वेतन से कटौती किए बिना पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है।
- यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से उनकी पेंशन मिलती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):

- 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई। पहले यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थी। 1 मई 2009 से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इसे स्व-रोजगार नागरिकों सहित सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध कराया। इसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है।
- इस योजना में कर्मचारी को अपने वेतन से योगदान देना होता है। कॉर्पोरेट एनपीएस के लिए नियोक्ता भी योगदान करते हैं।

एनपीएस और ओपीएस में अंतर:

- ओपीएस एक गारंटीकृत निश्चित पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का 50% गारंटी देती है। इसके विपरीत, एनपीएस एक निवेश और पेंशन योजना दोनों के रूप में कार्य करता है। एनपीएस एक निश्चित पेंशन की पेशकश नहीं करता है, लेकिन लंबी अवधि का रिटर्न देता है क्योंकि राशि बाजार प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। ओपीएस के विपरीत एनपीएस, आयकर अधि नियम, 1961 की धारा 80सीसीडी और 80सी के तहत कर लाभ भी देता है।

सामाजिक प्रभाव बांड

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 1,040.50 करोड़ रुपये के साथ अपना पहला सामाजिक बांड जारी किया।

सामाजिक बांड के बारे में:

- सामाजिक बांड (जिसे सामाजिक प्रभाव बांड के रूप में भी जाना जाता है और संक्षेप में एसआईबी कहा जाता है) बांड का एक प्रकार है जहां बांड जारीकर्ता एक परियोजना के लिए धन इकट्ठा करता है जिसमें कुछ सामाजिक रूप से लाभकारी निहितार्थ हैं।
- ये बांड उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, किफायती आवास, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं।
- महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 2020 में भारत का पहला एसआईबी बनाया।

नाबार्ड द्वारा जारी सामाजिक बांड की विशेषताएं:

- यह देश में पहला बाहरी रूप से प्रामाणित ।।।-रेटेड भारतीय रुपया-मूल्यवर्ग वाला SIB है। बांड को क्रिसिल और आईसीआरए द्वारा 'एएए' रेटिंग दी गई है।
- सामाजिक बांड का आधार निर्गम आकार 1,000 करोड़ था जिसमें 2,000 करोड़ तक ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प था जिससे बजट कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- प्रत्येक बांड का अंकित मूल्य 1 लाख है।
- परिपक्वता: 5 वर्ष
- कूपन दर: 7.63 प्रतिशत

खुला बाजार परिचालन

खुले बाजार संचालन के बारे में:

- **अर्थ:** ओपन मार्केट ऑपरेशंस का तात्पर्य खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांडों की खरीद और बिक्री से है।
- **मात्रात्मक उपकरणों में से एक:** ओएमओ मात्रात्मक उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग आरबीआई वर्ष के दौरान तरलता की स्थिति को सुचारू करने और ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति दर के स्तर पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए करता है।
- मात्रात्मक उपकरण नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) या बैंक

दर या खुले बाजार संचालन को बदलकर धन आपूर्ति की सीमा को नियंत्रित करते हैं।

- गुणात्मक उपकरणों में केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए अनुनय शामिल है जो नैतिक दबाव तथा मार्जिन आवश्यकता आदि के माध्यम से किया जाता है।

धन आपूर्ति पर प्रभाव:

- आरबीआई जब खुले बाजार से कोई सरकारी बांड खरीदता है तो उसका भुगतान चेक देकर करता है। यह जाँच अर्थव्यवस्था में भंडार की कुल मात्रा को बढ़ाकर धन आपूर्ति को सुनिश्चित करती है।
- आरबीआई द्वारा (निजी व्यक्तियों या संस्थानों को) बांड बेचने से भंडार की मात्रा में कमी आती है जिससे अंतत: धन की आपूर्ति में कमी आती है।

बीमा सुगम पोर्टल

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपने महत्त्वाकांक्षी 'बीमा सुगम' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है।

- इसका कहना है कि बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल है जो बीमा को सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक बनाएगा। यह प्रोटोकॉल इंडिया स्टैक से जुड़ा होगा।

बीमा सुगम पोर्टल के बारे में:

- यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त योजना चुन सकते हैं।
- जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा (मोटर तथा यात्रा सहित) सहित सभी बीमा आवश्यकताओं को बीमा सुगम द्वारा पूरा किया जाएगा।

विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग

केंद्र सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को चुनिंदा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है।

- जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों को अपने इक्विटी शेयरों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), अहमदाबाद में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाने का निर्णय लिया है।
- जारी एक अधिसूचना में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कहा कि कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 में घोषित प्रावधान 30 अक्टूबर को लागू हुआ।
- संशोधन ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को विदेशी न्यायालयों में प्रतिभूतियों के निर्धारित वर्गों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का अधिकार दिया।
- इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि घरेलू सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को GIFT IFSC, अहमदाबाद सहित निर्धारित विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- वर्तमान में घरेलू सूचीबद्ध कंपनियां डिपॉजिटरी रसीद विदेशी बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) का उपयोग करती हैं।
- डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र है।
- यह स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है और निवेशकों को अन्य देशों की इक्विटी में शेयर रखने का अवसर देता है।
- यह उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने का एक विकल्प देता है।
- 2008 और 2018 के बीच, 109 कंपनियों ने एडीआर/जीडीआर मार्ग के माध्यम से 51,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे।

प्रत्यक्ष विदेशी सूचीकरण से कंपनियों को होने वाले लाभ:

- प्रत्यक्ष लिस्टिंग के साथ, घरेलू कंपनियां धन जुटाने के लिए विदेशी बाजारों का लाभ उठा सकती हैं।
- विदेश में सीधी लिस्टिंग से भारतीय कंपनियों को पूंजी के बड़े और विविध पूल को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- यह कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ-साथ डॉलर-मूल्य वाले ट्रेडों के लाभ को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा जो निवेशकों को हेजिंग और मुद्रा रूपांतरण लागत बचाने में सक्षम बनाता है।

महिला श्रम बल भागीदारी दर

- 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023 में 4.2 प्रतिशत अंक से बढ़कर 37.0% हो गई है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर में यह महत्त्वपूर्ण उछाल दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक एजेंडे का परिणाम है। सरकार की पहल लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सुविधा और कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सहायता करना है। इन क्षेत्रों में नीतियां और कानून सरकार के 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

Test Yourself, Before UPSC Tests You

We will guide you prepare better

Total Test-15 :
(GS Full Length-10 & CSAT-5)

Online

All India Civil Services (Prelims) Test Series 2024

Phase-III Starting From

3rd March 2024

JOIN HERE

Fee :

~~2999/-~~

999/-

9219200789 **LUCKNOW**

UDAAN
A journey to success

Powered by
ध्येय IAS®
most trusted since 2003

IAS/IPS as a career AFTER 12th

3 YEARS PROGRAMME

UDAAN (10+2) :
Topping the potential of young students right after schooling through two way communication, counselling & holistic empowerment.

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM 2024

16th June, 2024 | 12:30pm

Eligibility:
Age Limits : 15-19 Years age group
12th Passed / Appearing Students

IAS OLYMPIAD ENTRANCE EXAM
REGISTRATION OPEN

Lucknow

More information call us
9219200789